लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 4-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10, शुक्रवार 4 जून, 1971/14 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 10, Friday, June 4, 1971/Jyaistha 14, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
272	कर अपवंचन	Evasion of Taxes	1-4
274	स्वर्ण नियंत्रण	Control on Gold	4-7
276	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की माँगें	Demands of Employees of Indian Airlines	7-9
277	भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर भाड़े में वृद्धि	Increase in Freight on India's Exports	9-10
278	भारतीय रुपये के मूल्य में ह्रास	Fall in value of Indian Rupee	10-11
280	रेलवे द्वारा रियायतों की प्रस्तावित समाप्ति का पर्यटन पर प्रभाव	Effect on Tourism by proposed withdrawal of Concessions by the Railways	11-12
283	सहायता के लिए जापान के साथ करार	Aid Agreement with Japan	12-13
284	शहरी आय की अधिकतम सीमा निश्चित करना	Ceiling on Urban Income	13-14
285	पर्यटकों के ठहरने के लिए सस्ते होटलों की कमी	Dearth of inexpensive hotel accommodation for tourists	14-16
287	तमिलनाडु में छोटे पत्तनों का विकास	Development of Minor Ports in Tamil Nadu	16-17
289	जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे गये शेयर	Shares bought by Life Insurance Corporation	17-18

प्रश्नों के लिखित उत्तर — **Written Answers to Questions**

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

273	विदेशी ऋण की बकाया राशि	Outstanding amount of foreign Debt	18-19
275	सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया के बोइंग 707 का जल जाना	Air India Boeing 707 burnt at Santa Cruz Airport	19-20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० स० S. Q. Nos.			
279	भारत में सोने का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Gold into India	20
281	कुल्लु में विमान दुर्घटना	Plane Crash in Kulu	21
282	फलाइंग क्लबों के बन्द होने की आशंका	Flying Clubs facing closure	21
286	देश के आन्तरिक पर्यटन के प्रोत्साहन देने के उपाय	Steps taken to promote internal tourism in the country	21-22
288	एयरवेज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का बन्द होना	Closure of Airways (India) Private Limited	22
290	करैन्सी नोटों का बन्द किया जाना	Demonetisation of currency notes	22
291	राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment in Nationalised Banks	22-23
292	दिल्ली प्रशासन द्वारा गैर सरकारी बस चालकों (आपरेटर्स) को परमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच कराने की मांग	Demand for a CBI probe for issuing Permits to Private Bus Operators by Delhi Administration	23
293	पर्यटक की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये राजस्थान को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Rajasthan for Developing Tourist Facilities	23
294	चोरी छिपे लायी गयी वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods	23-24
295	अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के कार्यकरण की पुनः जांच	Reappraisal of working of Untouchability Offences Act	24-25
296	केरल में पुराने स्कूलों को ठीक ठाक करने के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Modifying Old Schools in Kerala	25
297	शिक्षा उपकर	Educational Cess	25-26
298	विदेश यात्रा पर लगे प्रतिबन्ध के बारे में छूट देने के लिये एयर इंडिया द्वारा अभ्यावेदन	Representation by Air India for Relaxation of Travel Restrictions Abroad	26
299	नई विमान सेवाएं चलाने की योजना	Scheme for Starting New Air Services	26
300	जापान से ऋण	Loan from Japan	26-27
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1269	भारत में कम्पनियों के कार्यकारी अधिकारी	Compulsory Executives in India	27

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
1270 मैसर्स गुड ईयर इंडिया लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Managing Director of M/s Goodyear India Ltd.	27-28
1271 इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया में ईंधन की लागत	Fuel cost in Indian Airlines and Air India	28-29
1272 कोककर कोयले के विकास के लिये राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा लगाया गया धन	Amount diverted by Nationalised Banks for Development of Coking Coal	29
1273 स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा मध्य प्रदेश के हर्दा टाउन में छोटी जाति वाले किसानों को दिया गया ऋण	Loans given by State Bank of India to Small Cultivators of Harda Town (Madhya Pradesh)	29
1274 मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists visiting Madhya Pradesh	29-30
1275 सिंधी भाषा को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of Sindhi Language	30-31
1276 छोटी बचत योजना से मध्य प्रदेश को दिया गया ऋण	Loan given to Madhya Pradesh out of Small Savings	31
1277 मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार	Extension of Banking facilities in Rural Areas of Madhya Pradesh	31
1278 लेखकों और कलाकारों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Writers and Artists	31-32
1279 भाषाओं के विकास पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Development of Languages	32
1280 पोलीटेक्निक स्कूल	Polytechnic Schools	32
1281 संस्कृत का प्रचार और विकास	Propagation and Development of Sanskrit	33
1282 भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी विद्यार्थी	Foreign students in Indian Universities	33
1283 मैसर्स इन्डियन आक्सीजन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Managing Director of M/s Indian Oxygen Limited	33-34
1284 विधान सभाओं और संसद् में अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों के आरक्षण की समाप्ति	Abolition of Reservation of Seats for Scheduled Castes in Assemblies and Parliament	34
1285 उत्तर प्रदेश में लेटरल सड़क परियोजना का पूरा किया जाना	Completion of Lateral Road Project in Uttar Pradesh	34-35
1286 क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाने के लिये मनीला में इकैफे की बैठक	ECAFE Meeting at Manila for Boosting Regional Trade	35

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
1287	बचत योजना में जमा राशि बढ़ाने के लिये मासिक व्यय की अधिकतम सीमा	Ceiling on Monthly Expenditure to Augment Deposits in Savings Schemes	35-36
1288	आयात/निर्यात बैंक की स्थापना	Setting up of Import and Export Bank	36
1289	चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को चलाने के लिये पृथक निगम की स्थापना	Separate Corporation to Run four International Airports	36-37
1290	कलकत्ता में औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना	Setting up of Industrial Reconstruction Corporation in Calcutta	37
1291	सरकारी कर्मचारियों तथा जन उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच बैठक	Meeting between Govermnent Officials and Executives of Public Sector Undertakings	37-38
1292	सरकारी उपक्रमों में घाटा	Losses in Public Undertakings	38
1293	औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों में पूंजी निवेश	Investment in Industrial and Commercial Undertakings	39
1294	तीसरे वेतन आयोग में रेलवे कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित करना	Inclusion of Representative of Railway Employees in the third Pay Commission	39
1295	बैंकाक में एशियन हाकी गोल्ड मैडल की भारत को हुई हानि के बारे में जाँच समिति	Enquiry Committee on India's Loss of Asian Hockey Gold Medal at Bangkok	39-40
1296	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यालय और शाखा का संचालन	R. S. S. Office and Shakha Functioning in Banaras Hindu University Campus.	40
1297	धन जमा कराने का प्रयास	Deposit Mobilisation	40-41
1298	राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की सहायता मांगना	National Integration Council to seek help of teachers and students	42
1299	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रोजगार क्षमता	Employment Potential of Public Sector Undertakings	43
1300	त्रिपुरा में समाज विरोधी तत्वों द्वारा कालेजों और स्कूलों पर आक्रमण करने तथा छापे मारने की घटनाएं	Colleges and Schools attacked and raided by Anti Social Elements in Tripura	43
1301	पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में डीघा में सी बीच का विकास	Development of Sea Beach at Digha, District Midnapur, West Bengal	43-44

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
1302 पश्चिम बंगाल में डीघा स्थित गोल्फ कोर्स	Golf course at Digha, West Bengal	44
1303 शिक्षा का पुनर्विन्यास	Reorientation of Education	44-45
1304 चौथी योजना में बालिका शिक्षा	Girls Education in Fourth Plan	45
1305 'दि कलकत्ता लाइसेंस्ड मेजर्ज' नामक संस्था का बन्द किया जाना	Closing down of the Insitution 'The Calcutta Licensed Measures'	46
1306 वैज्ञानिक साहित्य की माँग और सृजन	Demand and Output of Scientific Literature	46-48
1307 कम्पनियों का विलय	Merger of Companies	48-49
1308 कोचीन बन्दरगाह पर निर्यात और आयात व्यापार की मात्रा	Volume of Export and Import Trade in Cochin Port	49
1309 कोयला खान उद्योग पर आय कर और सम्पत्ति कर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax and Wealth Tax Outstanding against coal Mining Companies	49-50
1310 श्री निम्बार्क प्रोपर कजोरा कोल कम्पनी, पश्चिम बंगाल के निदेशकों पर आयकर की बकाया राशि	Income Tax due from the Directors of Sri Nimbarak Proper Kajora Coal Company, West Bengal	51
1311 केन्द्र सरकार पेंशन भोक्ता एसोसियेशन द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Central Government Pensioners' Association	51
1312 सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकान किराये की रसीद प्रस्तुत किया जाना	Production of House Rent Receipts by Government Employees	51-52
1313 दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के सेवा-निवृत्त मुख्याध्यापकों को पेंशन और लेखे के मामलों का निपटारा	Settlement of Pensions and Accounts of Retired Headmasters of Delhi Municipal Corporation Schools	52-53
1314 विजय नगर राज्य के समय के सिक्के	Coins belonging to Vijayanagar Empire	53
1315 पालम हवाई अड्डे पर लोडरों द्वारा यात्रियों से माँगी गई बख्शीश	Tips demanded by Loaders from Passengers at Palam Airport	53
1316 गोल्डन टुबैको कम्पनी	Golden Tobacco Company	53-54
1317 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण दिया जाना	Advancing of Loans by Nationalised Banks to Small Scale Industries	54
1318 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा टैक्सियों तथा स्कूटरों के मालिकों को ऋण	Loans granted by Nationalised Banks to Owners of Taxis and Scooters	55

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1319	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of University Grants Commission	55
1320	पटना स्थित बिहार फ्लाइंग क्लब को सरकारी अनुदान	Government Grants to Bihar Flying Club, Patna	55-56
1321	बिहार फ्लाइंग क्लब में अनियमितताएं	Irregularities in Bihar Flying Club	56
1322	वैस्ट इण्डीज क्रिकेट टीम पर विजय के उपलक्ष्य में भारतीय क्रिकेट टीम को पुरस्कार	Reward to Indian Cricket Team for its Victory against West Indies Team	56
1323	स्वर्गीय मेजर एच० बी० बहुगुणा के परिवार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to the Family of Late Maj H. B. Bahuguna	57
1324	शहरों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Cities	57-59
1325	निम्बारक प्रोपर कजोरा कोल लिमिटेड और निमचा कोल लिमिटेड, पश्चिम बंगाल के लेखे	Accounts of Shri Nimbarak Proper Kajora Coal Ltd. and Nimcha Coal Ltd. West Bengal	59-60
1326	लेखा परीक्षण व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Auditing	60
1327	माचिस पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Safety Matches	60
1328	बेपुर पत्तन, केरल के लिये ड्रेजर की मंजूरी	Decision to Sanction a Dredger for Bepur Port, Kerala	61
1329	मद्रास में मरीना पर 65 मंजिली मीनार का निर्माण करने का निश्चय	Decision to construct a 65 Storeyed Tower on the Marina in Madras	61
1330	मान सिंह रोड, नई दिल्ली स्थित मस्जिद का मरम्मत कार्य	Repair Work to Mosque on Man Singh Road, New Delhi	61
1331	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस जारी किया जाना	Issuing of Licenses to Commercial Banks by the Reserve Bank of India	62
1332	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलने वाला पारिश्रमिक	Remunerations to Employees in Public Undertakings	62-63
1333	जन जातियों की सहायता के लिये कार्यक्रम	Programme for helping Tribals	63
1334	जम्बोजेट सेवा का चलाया जाना	Operation of Jumbo Jet Service	64
1335	इंडियन एयर लाइन्स द्वारा सेवा से मुअत्तिल किये गये अथवा बरखास्त किये गये कर्मचारी	Employees suspended or dismissed from Service by Indian Airlines	64

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
1336	बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात गरीब किसानों छोटे उद्यम कर्ताओं आदि को दिये गये ऋण	Loans provided to Poor Farmers, Small Entrepreneurs etc. after Bank Nationalisation	64
1337	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को भवन निर्माण के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for Construction of Houses	65
1338	केन्द्रीय बैंकिंग अधिकारियों द्वारा मूंगफली के लिये ऋण देने पर प्रतिबन्ध	Credit Restrictions imposed by the Central Banking Authorities on Groundnut	65-66
1339	वर्ष 1970 के दौरान भारत में पर्यटकों का आगमन	Tourist Traffic to India during 1970	66-67
1340	एयर इंडिया द्वारा गलत मानचित्र का प्रकाशन	Wrong Publication of Map by Air India	67
1341	पाकिस्तान द्वारा माल सहित जब्त किये गये भारतीय स्टीमर	Indian Steamers with Cargo Confiscated by Pakistan	67-68
1342	उड़ीसा समुद्र तट पर छोटे बन्दरगाहों का विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to develop Minor Ports along Orissa Coast	68
1343	पटना के श्री वासुदेव अग्रवाल के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि	Outstanding amount of Income Tax against Shri Vasudev Aggarwal of Patna	68-69
1344	दिल्ली में स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस	Fees charged by Schools in Delhi	69
1345	छोटे उधार लेने वालों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र	Applications for credit to small borrowers by Nationalised Banks	69-70
1346	तकनीकी शिक्षा का पुनर्गठन करने सम्बन्धी दामोदरन समिति का प्रतिवेदन	Damodaran Committee Report on Reorganisation of Technical Education	70
1347	राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि से कम आय वाले वर्ग को कम व्याज पर ऋण	Lower rates of interest to Low Income Group from the Deposits of the Nationalised Banks	71
1348	विदेशों से सहायता के लिए करार	Agreements for Assistance from Foreign Countries	71
1350	दिल्ली में सरकारी स्वामित्व वाले होटलों द्वारा दिखाया गया लाभ	Profits shown by Government owned Hotels in Delhi	71-72
1351	सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकान किराये की रसीदों का प्रस्तुत किया जाना	Production of House Rent Receipts by Government Employees	72

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1352	कासगंज उत्तर प्रदेश में एक फर्म से भारतीय सिक्कों का पकड़ा जाना	Indian Coins seized from a firm in Kasganj U. P.	72-73
1353	दिल्ली परिवहन की बसों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check ticketless travel in DTU buses	73
1354	गैर सरकारी विमान कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints received against Private Airlines	74
1355	राष्ट्रीय एकता परियोजना और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को दिया गया अनुदान	Grant to National Integration Project and NCERT	74
1356	सरकार द्वारा संसद् में दिये गये आश्वासन	Assurance given by Government in Parliament	74-75
1357	आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters for the Officers and Staff of Income Tax Department	75
1358	उत्तराखंड क्षेत्र में स्टेट बैंक तथा दूसरे वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें	Branches of State and other Commercial Banks in Uttara Khand Region	75
1359	तस्करी की वस्तुओं की बिक्री	Sale of Smuggled Goods	75-76
1360	स्कूलों में आयोजित मिथ्या संसद्	Mock Parliament Arranged in Schools	76-77
1361	योरप में डालर संकट का भारत के विदेशी ऋण पर असर	Impact of Dollar Crisis in Europe on India's Foreign Debts	77
1362	राजस्थान को जाने वाले पर्यटक	Tourists to Rajasthan	77-78
1363	कृषि क्रान्ति के परिणामस्वरूप सम्पन्न हो रहे क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम का कार्य	Life Insurance Corporation's coverage of Areas becoming affluent due to Green Revolution	78-79
1364	विदेशी सहायता	Foreign Aid	79
1365	लेखा बाह्य धन का पता लगाया जाना	Unearthing of Unaccounted Money	79
1366	केरल सरकार द्वारा कालीकट हवाई अड्डे के लिये भूमि अधिग्रहण	Land Acquired by Kerala Government for Calicut Aerodrome	80
1367	केरल में संस्कृत विश्वविद्यालय	Sanskrit University in Kerala	80
1368	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न उद्योगों को दिये गये ऋण	Loans Advanced by Nationalised Banks to different Industries	80-81
1369	जीवन बीमा निगम का व्यापार	Business of Life Insurance Corporation	81
1370	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तस्करी के सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Gold at New Delhi Railway Station	81

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. S. Q. Nos.		
1371 भारतीय ध्वजपोतों के नाविकों द्वारा हड़ताल	Strike by the Seamen of Indian Flag Vessels	81
1372 आयकर की अदायगी से छूट प्राप्त संगठन	Organisations exempted from Payment of Income tax	82-83
1373 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट	International Monetary Crisis	83
1374 राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 34 के मजबूत बनाने और चौड़ा करने के लिये कार्यवाही	Steps taken for Widening and Strengthening of National Highway N0. 34	83-84
1375 बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में बदलना	Replacement of Sales Tax by Excise Duty	84
1376 बैंक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि	Increase in Emoluments of Bank Employees	84-85
1377 जीवन बीमा पालिसीधारी	Life Insurance Policy Holders	85
1378 जीवन बीमा निगम के लाभ और प्रीमियम की दरें	Profits and Premium rates of Life Insurance Corporation	86
1380 दिन के समय मद्रास से आने और मद्रास को जाने वाले इण्डियन एयर लाइन्स के विमानों का समय	Timings of Indian Airlines Day Service to and from Madras	86-87
1381 मद्रास में होटलों की कमी	Shortage of Hotels in Madras	87
1382 तामिलनाडु में पर्यटन के महत्व के स्थानों का विकास	Development of Places of Tourist importance in Tamil Nadu	87
1383 दक्षिण भारत में मन्दिरों तथा अन्य आकर्षक स्थानों के सम्बन्ध में प्रचार	Publicity regarding Temples and other places of interest in South India	87-88
1384 इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज का एटलस कैमिकल इण्डस्ट्रीज आफ अमरीका के साथ विलय	Merger of Imperial Chemical Industries with Atlas Chemical Industries of USA	88
1385 एयर इंडिया की कम किराये वाली पेकेज पर्यटन योजना	Air India's Package Tourist Plan at Reduced Fares	88-89
1386 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पृथक होस्टल	Separate Hostels for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	89
1387 पर्यटकों के वीसा का नवीकरण	Renewal of Visas of Tourists	89-90
1388 चम्बा जिले में स्टेट बैंक की शाखाओं को ऋण लेने के लिये प्राप्त आवेदन पत्र	Loan applications received by Branches of State Bank in Chamba District	90
1389 एकाधिकार गृहों द्वारा देय संस्थागत ऋण	Institutional Loan owned by Monopoly Houses	90-91

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q Nos.		
1390 एक लाख रुपये से अधिक की बकाया आयकर राशि	Arrears of Income Tax Amounting to More than Rupees one Lakh	91
1391 गोहाटी सिटी में अम्बरी में पुरातत्वीय खुदाई	Archaeological Excavation at Ambari in Gauhati City	91-92
1392 लीलाबाड़ी, आसाम में इण्डियन एयर लाइन्स के विमान का जबरन उतारा जाना	Aircraft of Indian Airlines forced to Land at Lilabart Assam	92
1393 राष्ट्रीयकृत बैंकों की आसाम में खोली गई शाखाएं	Branches opened by Nationalised Banks in Assam	92-93
1394 दरभंगा जिले में भावरा हवाई अड्डे से मधुबनी तक की दूरी तय करने में कठिनाइयां	Difficulties faced to cover distance from Bhauara Airport to Madhubani in Darbhanga District	93
1395 देहातों में बैंक सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना	Extension of Banking facilities in Villages	93
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	93-96
दिल्ली में पोलियो फैलने का समाचार	Reported spreading of Polio in Delhi	
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Umashankar Dikshit	
पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में	Re. situation in West Bengal	96-97
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण (प्रो० मधु दंडवते)	Personal Clarification by Member (Prof. Madhu Dandavate)	98
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	98-101
सभा का कार्य	Business of the House	
मितियों के लिये निर्वाचन	Election to Committees	101-102
(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड	(i) Central Silk Board	
(दो) नारियल जटा बोर्ड	(ii) Coir Board	
(तीन) दिल्ली विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट)	(iii) Court of the University of Delhi	
संसद् अधिकारियों के सम्बलयों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	Salaries and Allowances of Offiecrs of Parliament (Amendment) Bill-Introduced	102-103

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सामान्य बजट 1971-72—सामान्य चर्चा	General Budget 1971-72—General Discussion	103
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	103
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	105
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	108
श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanty	109
श्री नारायण चन्द पाराशर	Shri Narain Chand Parashar	110
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	112
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey	113
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolution	114
पहला प्रतिवेदन स्वीकृत	First Report—adopted	114
केन्द्रीय ऋण आयोग के बारे में संकल्प	Resolution re. Federal Debt Commission	114
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	114
श्री बालतन्डायुतम	Shri Balathandayuthem	117
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R. R. Sharma	118
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	118
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	120
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	121
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	121
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	122
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	123
श्री राज देव सिंह	Shri Raj Deo Singh	123
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivappa	124

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 4 जून, 1971/14 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

Friday, June 4, 1971/Jyaistha 14, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कर-अपवंचन

*272. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में होने वाले कर-अपवंचन की राशि का अनुमान लगाया है; यदि हाँ, तो वह राशि कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों पर अपनी आय छुपाने तथा आय की गलत घोषणा करने के अपराध में मुकदमा चलाया गया अथवा उन्हें जेल भेजा गया; और

(ग) कर-अपवंचन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश में बड़े पैमाने पर किये जा रहे आयकर अपवंचन के बारे में सरकार को पूरी तरह पता है, किन्तु इस बुराई की मात्रा निश्चित करना संभव नहीं हो पाया है। विगत समय में नियुक्त विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने इस प्रश्न की जाँच की है किन्तु वे इसका निश्चित अनुमान लगाने में असमर्थ रहे हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 1968–69 से 1970–71 में कर-अपवंचन के लिये 85 मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ की गई। उसी अवधि में 21 व्यक्ति सिद्ध दोष ठहराये गये हैं।

(ग) कर-अपवंचन की बुराई को दबाने के लिये, सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपाय किये हैं। पिछले सप्ताह वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट में इस विषय पर पर्याप्त जोर डाला गया

था। इस दिशा में किये गये प्रशासनिक उपायों के अतिरिक्त, इस जटिल समस्या पर निर्णायक प्रभाव डालने की दृष्टि से, कानूनी उपबन्धों को और आगे सुदृढ़ बनाने का भी प्रस्ताव है। सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में किये गये विभिन्न उपायों की, तथा उन उपायों की सूची दी गई है, जो 1971–72 के बजट में सन्निहित हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 312/71]**

श्री चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय से इस प्रकार का उत्तर पाने पर मैं वहुत निराश हुआ हूँ, एक विस्तृत विवरण भी यहाँ रखा गया है, गैर-सरकारी अनुमान के अनुसार इस देश में 4000 करोड़ रु० की राशि का कर अपवंचन किया जा रहा है। सरकार ने इस बात को स्वयं भी माना था और कुछ समय पहले की गई जाँच से भी इसकी पुष्टि होती है तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी० सी० सेठी ने कुछ समय पहले इसी सदन को बताया है कि बिरला बन्धुओं के विरुद्ध कोई मामला चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या बिरला बन्धुओं तथा एकाधिकार गृहों के विरुद्ध कोई मुकदमे चलाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जैसे कि मैंने मूल प्रश्न के अपने उत्तर में कहा है, कर अपवंचन बड़े पैमाने पर हो रहा है। यद्यपि इसके कई अनुमान उपलब्ध हुए हैं फिर भी यथार्थ आंकड़े देना सम्भव नहीं है। सरकार इसके लिये कई कदम उठाती है। उदाहरणत: सन् 1947 में आय कर जाँच आयोग ने 48 करोड़ रु० राशि के 1058 मामले पकड़े। सन् 1951 में ऐच्छिक घोषणा योजना के अधीन 70 करोड़ रु० की राशि का पता लगा। 1965 में भी वित्त अधिनियम के अधीन 52.18 करोड़ रु० की राशि का पता लगा। 1965 के वित्त अधिनियम के अधीन भी 114 करोड़ रु० की राशि का पता चला। आयकर विभाग ने भी 1964 और 1969 के बीच 161.67 करोड़ रु० की आयकर से की गयी चोरी की राशि का पता लगाया। किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे समय की आवश्यकता होगी।

श्री चन्द्रप्पन : यह उत्तर भी बहुत निराशाजनक है क्योंकि करापवंचन बहुत अधिक है, और सरकार ने स्वयं से स्वीकार किया है। वसूली के जो आंकड़े इन्होंने बताये हैं वे अपवंचन राशि की तुलना में बहुत कम हैं। अब तक किये गये सारे उपाय निरार्थक सिद्ध हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उन बड़े एकाधिकार गृहों की सम्पत्ति जब्त करने पर विचार करेगी जो कर की चोरी करते पकड़े जाये ? दूसरी बात यह है कि सरकार मुद्रा का विमुद्रीकरण क्यों नहीं करती ? ये सुझाव सरकार द्वारा स्थापित कई आयोगों ने दिये हैं। सरकार यह भी स्पष्ट रूप से लोगों को नहीं बताती कि एकाधिकार गृहों के वे बड़े-बड़े करापवंचक कौन हैं जो हमें लूट रहे हैं और सरकार विवश सी प्रतीत होती है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इससे कोई प्रश्न चुना है ?

श्री के० आर० गणेश : जहाँ तक इनके विभिन्न सुझावों का सम्बन्ध है, यह सदन जानता है कि प्रत्यक्ष कर जाँच समिति इन सब मामलों पर विचार कर रही है। इसकी अन्तरिम रिपोट सरकार के विचाराधीन है। अंतिम रिपोर्ट भी प्राप्त होने की आशा है। लेकिन करापवंचन एकाधिकार गृहों तक ही सीमित नहीं है, यह सर्वत्र फैला हुआ है। एकाधिकार गृहों को पकड़ना सरल है क्योंकि उनका लेखा तथा अन्य चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन यह बुराई इस मात्रा में चारों ओर फैली है कि इसका मुकाबला करने के लिये सभी प्रशासकीय उपायों को करने की आवश्यकता होगी।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से प्रतीत होता है कि काले धन की समस्या पर विचार करने के लिये वांचु समिति की स्थापना की गयी है, क्या हम जान सकते हैं कि यह समिति अपनी रिपोर्ट कल तक सरकार को पेश करेगी ?

श्री के० आर० गणेश : वांचु समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है जो सरकार के विचाराधीन है। इसकी अंतिम रिपोर्ट आने की भी सम्भावना है।

Shri B. P. Maurya : Big industrialists have established various companies under different rules and the tax is also levied separately on those companies. I want to know from the hon. Minister whether any arrangements have been made to bring such companies under one circle so that they do not evade the taxes.

Has the hon. Minister understood my question ?

Mr. Speaker : He has understood the question, but how does it arise out of it ?

Shri B. P. Maurya : It arises because they are evading the taxes.

I may once again make it clear that big industrialists are floating. companies under different names with a view to evading the taxes.

Shri K. R. Ganesh : I have understood the question asked by the hon. Member.

Shri B. P. Maurya : Then the hon. Minister should reply to that question.

श्री के० आर० गणेश : यह प्रश्न करापवंचन के बारे में है। अपवंचन तथा टालने के बीच अंतर है। प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न विवरण में किये गये उपायों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इन उपायों का उद्देश्य ऐसी ही स्थितियों का सामना करना है, जो माननीय सदस्य के मन में है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरे माननीय मित्र ने कर अपवंचन के बारे में प्रश्न पूछा है जो उससे सम्बन्धित है। बहुत बड़ी धन राशि का पता लगाया जा चुका है और 700 करोड़ रुपयों की राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है। बहुत से अर्थशास्त्रियों के कच्चे आंकड़ों के अनुसार कर अपवंचन की राशि लगभग 4,000 करोड़ रुपये है। क्या इसका एक कारण नामों को प्रकाशित न करना और उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही न करना है ? सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये गये हैं और सरकार सौ रुपये के नोटों का चलन बन्द करके काले धन का पता क्यों नहीं लगा रही है ?

श्री के० आर० गणेश : जहाँ तक नामों को प्रकाशित करने का सम्बन्ध है, आय-कर अधिनियम में संशोधन किया गया है और बड़े अपराधियों के नामों को प्रकाश में लाया जाना है। कल ही श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने बहुत अच्छे बजट भाषण में कहा था कि कलकत्ता के समाचार-पत्रों में ये नाम प्रकाशित हुये हैं। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, यह नीति विषयक मामला है।

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, मुझे आपका मार्ग-दर्शन चाहिये। अन्यथा वह किसी प्रश्न को टाल देंगे। करापवंचन की तरह उत्तर का अपवंचन हो जायेगा। मैंने पूछा था कि काले धन का पता लगाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं। मंत्री महोदय कहते हैं कि नीति विषयक मामला है। हम नीति विषयक मामलों पर ही प्रश्न करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय का उत्तर सही है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री एच० एन० मुकर्जी।

श्री पीलु मोडी : स्पष्ट है कि मैंने आपकी ओर नहीं देखा है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें देखा है। परन्तु उन्होंने मुझे नहीं देखा।

श्री पीलु मोडी: मैंने आपकी ओर नहीं देखा। * * *

Shri B. P. Maurya : Mr. Speaker, Sir, please expunge * * * words.

श्री एस० एम० बनर्जी: श्रीमन्, हम विनोद प्रियता की प्रशंसा करते हैं परन्तु यह रुचिकर विनोद नहीं है * * * निम्न रुचि का हास्य है।

अध्यक्ष महोदय: मैं सूची देखने में व्यस्त था। उन्होंने जो कुछ कहा वह मैंने नहीं सुना।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : उन्होंने कहा * * *

अध्यक्ष महोदय: मैं अगले प्रश्न पर पहुँच गया था। इसलिये मैं सूची देखने में व्यस्त था और मैंने उनकी बात नहीं सुनी। यह बात अच्छी नहीं है। बहुत दिनों से वह घटिया मजाक करने लगे हैं। मुझे यह पसंद नहीं है। कभी कभी तो मजाक अच्छा होता है परन्तु हमेशा नहीं।

Shri Satpal Kapoor : This must be expunged.

अध्यक्ष महोदय: इसे निकाल दिया जायेगा। वह हर समय चालू टिप्पणी करते रहते हैं। मुझे यह पसंद नहीं है।

स्वर्ण नियंत्रण

*274. **श्री के० लकप्पा**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजनावद्ध विकास के लिये संसाधन जुटाने की दृष्टि से क्या स्वर्ण-नियंत्रण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रतिबंध लगाने का है कि एक परिवार केवल 20 तोला सोना रख सकता है और इससे अधिक सोने को सरकार ले लेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : **(क) और (ख)** : जी, नहीं। परन्तु, सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं, लाइसेंसधारी व्यापारियों, परिशोधनकर्ताओं, प्रमाणित स्वर्णकारों और अधिकृत औद्योगिक प्रयोगकर्ताओं को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों के अनिर्मित सोना रखने पर पहले ही से रोक लगी हुई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० लकप्पा: योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मोहन धारिया ने 7 मई, 1971 को एक विवरण में बताया था कि एक परिवार को 20 तोला सोना रखने दिया जाना चाहिये और शेष सोना सरकार को ले लेना चाहिये। जहाँ तक स्वर्ण नियन्त्रण का प्रश्न है, क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में उन्होंने सरकार का दृष्टिकोण सामने रखा है; यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास स्वर्ण नियन्त्रण के लिये कोई नये प्रस्ताव हैं और उनकी रूप रेखा क्या है?

* * * अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

* * * Expunged as ordered by the Chair.

श्री के० आर० गणेश: दूसरे सदन में ऐसा ही सुझाव प्रस्तुत किया गया था और योजना आयोग ने राज्य सभा सचिवालय को निम्न प्रकार लिखा है :—

"जैसा कि मंत्री महोदय द्वारा व्यक्त किये गये विचार व्यक्तिगत थे अतः विस्तृत आशय की ओर जाँच किये बिना इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है। किसी मामले में ये उपाय केन्द्रीय सरकार के बजट और रोजकोषीय नीति से सम्बन्धित हैं और अपने स्वरूप के कारण सरकार की स्थिति के बारे में बताने पर ये उपाय रोक लगाते हैं।"

माननीय सहयोगी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह पत्रकारों के साथ अपने निजी दायरे में बात कर रहे थे अतः उनकी बात से सरकार का दृष्टिकोण सामने नहीं रखा गया।

श्री के० लकप्पा: मैं नहीं समझता कि श्री मोहन धारिया जो बात बाहर कहते हैं उसे सदन में कहने से इन्कार करके दोहरी बातें करते हैं। स्वर्ण नियन्त्रण के बारे में सरकार की नीति इस देश में हो रहे सोने के तस्कर व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण करने में असफल रही है। भारत में दुबई तथा अन्य स्थानों पर विभिन्न साधनों द्वारा सोना आ रहा है जो लगभग 400 करोड़ रुपये के बराबर है। अतः इसके कारण इस देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। सोने पर नियन्त्रण करने के लिये अनमने भाव से किये गये उपायों से इस देश और इस सरकार को कभी श्रेय नहीं मिलेगा। सरकार को स्वर्ण नियन्त्रण आदेश रद्द करने पर विचार करना चाहिये और इस बात के लिये और अधिक कठोर उपाय करने चाहिये जिससे कोई भी सोने का प्रयोग न कर सके अथवा इसे स्वर्ण नियन्त्रण आदेश को हमेशा के लिये रद्द कर देना चाहिये। इस पहलू पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री के० आर० गणेश: स्वर्ण नियन्त्रण आदेश को रद्द करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री के० लकप्पा: मेरा दूसरा प्रश्न था : इस देश में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोने का प्रयोग न किये जा सकने के सम्बन्ध में दूसरा कौन सा उपाय कठोरता से क्रियान्वित किया जायेगा क्योंकि वर्तमान स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के होते हुये भी सब लोग सोने का प्रयोग करते हैं और यह आदेश देश में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहा है ? अतः सरकार इस पर नियन्त्रण लगाने के लिये कौन से दूसरे उपाय पर विचार कर रही है और इस पहलू के सम्बन्ध में कौन सा कानून लागू किया जाना है ?

श्री के० आर० गणेश: प्राथमिक सोने पर पहले से ही नियन्त्रण है। प्राथमिक सोने को आयात और इसे रखना पहले से ही निषेध है। स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत कुछ सीमा तक सोने के आभूषण घोषणा के बिना रखने की इजाजत है।

श्री एस० एम० बनर्जी: क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं कि इसका उत्तर उप-मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिये। श्रीमती सुशीला रोहतगी आभूषणों के बारे में ज्यादा जानती हैं। वह श्रेष्ठतर उत्तर देंगी।

श्री के० आर० गणेश: गैर-तस्करी उपाय के लिये स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम बनाया गया था और सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये कई दूसरे उपाय पग उठाये जा रहे हैं।

Shrimati Sahodrabai Rai : The hon. Minister Shri K. P. Ganesh just stated that nobody should be allowed to retain more than 20 tolas of gold. That is bad. If it is done, the quantity of gold in possession of a woman in this country will be

reduced. That gold can be used by her in her hour of need. Therefore, this law should be scrapped.

It will have adverse effect in the interest of women.

Shri K. R. Ganesh : I did not say, an hon. Member has said it.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ण नियन्त्रण के लिये जो उपाय किये गये थे वे उतने प्रभावी सिद्ध नहीं हुये हैं जितनी उनकी उम्मीद थी। अतः जो विशेष प्रश्न मैं पूछना चाहता वह यह है कि क्या सरकार के विचाराधीन प्रोत्साहन देने की कोई ऐसी योजना है जिसके अनुसार सोना रखने वाले मालिक अपने सोने की मात्रा की घोषणा कर सकें अथवा हमारे विकास कार्यक्रमों की सहायता के लिये सोना जमा करा सके।

श्री के० आर० गणेश : यह ऐसा सुझाव है जिस पर सरकार विचार करेगी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं जानकारी चाहता हूँ, सुझाव देना नहीं चाहता हूँ। क्या सोने के मालिकों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे वे अपने सोने की मात्रा की घोषणा कर सकें ?

श्री के० आर० गणेश : इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यदि आप कोई विशेष सुझाव देंगे तो हम निश्चय ही उसका स्वागत करेंगे।

श्री वयालार रवि : तस्कर किया हुआ सोना लोगों और जौहरियों द्वारा बिना किसी उचित रिकार्ड रखे अथवा बिना किसी बिल के बेचा जा रहा है। वे न तो कोई बिल देते हैं और न ही कोई रिकार्ड रखते हैं। क्या सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी ? साथ ही आय-कर अथवा बिक्री-कर अधिकारियों का भी इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। क्या सरकार ऐसे लोगों के लिये, जो बिना किसी बिल दिये अथवा रिकार्ड रखे सोना बेचते हैं, कठोर दंड की व्यवस्था करेगी ?

श्री के० आर० गणेश : यह एक सुझाव है। हम इसे ध्यान में रखेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकान्त झा : क्या यह सही नहीं है कि सभी स्त्रियों में सोने के प्रति आकर्षण होता है और वे अपने लिये सारा सोना, जो उनके पास होता है, रखना चाहती हैं ? एक समय था जब पुरुष भी गहने पहनते थे। अब स्त्रियाँ समाज में समान रूप से भागीदार बनना चाहती हैं और समाजवादी समाज के लिये वे सोने के प्रति आकर्षण को त्यागना चाहती हैं। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में महिला संगठनों का सहयोग लिया है। इस बारे में हमारी सहयोगी श्रीमती मुकुल बनर्जी को एक नोट भेजा गया। वे काम करती रही हैं। क्या सरकार उनका सहयोग लेना चाहती है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम निश्चय ही महिला संगठनों का सहयोग लेना चाहते हैं। यदि वे कोई विशेष सुझाव देंगी तो हम उस पर विचार करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Gold Control Act was enforced in order to stop the smuggling of gold in large quantity from foreign countries into this country. But even to-day the smuggling of gold from foreign countries has not been stopped. What stringent measures the Government is taking to stop it ?

Gold ornaments are luxury items but in adverse times they can be pawned and converted into money to run the household. You may have such experience. Will the Government take specific measures in view of this aspect ?

Mr. Speaker : We face crisis only after a lapse of five years at the time of elections.

Shri Atal Bihari Vajpayee : This time the crisis came after four years. It is uncertain.

श्री के० ग्रार० गणेश : यह सही है कि देश में सोने का काफी तस्कर व्यापार होता है। सरकार ने कानूनी, प्रशासनिक ग्रौर ग्रार्थिक सभी प्रकार के उपाय किये हैं। सीमा शुल्क सम्बन्धी कानून में परिवर्तन कर दिया गया है। हाल ही में वित्त मंत्री ने भी अपने बजट में इस सम्बन्ध में की जाने वाली विशेष कार्यवाही का ब्यौरा दिया है। सीमा शुल्क गृहों को सुदृढ़ बनाने के लिये निरोधात्मक उपाय किये गये हैं। भारत-नेपाल सीमा पर तस्कर व्यापार को रोकने के लिये की जाने वाली कार्यवाही को सुदृढ़ बना दिया गया है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की माँगें

*276. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों की माँगों को, जिनके लिए उन्होंने इस वर्ष मार्च में हड़ताल की थी, इस बीच मान लिया गया है; ग्रौर

(ख) यदि हाँ, तो वे कौन-कौन सी माँगें हैं जिन पर समझौता हुग्रा है ग्रौर जिन पर समझौता होना ग्रभी बाकी है?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ग्रौर (ख) : प्रबंधक वर्ग तथा एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ के बीच कर्मचारियों के कुछ वर्गों के संबंध में, जिनकी संख्या लगभग 8000 है, समझौता हो गया है। ग्रन्य वर्गों के संबंध में बातचीत चल रही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय तथा श्रम ग्रौर पुनर्वास मंत्री श्री ग्रार० के० खाडिलकर के सद् प्रयत्नों द्वारा जब हड़ताल वापिस ली गयी उस समय कुछ ग्राश्वासन दिये गये थे। मैं जानना चाहता हूँ कि इन ग्राश्वासनों का क्या बना तथा क्या ये ग्राश्वासन पूरे किये गये?

डा० कर्ण सिंह : मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि इनका तात्पर्य दिसम्बर की हड़ताल ग्रथवा तालाबन्दी से है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह सारे वर्ष चलती रही।

डा० कर्ण सिंह : मुझे ग्राशा है कि ग्रब फिर ऐसा नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : मार्च की हड़ताल यह तो प्रश्न में ही स्पष्ट है।

डा० कर्ण सिंह : मार्च में तालाबन्दी हुई जिसके बाद हड़ताल हुई।

श्री एस० एम० बनर्जी : हड़ताल बन्द होने से पहले श्रम मंत्री ने कुछ ग्राश्वासन दिये थे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये ग्राश्वासन पूरे किये गये हैं।

डा० कर्ण सिंह : सामान्यत: श्रमिकों ग्रौर प्रबन्धकों के बीच सम्बन्ध सुधर रहे हैं, ग्रौर मुझे ग्राशा है कि बहुत शीघ्र ही नये करार होंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या जे० सी० एम० के ग्रलावा कोई ग्रन्य मशीनरी का गठन नहीं किया जा रहा जो इस बात का ध्यान रखे कि उनकी माँगों पर उचित विचार विमर्श तथा निर्णय हो ताकि उन्हें हड़ताल करने के लिये मजबूर न होना पड़े। राष्ट्र को नुकसान होने के साथ साथ

यात्रियों को भी असुविधा होती है ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी स्थायी मशीनरी का गठन किया जा रहा है जिसके द्वारा श्रमिकों के साथ सम्बन्धों में सुधार हो और भविष्य में कोई हड़तालें न हों।

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य जानते ही हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन पहले ही ऐसी मशीनरी की व्यवस्था है। हम इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार कर रहे हैं। इस हेतु हमने एक समिति की स्थापना की है जो हमें यह परामर्श दे कि श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच सम्बन्ध कैसे सुधारे जावें, यदि उनकी रिपोर्ट में कोई ठोस सुझाव दिये गये तो मैं स्वयं बहुत खुश हूँगा। मैं खुद भी इस बात के लिये इच्छुक हूँ कि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाऐं न हों।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूँ कि यह समझौता दोनों संघों के साथ हुआ अथवा केवल एक के साथ। ऐसा कहा जाता है कि दोनों संघों के परस्पर विरोधी मतों के कारण कुछ कठिनाइयाँ पैदा हुई। एक टेकनिशियन यूनियन है और दूसरा ऐ० सी० ई० यु०। क्या यह समझौता दोनों संघों की स्वीकृति से हुआ था अथवा एक की स्वीकृति ही हुआ था। यदि यह समझौता केवल एक ही संघ की स्वीकृति से हुआ है तो तकनिशियनों से समझौता करने के लिये क्या विचार है ?

डा० कर्ण सिंह : यह समझौता ऐ० सी० ई० यु० के साथ हुआ था और आई० ऐ० टी० ऐ० से बातचीत चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बातचीत में ऐ० सी० ई० यु० कई विवादग्रस्त उपायों के मामले में काफी सहायक सिद्ध हुआ। इस प्रकार इस समझौते से अन्य इकाईयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे आशा है कि अन्य इकाईयों के साथ भी समझौता हो जावेगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या ऐसा स्थायी प्रबन्ध करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं जिसके होते हुऐ भविष्य में कोई हड़तालें न हों।

डा० कर्ण सिंह : मैं कह चुका हूँ कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में विवादों को निपटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है।

श्री बी० एस० मूर्ति : मेरा तात्पर्य मंत्रालय से है।

डा० कर्ण सिंह : मैं मंत्रालय को इस बीच नहीं लाना चाहता लेकिन मैं यह आशा रखता हूँ कि निगम स्वयं अन्य इकाई के साथ काम करने का प्रबंध करेगा। हमने समिति की स्थापना की है जो ऐसे निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगी।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : क्या मैं जान सकता हूँ कि हड़ताल तथा तालाबन्दी के कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

डा० कर्ण सिंह : मैं कह चुका हूँ कि पिछले वर्ष कई हड़तालें हुई जिनका निगम के ऊपर उलटा प्रभाव पड़ा। इस तालाबन्दी से निगम को 1.24 करोड़ रु० की हानि हुई।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : कितनी राशि की कीमत पर निगम से समझौता हुआ ? इस समझौते के फलस्वरूप कितने मूल्य की सुविधाएँ कर्मचारियों को दी गयीं ?

डा० कर्ण सिंह : समझौता 1969–70 से लेकर 1972–73 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिये था और व्यय में इन वर्षों के बीच बटेगा। मूल्य के बारे में मैं कोई निश्चित आंकड़े नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्य समझौते के आर्थिक पहलू के बारे पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि समझौते

का आर्थिक पहलू भी तीन वर्षों में बटेगा और निश्चित आंकड़े देना मेरे लिये सम्भव नहीं। लेकिन जो कुछ भी है, मुझे इस बात की खुशी है कि समझौता हो गया है क्योंकि यह कर्मचारियों तथा निगम दोनों के हित में है।

भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर भाड़े में वृद्धि

*277. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान-अरब और फारस की खाड़ी-जापान सम्मेलन में यह निर्णय किया गया है कि 1 जून, 1971 से भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर माल भाड़ा 12.5 प्रतिशत बढ़ाया जाये,

(ख) क्या इस वृद्धि से जापान और हांगकांग को होने वाले भारतीय निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) :(क) जी हाँ। तथापि सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वृद्धि 1 जुलाई, 1971 से प्रभावी होगी।

(ख) पोतपरिवहन भाड़ा उन कारणों में से एक कारण होने से जो देश के विदेशी व्यापार पर प्रभाव डालते हैं, इस वृद्धि से हमारे निर्यात की प्रतियोगिता के घटने की संभावना है। तथापि इस समय यह बताना कठिन है कि इस वृद्धि से जापान और हांगकांग को होने वाले हमारे निर्यात पर किस हद तक विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(ग) पोत परिवहन सम्मेलनों की ओर से यह अनुरोध किया जा रहा है कि कान्फ्रेन्स लाइन के साथ परामर्श तथा विचार विमर्श के दौरान हाल ही में बहुत से लाइनर व्यापारों के परिचालन खर्चों में अभूतपूर्व पैमाने पर वृद्धि हुई है और सरकार ने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया है कि कम से कम भाड़ा दरों में कुछ न कुछ स्थिरता रखी जाये तथा वृद्धि, यदि उचित हो, की दर को जो यथासंभव निम्न स्तर पर रखा जाये तथा विशेषकर यह सुनिश्चित करने के लिये कि हमारे निर्यात की संवेदी वस्तुओं पर प्रायः कुप्रभाव न पड़े। इस उद्देश्य से भाड़ा जाँच ब्यूरो ने अखिल भारतीय पोतवणिक परिषद को सम्मेलन के साथ हुये उनके विचार विमर्श के दौरान उनका समर्थन किया। फलतः वृद्धि की दर 15 प्रतिशत से घटकर 12.5 प्रतिशत हो गयी तथा खली को इस वृद्धि से पूर्णरूप से छूट दी गई। सम्मेलन ने सिद्धान्त रूप से संवेदी वस्तुओं को पोतवणिकों के द्वारा इसके लिये उचित रूप से मामला तैयार करनें पर विशेष रियायत दी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल दो वर्ष पहले माननीय मंत्री ने एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया था कि भारत-ब्रिटेन-महाद्वीपीय सम्मेलन ने भाड़े की दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है। अतः प्रतीत होता है कि पूर्व और पश्चिम दोनों ओर हमारे व्यापार में भाड़े की वृद्धि हो रही है। योजना के सन्दर्भ में जिस पर हम बजट में विचार कर रहे हैं, हम भाड़े पर जो हम विदेशी पोतपरिवहनों को देते हैं, प्रति वर्ष कितना रु० व्यय करते हैं? कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

श्री राज बहादुर : मुझे खेद है कि बिना सूचना के में दिये गये भाड़े की राशि के आंकड़े नहीं दे सकूंगा क्योंकि ये आंकड़े मेरे पास यहाँ नहीं है, लेकिन यह सच है कि दूसरे सम्मेलन ने

भी दरें बढ़ा दी हैं, इस वृद्धि को हमने पहली बार अनुभव किया क्योंकि नौभरक, पतन, पोत तथा ईंधन आदि के व्यय भी बढ़ रहे हैं। हम नियंत्रित किये जाने तथा अनियंत्रित किये जाने वाले व्ययों के बीच भेद करना चाहते हैं। उदाहरण के लिये ईंधन व्यय को ही ले लीजिये। यदि ईंधन व्यय बढ़ता है तो वे दर भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम भाड़े की दरें बढ़ा सकते हैं वे भी ईंधन व्यय बढ़ने पर दरें बढ़ा सकते हैं। 11 तथा 12 तारीख को जाने वाला हमारा प्रतिनिधि मंडल इन्हीं बातों पर दबाव डालेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह स्थिति उस समय तक चलती रहेगी जब तक भारतीय पोतपरिवहन निम्न स्तर पर रहेगा। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के विचाराधीन स्वदेशी पोतपरिवहन निर्मित करने सम्बन्धी कोई कार्यक्रम है ताकि हर समय हम विदेशी जहाजों पर निर्भर न करें।

श्री राजबहादुर : हम अपने पोतपरिवहन सम्बन्धी सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयत्न करते आ रहे हैं और हमने काफी प्रगति कर ली है, पिछले वर्ष ही हमने 6.05 लाख टन डी० डब्ल्यु० टी० का क्रयादेश दिया है। जहाँ तक लाईनर कान्फ्रेन्स पर हमारी निर्भरता का सम्बन्ध है ये अस्पष्ट हैं तथा ये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभदायक सिद्ध होते हैं क्योंकि उनकी सेवाएँ, दर तथा नियमितता स्थिर है, जिसे हमारा अपना पोतपरिवहन भी प्रदान नहीं कर सकता। इस लिये हम लाईनर कान्फ्रेन्स के सदस्य बन गये हैं और फिर भी हम अपने देश के हित में उन्हें अधिक से अधिक अनुशासित करने का प्रयत्न करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप कान्फ्रेन्स के सदस्य हैं?

श्री राजबहादुर : हम इनमें से कुछ कान्फ्रेन्सों के सदस्य हैं।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार: हम जापान को काफी मात्रा में लौह-अयस्क का निर्यात करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अतिरिक्त व्यय को निर्यातक के नाते हम वहन करेंगे अथवा जापान?

श्री राजबहादुर : इस सारी वृद्धि से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी जिसे सहन करने के लिये ग्राहक हमेशा तैयार रहता है। कुछ मामलों में विक्रेता को भी यह सहना पड़ता है। अतः यह कहना मुश्किल है। मैं पहले कह चुका हूँ कि इस समय यह कहना मुश्किल है कि इसका निर्यात पर काफी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह भारत से जापान निर्यात करने सम्बन्धी द्विपक्षीय समझौते पर आधारित है।

भारतीय रुपये के मूल्य में ह्रास

*278. **श्री वीरेन दत्त** : **श्री चन्द्रिका प्रसाद** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान विदेशों के खुले बाजार में भारतीय रुपये का मूल्य गिरा है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत से बाहर खुले बाजार में रुपये की वर्तमान विनिमय दर क्या है; और

(ग) भारतीय रुपये का मूल्य गिरने के क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) : भारतीय रुपये के सम-मूल्य में 6 जून, 1966 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात् तब से यह 13.33 अमरीकी सेण्ट है।

भारतीय रुपये की स्थिति जैसा कि भारत के व्यापारिक घाटे में हुई भारी कमी तथा उसकी प्रारक्षित निधियों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि से स्पष्ट होता है, पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अधिक मजबूत है। विदेशी मुद्रा के अधिकृत लेन-देन सम-मूल्य से एक प्रतिशत की अनुमत दर के अन्दर-अन्दर किये जाते हैं। चूंकि अनधिकृत लेन-देन सीमान्तिक और छुट-पुट किस्म के होते हैं इसलिए इनकी दरें समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं, जिसके कारण ऐसी किसी निश्चित दर के बारे में बताना सम्भव नहीं है जिसे भारत से बाहर होने वाले अवैध लेन-देनों की दर कहा सके।

श्री बीरेन दत्त : क्या यह सच है कि भारतीय आयात तथा निर्यात के एकाधिकार व्यापारियों द्वारा आयात के अधिक राशि के बीजक तथा निर्यात के कम राशि के बीजक बनाये जाने के परिणाम स्वरूप विदेशों में बड़ी मात्रा में काला धन जमा हो जाने के कारण भारतीय रुपये का मूल्य घट गया है?

श्री यशवंतराव चव्हाण : बात यह है कि भारतीय रुपये का मूल्य नहीं घटा है।

श्री बीरेन दत्त : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि डालर, जिसका मूल्य घट रहा है, से निकट सम्बन्ध होने के कारण रुपये का मूल्य घट रहा है?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जैसे कि मैंने कहा मैं माननीय सदस्य की यह बात नहीं मानता कि रुपये का मूल्य घट रहा है।

रेलवे द्वारा रियायतों की प्रस्तावित समाप्ति का पर्यटन पर प्रभाव

*280. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विमान, देश में पर्यटक स्थल देखने के लिए रेल द्वारा यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को इस समय उपलब्ध रियायतों को समाप्त करने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग के साथ परामर्श किया गया है और यदि हाँ, तो उनके विचार क्या हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा इन रियायतों को समाप्त कर दिये जाने का देश में पर्यटन पर क्या असर पड़ेगा?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० सरोजिनी महिषि) : (क) : जी, हाँ। रेलवे द्वारा विदेशी पर्यटकों को मिलने वाली निम्नलिखित रियायतें, प्रत्येक के आगे दिखाई गई तारीख से, समाप्त की जा रही हैं क्योंकि पर्यटन की अभिवृद्धि में इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध नहीं हुआ है :—

(i) वातानुकूलित श्रेणी के किराए में 15 % रियायत। इसे 1–10–1971 से समाप्त किया जा रहा है।

(ii) "इच्छानुसार यात्रा" टिकटें जो कि एक मुश्त में 806 रुपये भुगतान करने पर वातानुकूलित अथवा प्रथम श्रेणी में महीने भर यात्रा करने के लिए प्राप्य हैं। इसे 1–9–1971 से समाप्त किया जा रहा है।

(ख) : जी, हाँ। रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तुत तर्कों को पर्यटन विभाग ने स्वीकार कर लिया है।

(ग) : रियायतें समाप्त करने से पर्यटन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

Shri R. S. Pandey : Since tourism is one of the potent foreign exchange earner it is necessary to encourage the inflow of foreign tourists and give them the maximum facilities. I want to know the reasons for taking this decision ? Did the Railways consult the Tourism Department for withdrawing the facilities provided to the foreign tourists, if not, what were the reasons ?

Dr. Sarojini Mahishi : We were consulted and gave this advice because there are no benefits from these facilities. During 1970-71, 398 persons benefited from the exemption of 15 percent and only 75 persons benefited from the ticket, 'travel as you like'. The reason is that the foreign tourists mostly like to travel by air and they do not like to travel by train.

Shri R. S. Pandey : Foreign tourists in India do not know about the various facilities being provided by the various Departments. May I know whether the hon. Minister has approached the toursit agencies with a view to publicising the various facilities ? What are the results of the efforts, if any made by you, if not, the reasons therefor ?

Dr. Sarojini Mahishi : Facilities were publicised on a large scale both within and without the country. Therefore, it is incorrect to say that they were not aware of the facilities.

Shri N. K. Sinha : May I know whether they consulted the organisations like tourist agencies about the advice sought by the Railways and given by them ?

Dr. Sarojini Mahishi : Consultations on all these things were held and the Tourist Development Council also discussed this issue. Later on when it was not found beneficial, we concurrsd with the Railways in the withdrawal of these facilities.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Hippies are coming in large numbers to India. May I know whether Ministry of Tourism have considered the matter of providing additional facilities to them with a view to increasing their number or whether the Government wants to curtail their number ?

Dr. Sarojini Mahishi : Facilities are on the increase. But the facilities, which are neither benefiting our foreign exchange nor the tourists, have been dropped. Other. wise efforts have been made to increase the facilities. Facilities for hotel accomodation, inland travel and air travel have been provided and publicised.

सहायता के लिये जापान के साथ करार

*283. **श्री आर० कडनापल्ली** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-परियोजना वस्तुएँ तथा रसायन खरीदने हेतु भारत को येन ऋण देने के लिये भारत और जापान के मध्य कोई करार हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) जापान से वस्तुओं, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं, संघटकों, फालतू पुर्जों, इस्पात के रोलों आदि तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए मशीनों के आयात की वित्त व्यवस्था करने

के लिए जापान के आयात-निर्यात बैंक और कुछ अन्य जापानी बैंकों के साथ 20 अप्रैल, 1971 को 19.04 करोड़ रुपये (253.90 लाख डालर) के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

सात वर्ष की रियायती अवधि सहित, यह ऋण 20 वर्षों में वापस किया जाना है और इस पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।

शहरी आय की अधिकतम सीमा निश्चित करना

*284. **श्री श्यामनन्दन मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि भूमि की अधिकतम सीमाओं सम्बन्धी कानून के समान, शहरी आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सरकार का विचार है, और

(ख) अधिकतम शहरी आय का स्तर क्या है और इस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या कितने प्रतिशत है?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क): यद्यपि औपचारिक रूप से कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, फिर भी 1970–71 के बजट में व्यक्तिगत आय-कर और सम्पत्ति कर की दरों में किये गये परिवर्तनों और 1971–72 के बजट में इन दरों में और अधिक संशोधनों के प्रस्तावों के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरूप शहरी आमदनियों की अधिकतम सीमा, वस्तुत: निर्धारित हो गयी है।

(ख): कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है किन्तु आयकर सम्बन्धी सबसे हाल के आंकड़ों के अनुसार, जिनका सम्बन्ध वर्ष 1966–67 से है, 1966–67 के वित्तीय वर्ष में एकल व्यक्तियों के रूप में केवल 207 करदाता ऐसे थे जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये अथवा उससे अधिक थी; और उनकी वार्षिक औसत कर-पूर्व आय 9.9 लाख रुपये बैठती थी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या नियोजित शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के ढांचे पर आय सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय नीति बनायी है?

श्री यशवंतराव चव्हाण: औपचारिक रूप में आय सम्बन्धी कोई भी राष्ट्रीय नीति नहीं है। लेकिन हमने राजकोषीय नीतियाँ बनायी हैं जो अधिकतम सीमा को प्रभावित करती हैं। हमारे बजट प्रस्तावों द्वारा आय पर सीमा निर्धारित हो गयी है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: क्या आय सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के सन्दर्भ में निम्नतम तथा उच्चतम वर्ग की बात विचाराधीन है?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: जब आप राष्ट्रीय नीति की बात करते हैं तो विभिन्न श्रेणियों पर विचार करना पड़ता है। उदाहरणत: ग्राम्य क्षेत्रों के लिये हम भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रहे हैं। हम जमीन की आय पर सीमा निश्चित करने की बात पर विचार नहीं कर रहे क्योंकि सम्भवत: जमीन के उत्पादन में वृद्धि होगी। अत: आय पर सीमा निर्धारित करने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बजट प्रस्तावों के फलस्वरूप, जो सम्पत्ति की मात्रा पर निर्भर करते हैं, हम कुछ सीमा निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। वेतन की आय की सीमा शहरी सम्पत्ति की अपेक्षा कुछ अधिक होगी। अगर कोई शहरी सम्पत्ति पर निर्भर करता है तो सीमा कम होगी। यह सामान्य तरीका है। हमने आय पर कोई निश्चित सीमा नहीं निर्धारित की है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस बात को जानती है कि लोगों के बीच ऐसी भावना है कि शहरी तथा ग्राम्य ग्राय के बीच कोई भी ग्रापसी सम्बन्ध नहीं है ग्रौर गाँवों में एक प्रकार का समाजवाद है तथा शहरों में पूँजीवाद ?

श्री यशवंतराज चव्हाण : मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी भावना बनी हुई थी। लेकिन इस बात का उत्तर हम हर बजट में देते ग्रा रहे हैं कि शहरी सम्पत्ति पर भी सीमा लगायी जाय ग्रौर इसीलिये मैं कहता हूँ कि गत वर्ष तथा इस वर्ष के बजट द्वारा शहरी सम्पत्ति पर ग्रप्रत्यक्ष रूप से सीमा लग गयी है।

Shri R. C. Vikal : I wan to know from the hon. Minister whether he intends to impose a ceiling on urban property on the basis of the income derived from the land covered by ceiling on land.

Shri Y. B. Chaavn : I was saying that we are putting ceiling on urban property through budgetary and other measures.

Shri Bibhuti Mishara : The question is whether the ceiling on urban property will be imposed on the lines at the ceiling on the lands ?

Shri Y. B. Chavan : We hope to do so. We said that and it is also our policy to put ceiling on urban property. This is our policy. जहाँ तक मेरे दल का सम्बन्ध है इसने शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है ग्रौर जो सुझाव हमने राज्य सरकारों को भेजे हैं उनमें हमने 5 लाख रु० के ग्राँकड़ों का उल्लेख किया है।

Shri R. C. Vikal : I got the impression from what was said by the hon. Minister that he is going to put ceiling on land and not on its produce. Does it mean that the hon. Minister thinks that..........

Mr. Speaker : You may discuss it privately, why are you bringing it in the question hour. ?

Shri Atal Bihari Vajpayee: In the matter of imposing ceiling it is necessary to determine the ratio between the highest and the lowest incomes.

Shri Y. B. Chavan : Certain suggestions have been issued in this regard. मैं यह नहीं कहता कि सरकार यह नहीं सोचती है कि ग्रधिकतम् तथा न्यूनतम के बीच कोई सम्बन्ध होगा। लेकिन हमने ग्रब तक कोई निश्चित सम्बन्ध स्थापित नहीं किये हैं।

पर्यटकों के ठहरने के लिए सस्ते होटलों की कमी

*285. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों के ठहरने के लिए सस्ते होटलों की भारत में बहुत कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बड़ी संख्या में ग्राने वाले विदेशी **पर्यटकों** के लिए ग्रावास की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने इस प्रकार के ग्रनेक **होटल** स्थापित करने ग्रौर उनकी स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनाई है; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो ऐसी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) : जी, हाँ। पर्यटकों के लिये उपयुक्त सस्ते होटल ग्रावास की व्यवस्था की ग्रावश्यकता को

पर्यटन विभाग स्वीकार करता है और विभाग ने देश में **विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर** पर्यटक बंगलों, यात्री लॉजों तथा **कैंटीन-व-विश्राम गृहों** का निर्माण किया है। इनका परिचालन अब सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम, भारत पर्यटन विकास निगम, द्वारा किया जा रहा है। बराबर की वित्तीय हिस्सेदारी में केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कई पर्यटक बंगलों (श्रेणी II) का भी निर्माण किया गया है। स्वैच्छिक तथा युवक संगठनों को भी मध्यम आय वाले विदेशी पर्यटकों के लिये विशेष आवास की व्यवस्था करने के लिये अनुदान दिया गया है। स्वच्छ एवं सस्ते आवास की व्यवस्था करने के लिये चालू योजना के दौरान आठ नये युवा होस्टलों के निर्माण करने का प्रस्ताव है। भारत पर्यटन विकास निगम की भी मध्यम आय वाले पर्यटकों की आवश्यकता-पूर्ति के लिये तीन मोटलों के निर्माण की योजना है।

श्री० डी० डी० देसाई : होटलों में आरक्षण करवाने के लिए पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जम्बों जैट की सेवा आरम्भ हो जाने के बाद तो पर्यटकों में और भी वृद्धि होगी। क्या सरकार ने जम्बों जैटों से आने वाले विदेशी पर्यटकों के आवास की उचित व्यवस्था कर ली है ?

डा० सरोजिनी महिषी : जी हाँ, हम इस बात के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं कि अधिक से अधिक आवास की सुविधायें उपलब्ध करवाई जा सकें और विशेषतया अब जब कि जम्बो जैट सेवा आरम्भ कर दी गई है। इसके लिए हम सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनमें से कुछ ने तो निर्माण-कार्य भी आरम्भ कर दिया है।

श्री डी० डी० देसाई : क्या एक ओर आवास की प्रत्याशित कठिनाईयों और दूसरी ओर भारत से बाहर जाने वाले यात्रियों पर विदेश यात्रा कर के लगाये जाने के बावजूद भी एयर इण्डिया को कोई लाभ होने की संभावना है ?

डा० सरोजिनी महिषी : कई एक बातें ऐसी हैं जिनकी इस अवस्था में अभी कोई आवश्यकता नहीं है। एयर इण्डिया और सम्बद्ध मंत्रालय दोनों ही निरन्तर इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक से अधिक सुविधायें जुटाई जा सकें। पर्यटन को सभी प्रकार से प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जा रहा है चाहे उसका सम्बन्ध हवाई अड्डे से सम्बद्ध सुविधाओं से हो, चाहे देश में ही हवाई यात्रा करने से या होटलों में अच्छी आवास सुविधायें जुटाने से।

श्री के० सूर्यनारायण : विवरण में कहा गया है कि विभिन्न स्थानों पर युवक छात्रावास और मोटल बनाने की योजना है। उन स्थानों के नाम क्या है जहाँ इस प्रकार के युवक छात्रावास और मोटल बनाने का विचार है।

डा० सरोजिनी महिषी : जम्मू, वाराणसी और सिलीगुडी में मोटल बनाये जा रहे हैं। जम्मू में तो इनका शिलान्यास भी किया जा चुका है और अन्य दोनों स्थानों पर भी जल्दी ही शिलान्यास किया जा रहा है। युवक छात्रावास अन्य आठ या दस स्थानों पर बनाये जायेंगे। अगर आप किसी राज्य विशेष के बारे में पूछना चाहें, तो मैं उन्हें नाम बता सकती हूँ।

श्री के० लकप्पा : कई भागों में विशेषतया मैसूर राज्य और देश के दूसरे दक्षिणी भागों में कम खर्चीले होटलों के आवास सम्बन्धी निर्माण में विलम्ब हुआ है। स्थलों का आवंटन करने और अभिग्रहण कार्यवाही आरम्भ करने में विलम्ब हुआ है। क्या भारत सरकार तथा पर्यटन विभाग इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रभावशाली कार्यवाही करने का विचार करेगा

ताकि उक्त प्रकार के होटलों के निर्माण के लिए शीघ्र ही भवन स्थलों का आवंटन किया जा सके।

डा० सरोजिनी महिषी : मुझे मालूम नहीं है कि आप इस समय कौन से स्थल की बात कर रहे हैं, परन्तु जहाँ तक मैसूर का सम्बन्ध है, हाम्पी में हम एक युवक छात्रावास बना रहे हैं क्योंकि वह स्थान पर्यटकों के आकर्षण का एक अच्छा केन्द्र है। इसके साथ ही माननीय सदस्य को यह मालूम है कि हासन और बीजापुर में एक पर्यटन बंगला है। बंगलौर में नया अशोक होटल बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य महोदय इससे भली भाँति अवगत है।

श्री के० लकप्पा : मंत्रालय, देश के विभिन्न भागों और विशेषतया मैसूर राज्य में और अन्य दक्षिणी भागों में पर्यटकों के आकर्षण के लिए कम खर्च वाले होटलों की आवास सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए टेकरी को ही लीजिये। वहाँ अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही करने में विलम्ब के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है।

डा० सरोजिनी महिषी : हाम्पी स्थित युवक छात्रावास की स्थापना करने का उद्देश्य यह है कि देश के अन्दर यात्रा करने वाले लोगों को सस्ते मूल्यों पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम ही है, राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण करनी होती है और उस भूमि को निर्माण हेतु पर्यटन विभाग अथवा भारत पर्यटन विकास निगम को सौंपना होता है। अतः इसमें कभी कभी राज्य सरकारों की ओर से विलम्ब हो जाता है। फिर भी यह मामले शीघ्रता पूर्वक निपटाये जा रहे हैं।

तमिलनाडु में छोटे पत्तनों का विकास

*287. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी **पंचवर्षीय योजना** के दौरान तमिलनाडु में छोटे पत्तनों के विकास के लिये केन्द्र द्वारा अनुमोदित योजनाओं की मुख्य बातें क्या है,

(ख) उक्त **पत्तनों के विकास** पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने को लिये राज्य की किस प्रकार की तथा कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तमिलनाडु में **कुड्डालूर पत्तन** का चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में विकास किया जा रहा है। कार्यों में नदी **साध कार्य आर सी सी जेटी** का निर्माण और पनकट दीवार और निकर्षण शामिल है।

(ख) चौथी योजना काल में 89 लाख रुपये।

(ग) 89 लाख रुपये को संपूर्ण स्वीकृत लागत राज्य सरकार को ऋण के रूप में दी जायेगी।

श्री एम० कतामुत्तु : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मद्रास सरकार ने, केन्द्र संचालित योजनाओं में शामिल करने के लिए कोई योजनायें भेजी थीं और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्री राज बहादुर : राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सितम्बर, 1968 में यह निर्णय किया था कि कुछ ठोस परिणाम प्राप्त करने और ठोस प्रगति करने के लिए हमें अपना ध्यान केवल कुछ एक योजनाओं पर ही केन्द्रित करना चाहिये ताकि उससे सम्बद्ध यातायात पर आसानी से नियंत्रण किया जा सके। क्योंकि कड्डालूर के लिए हमें बलेरी से 5 लाख टन लौह-अयस्क प्राप्त होने की आशा है और 1 लाख टन कोयला और 5,0,000 टन अन्य नौभार प्राप्त होने की आशा है, अतः हम अन्य योजनाओं की अपेक्षा कुड्डालूर की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

श्री एम० कतामुत्तु : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार नागापट्टनम को भी इस में सम्मिलित करने का विचार कर रही है क्योंकि यह तामिलनाडु का एक महत्त्वपूर्ण पत्तन है और प्रत्येक मास यहाँ हजारों यात्री जहाजों में चढ़ते रहते हैं।

श्री राज बहादुर : छोटे तथा मध्यम पत्तनों के बारे में कई दावे तथा प्रति दावे पेश किये गये हैं। छोटे पत्तनों का उत्तरदायित्व तो निश्चय ही राज्य सरकारों का ही होता है। जहाँ तक मध्यम पत्तनों का सम्बन्ध है; हम भी उनके विकास के लिए, स्वीकृत योजनाओं में सम्मिलित होते हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार ही हमें ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए, हमें केवल कुछ सीमित पत्तनों और कुछ योजनाओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।

जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे गये शेयर

*289. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1969 के अप्रैल, 1971 तक आयरन एण्ड स्टील कम्पनियों के कितने शेयर खरीदे थे;

(ख) सट्टेबाजी के इन सौदों में कुल कितना धन लगा है; और इन शेयरों को खरीदने का निर्णय करने के क्या कारण है; और

(ग) जीवन बीमा निगम को उपरोक्त सौदों से क्या विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) : एक विवरण पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1969 से अप्रैल, 1971 तक की अवधि में जीवन बीमा निगम ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के दस दस रुपये के सामान्य शेयर 20 लाख और 5 प्रतिशत कर-मुक्त संचयी तरजीही शेयर 830 खरीदे। इस अवधि में अन्य किसी लोहा तथा इस्पात कम्पनी के शेयर नहीं खरीदे गये।

(ख) और (ग) : **सामान्य शेयरों का लागत मूल्य 2.01 करोड़** रुपये और **तरजीही शेयरों** का 54,580 रुपये था।

जीवन बीमा निगम की निवेश नीति यह है कि अच्छा लाभ मिलने के साथ साथ पूंजी की सुरक्षा भी बनी रहे। जीवन बीमा निगम ने उक्त खरीदारियाँ कम्पनी के लाभांश रिकार्ड को तथा निवेश से होने वाले वर्तमान लाभ एवं भावी सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर की हैं। इन खरीदारियों को सट्टे का सौदा नहीं माना जा सकता। वास्तव में ये शेयर बीमा अधिनियम (जैसा

वह जीवन बीमा निगम को लागू होता है) की धारा 27 ए के अन्तर्गत अनुमोदित निवेशों में से हैं।

Shri Sat Pal Kapur : Mr. Speaker, Sir, I would like to know the cost on which these shares were purchased and what was their market price ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : यदि आप विवरण को पढ़ें, तो उसमें (ख) और (ग) के उत्तर में कहा गया है कि सामान्य शेयरों का मूल्य 1.01 करोड़ रुपये था और तरजीदी शेयर 24,580 रुपये के मूल्य के थे। जीवन बीमा निगम की पूंजी निवेष नीति यही होती है कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुये उससे अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त की जा सके और जीवन बीमा निगम ने इन कम्पनियों के लाभांश के रिकार्ड, उनकी वर्तमान आय और आय की भावी संभावनाओं का पूर्ण लेखा जोखा करने के बाद ही ये शेयर खरीदे थे।

Shri Sat Pal Kapur : Whether the Government purchased the shares of these companies previously also or it wants to purchase them now, because Goyanka is always being saved by the L. I. C. ?

Shri Y. B. Chavan : The shares are purchased where there is profit and then if a Company is under the control of public Sector, that is also good.

Shri Sat Pal Kapur : Then why do not purchase hundred percent shares ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी ऋण की बकाया राशि

*273. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर विदेशी ऋण की वर्तमान बकाया राशि क्या है;

(ख) इस ऋण के भुगतान पर प्रतिवर्ष कितना व्यय करना पड़ता है;

(ग) ऋण चुकाने की समय-अनुसूची की मुख्य रूप रेखा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना ब्याज दिया जा चुका है; और

(ङ) यदि कोई पुनर्विलोकन किया गया है तो तत्सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) पहली अप्रैल, 1971 को बकाया ऋण :	**करोड़ रुपयों में**
1. सीधे विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले ऋण	5,528.9
2. माल के निर्यात द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण	497.0
3. विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले कुल ऋण (1+2)	6,025.9
4. भारतीय रुपयों में चुकाये जाने वाले ऋण	1,783.5
5. कुल जोड़ (3+4)	7,809.4

(ख) से (घ) : ऋणों की वापसी—अदायगी, प्रत्येक ऋण पर लागू होने वाले ऋण-परिशोधन कार्यक्रमों के अनुसार की जाती है। ऋणों की वापसी की अवधि अलग-अलग ऋणों के लिए अलग-अलग होती है। यहाँ तक कि कुछ ऋणों की वापसी की अवधि 50 वर्ष तक होती है जिसमें कुछ मामलों में 1 से 10 वर्ष तक की रियायती अवधि भी शामिल होती है। किसी ऋण

के ब्याज की रकम, मूलधन की बकाया रकम और ऋण-करारों में निर्धारित ब्याज की दर के आधार पर आँकी जाती है। चूंकि, प्रत्येक ऋण के ब्याज की दर अलग-अलग निर्धारित की जाती है, इसलिये वापसी-अदायगियों की वास्तविक रकम शुद्ध बकाया रकमों पर निर्भर करती है तथा यह रकम सम्बद्ध अवधि के दौरान की गई निकासियों में से कुल वापसी-अदायगियों की रकम घटाने के बाद निकलने वाली रकम पर आधारित होती है। अतः विदेशी ऋणों का परिशोधन सम्बन्धी वार्षिक खर्च भिन्न-भिन्न वर्षों के लिए भिन्न-भिन्न होता है। 1968–69 से 1970–71 तक के तीन वर्षों में मूलधन की वापसी और ब्याज की अदायगी की रकमें नीचे दी गयी हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मूलधन	ब्याज
1968–69	263.8	181.0
1969–70	299.0	191.6
1970–71	309.8	198.0 (अनुमानित)

(ङ) : मुख्यतः पहले के वर्षों के ऋणों की अपेक्षाकृत कड़ी शर्तों के परिणामस्वरूप वापसी-अदायगियों की रकम काफी अधिक होने के कारण विश्व बैंक ने 1967 में मामले की समीक्षा किये जाने की व्यवस्था की थी और इस समीक्षा के आधार पर, 1968–69 से 1970–71 तक के तीन वर्षों के दौरान सहायता संघ के सदस्यों ने ऋण-राहत रूप में निम्नलिखित रकमों की व्यवस्था की थी :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	रकम
1968–69	76.19
1969–70	80.27
1970–71	85.55

1971–72 के लिये भी ऋण-राहत के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया के बोइंग 707 का जल जाना

*275. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जनवरी, 1971 को सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया का बोइंग 707 विमान उड़ान लेते समय पूर्ण रूप से जल गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ग) क्या इस घटना के कारणों की जाँच की गई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हाँ।

(ख) : विमान का छः करोड़ रुपये का बीमा हुआ था, जो राशि बीमाकर्ताओं से प्राप्त कर ली गयी है।

(ग) : नागर विमानन विभाग के वैमानिक सुरक्षा निदेशक द्वारा इसकी जाँच की गयी थी। उसका जाँच-परिणाम यह है कि जब तीन-इंजन वाले विमान की उड़ान भरने की तकनीक का प्रदर्शन किया जा रहा था तो विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और विमानचालक ठीक-ठीक उपचारात्मक प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहा।

भारत में सोने का चोरी-छिपे लाया जाना

*279. **श्री ए० के० साहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1963 के अधिनियमन से पूर्व भारतीय सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के लगभग बराबर था;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय सोने का मूल्य कितना है;

(ग) क्या सोने के वर्तमान अधिक मूल्य के परिणामस्वरूप तस्करी करने वालों को बाजार में सोने की बिक्री से मोटा मुनाफा मिल रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो उपर्युक्त अधिनियम के लागू किये जाने के बाद देश में चोरी छिपे अनुमानतः कितना सोना लाया गया; और

(ङ) सोने की तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) चूंकि दिसम्बर 1962 में भारत में सोने का मूल्य प्रति 10 ग्राम 53. 58 रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के मुकाबले में प्रति 10 ग्राम लगभग 104.75 रुपये था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 1963 में स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के लागू होने से पूर्व भारत में सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के लगभग बराबर था।

(ख) 1971 के मई महीने में बम्बई में सोने का प्रचलित मूल्य प्रति 10 ग्राम 195 रुपये तथा 202 रुपये के बीच रहा है जबकि लन्दन में मई 1971 में खुला बाजार मूल्य प्रति 10 ग्राम 96.16 रुपये और 98.50 रुपये के बीच रहा।

(ग) जी, हां।

(घ) इस बारे में अनुमान लगाने के कोई विश्वसनीय साधन नहीं है कि 1963 में स्वर्ण नियन्त्रण लागू होने से पूर्व अथवा उसके पश्चात् भारत में चोरी-छिपे कितनी कीमत का सोना लाया गया। तथापि, सोने के काफी मात्रा से हो रहे तस्कर-व्यापार से सरकार पूर्णतया अवगत है।

(ङ) निषिद्ध माल, जिसमें सोना भी शामिल है, के तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : सूचना एकत्र करने और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की व्यवस्था, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर-आयात-निर्यात करने का सन्देह है उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्र-तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था। वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात पर विशेष रूप से निगरानी रखने के निमित्त सीमाशुल्क समाहर्ताओं, सीमाशुल्क अतिरिक्त समाहर्ताओं तथा सीमाशुल्क सहायक समाहर्ताओं की श्रेणी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रूप में सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएँ की गई है। एकत्रित की गई सूचना के आधार पर समुचित कार्रवाई करने के लिए स्थिति की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है

कुल्लु में विमान दुर्घटना

*281. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अप्रैल, 1971 को कुल्लू में हुई एक विमान दुर्घटना जिसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, की जाँच का आदेश दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है जिसमें दुर्घटना के सम्भावित कारणों का व्यौरा दिया गया हो; और

(ग) क्या यह सच है कि विमान ने हवाई अड्डे से ऐसे समय उड़ान आरम्भ की थी जब दृष्यता बहुत कम थी और यदि हाँ, तो विमान को उड़ान करने की अनुमति कैसे दी गई थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जी, हाँ। जाँच-कार्य अभी चल रहा है।

फ्लाइंग क्लबों के बन्द होने की आशंका

*282. **श्री बी० के० मोदक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लाइंग क्लबों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कम करने के सरकारी निर्णय के कारण देश के फ्लाइंग क्लबों के बन्द होने की नौबत आ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार के उपर्युक्त निर्णय के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा फ्लाइंग क्लबों को इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा है कि वे पुष्पक प्रशिक्षण विमान ही खरीदें और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, नहीं। फ्लाइंग उपदान योजना में शामिल फ्लाइंग क्लबों के लिये निर्धारित उपदान एवं राज्यकीय आर्थिक सहायता में कोई कमी नहीं की गई है।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : जी, नहीं। किन्तु पुष्पक अपनी श्रेणी का एक-मात्र प्रशिक्षण-विमान है जिसका निर्माण देश में हो रहा है।

देश में आन्तरिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उपाय

*286. **श्री पी० के० देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों के लिए सस्ते होटलों, मोटर गाड़ियाँ खड़ी करने के स्थानों, बसों और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करके देश में आन्तरिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में आन्तरिक पर्यटकों की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : अपनी ऋण योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग सभी श्रेणियों के होटलों और मोटलों के निर्माण के लिये, तथा चुने हुये पर्यटन केन्द्रों पर पर्यटक परिवहन सुविधाओं की वृद्धि के लिये आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करता है।

देश में आन्तरिक-भ्रमण की सुविधा के लिये विभाग की युवा होस्टलों और स्वागत केन्द्रों के निर्माण की भी योजनाएं हैं। इस प्रकार की सुविधाओं का लक्ष्य आन्तरिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन देना है ।

(ख) : जी, हाँ। इन स्थानों पर होटल निर्माण के लिये, तथा यातायात सुविधाओं की व्यवस्था के लिये ऋण देकर ऐसा किया जा रहा है।

एयरवेज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का बन्द होना

*288. **श्री मोहम्मद इस्माइल**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एयरवेज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के बन्द होने जिसका असर 143 कर्मचारियों पर पड़ा है, की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस फर्म के कर्मचारियों का कम्पनी को अपने अधिकार में लेने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हाँ।

(ख) से (घ) : कर्मचारियों से कुछ आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें उन्होंने अनुरोध किया था कि इण्डियन एयरलाइन्स को उन्हें अपने आन्दर खपा लेने के निदेश दे दिये जायें। कार्पोरेशन उपलब्ध रिक्तियों तथा उम्मीदवारों की काम के लिये अपेक्षित योग्यताओं को दृष्टि में रखते हुए मामले की जाँच कर रहे हैं।

करेंन्सी नोटों का बन्द किया जाना

*290. **श्री मुरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काले धन को बाहर निकालने के अभियान के एक भाग के रूप में 10 रुपये और उससे अधिक मूल्य के करेंन्सी नोटों को बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) और (ख)** : सरकार यह नहीं समझती कि करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण से काले धन की समस्या का हल मिल जायगा। लेकिन सरकार कर-अपवंचन का, जो काले धन का मुख्य स्रोत है, पता लगाने के काम में निरन्तर लगी हुई है। सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति की नियुक्ति की है जो प्रत्यक्ष करों के अपवंचन और उनसे बचने को रोकने के लिए कानूनी और प्रशासनिक उपायों के सुझाव देगी। इसके अलावा सम्पत्ति का मूल्य कम दिखाने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिए, जो काले धन के परिचलन का एक महत्वपूर्ण तरीका है, वैधानिक और प्रशासनिक उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

Recruitment in Nationalised Banks

*291. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Banking Commission has submitted its report to Government wherein among other things certain suggestions have been made in regard to the recruitment of staff in the nationalised banks ;

(b) whether the nationalised banks are acting upon the suggestions made by the Commission in this regard ; and

(c) if not, whether Government have issued any directive to the nationalised banks in regard to the recruitment etc. of the employees ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The Banking Commission has not yet submitted its report to the Government.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

दिल्ली प्रशासन द्वारा गैर-सरकारी बस चालकों (ग्रापरेटर्स) को परमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच कराने की माँग

*292. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन कर्मचारी संघ ने अनुरोध किया है कि लोकसभा के गत आम चुनावों के समय दिल्ली प्रशासन द्वारा गैर-सरकारी बस चालकों (ग्रापरेटर्स) का परमिट जारी किये जाने को केन्द्रीय जाँच ब्यूरों द्वारा जाँच कराई जाये, ग्रौर

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन ग्रौर परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटकों की सुविधाग्रों में वृद्धि करने के लिये राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

*293. **श्री विश्वनाथ झुंझूनवाला** : क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, पर्यटकों की सुविधाग्रों में वृद्धि करने के लिये राजस्थान राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) पर्यटकों की रुचि के स्थानों ग्रौर चित्तौड़ में पर्यटकों के बंगलों का विकास करने के लिये कितनी सहायता निर्धारित की गई है; ग्रौर

(ग) क्या गत तीन वर्षों में चित्तौड़ में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : राजस्थान में पर्यटन योजनाग्रों के लिये 1968–69 ग्रौर 1969–70 में क्रमश: 1.82 लाख रुपये तथा 5,000 रुपये का व्यय किया गया; तथा 1970–71 के लिये 2.50 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

(ख) : कुछ नहीं।

(ग) : पर्यटकों के सम्बन्ध में ग्रांकड़े ग्रखिल-भारतीय ग्राधार पर रखे जाते हैं न कि राज्य-वार ग्रथवा स्थान-वार ग्राधार पर। 1968–69 में किये गये एक नमूने के सर्वेक्षण के ग्रनुसार देश में ग्राने वाले कुल विदेशी पर्यटकों में से 1.8 प्रतिशत पर्यटक उदयपुर गये जो कि चित्तौड़गढ़ से सर्वाधिक समीप पर्यटन केन्द्र है।

चोरी-छिपे लायी गयी वस्तुग्रों का पकड़ा जाना

*294. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में देश के विभिन्न भागों में कितने-कितने मूल्य के हीरे, सोना तथा चाँदी पकड़े गये;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) उन अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन वस्तुओं को चोरी छिपे लाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 1–11–1970 से 30–4–1971 तक की अवधि में पकड़े गय हीरे, सोना तथा चाँदी इस प्रकार हैं: भारतीय बाजार दर पर लगभग 32 लाख रुपये के मूल्य के हीरे, अंतर्राष्ट्रीय दर पर लगभग 148 लाख रुपये तथा भारतीय बाजार दर पर लगभग 333 लाख रुपये के मूल्य का सोना तथा भारतीय बाजार दर पर लगभग 107 लाख रुपये मूल्य की चाँदी।

(ख) तथा (ग): इस सम्बन्ध में 168 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। तस्कर आयात की गयी वस्तुओं को जब्त करने तथा अपराधियों पर दण्ड लगाने के लिये सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आरम्भ की गई न्याय-निर्णय की कार्यवाही के अलावा, जिन मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अपराधियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है।

(घ) तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किथ गये हैं: सूचना एकत्र करने तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की सुव्यवस्था, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का संदेह है उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों और वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्र-तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था। सीमाशुल्क के समाहर्ता, अपर समाहर्ता तथा सहायक समाहर्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिये सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रूप में सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। एकत्रित की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त कार्यवाही आरम्भ करने के लिये स्थिति की समय समय पर समीक्षा भी की जाती है।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के कार्यकरण की पुनः जाँच

*295. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के कार्यकरण की पुनः जाँच करने का है; और

(ख) गत दो वर्षों में इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) 1965 में श्री एल० एलायापेरमल की अध्यक्षता में स्थापित की गई अस्पृश्यता तथा अनुसूचित

जातियों के आर्थिक और शैक्षिक विकास सम्बंधी समिति ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के कार्यकरण की पुनः जाँच की थी। समिति ने 1969 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में इस अधिनियम को अधिक कठोर बनाने के लिए इसमें संशोधन करने की सिफारिश की थी। इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल में पुराने स्कूलों को ठीक ठाक करने के लिए वित्तीय सहायता

*296. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पुराने स्कूलों को ठीक ठाक करने और नये स्कूल आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार से 8.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए अभ्यावेदन दिया है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : केरल सरकार ने यह सूचित किया है कि चौथी आयोजना में परिकल्पित स्कूल भवनों की कमी को दूर करने और नए स्कूलों के लिए, उसे 10.59 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इन प्राक्कलनों पर, अन्य राज्यों के स्कूलों के भवनों के प्राक्कलनों के साथ, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की विशेष समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

Educational Cess

*297. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education and and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether his Ministry Mantralaya has recommended to the State Government to impose educational cess ;

(b) the State Government which have so far expressed their view in this regard ; and

(c) the views expressed by them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir. The allocations for education have fallen so short of requirements for the full development of education at all levels, that it has become imperative to mobilise local resources in all possible ways for supporting and supplementing the State educational effort. The Ministry of Education and Social Welfare, therefore, has been repeatedly recommending to State Governments several measures for raising additional recources. One of these is the levy of an education cess earmarked for primary education.

(b) and (c). Several States such as Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Mysore, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal are already levying an educational cess in one form or the other.

A Study Group set up in 1969 by the Ministry of Education and Youth Services reviewed the entire question of raising additional resources for educational development

Programmes and suggested several measures for mobilising local resources for educational development. The recommendations of the Group were considered by the Conference of Education Secretaries and Directors of Public Instruction of the States and Union Territories in 1970 and they resolved that an educational cess may be levied in rural and urban areas specifically for the expeditious fulfilment of the Constitutional directive for providing free and compulsory primary education. There is thus a growing support to the levy of educational cess as a part of the broader programme of mobilising community resources for developing education.

विदेश यात्रा पर लगे प्रतिबन्धों के बारे में छूट देने के लिये एयर इण्डिया द्वारा अभ्यावेदन

*298. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन भेजा है कि यदि एयर इण्डिया की जम्बों जैट सेवा को सफल बनाना है तो विदेश यात्रा पर लगे प्रतिबन्धों के बारे में छूट दी जानी चाहिये;

(ख) क्या हमारे देश की विदेशी मुद्रा की स्थिति ऐसी है कि एयर इण्डिया को उक्त छूट दी जा सकती है; और

(ग) यदि नहीं, तो जम्बो जैटों के खरीदने के क्या कारण थे जबकि उनके सफलतापूर्वक संचालन के लिये परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) : विदेशी मुद्रा की स्थिति कठिन चल रही है।

(ग) : ये विमान विश्व यातायात प्रवृत्तियों सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर खरीदे गये थे।

नई विमान सेवाएं चलाने की योजना

*299. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पाँच वर्षों में नई विमान सेवाएं चलाने के लिये कोई नई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** : अगले कुछ वर्षों में देश में कई और स्टेशनों के लिए विमान सेवाएं चालू करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि विमानों की प्राप्यता, हवाई अड्डों का विकास और व्यापारिक दृष्टिकोण से ऐसा करना सम्भव हो।

Loan from Japan

*300. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether India received any loan from Japan during the month of April, 1971 ;

(b) if so, the amount thereof ;

(c) the time by which the said loan will be repaid and the rate of interest to be charged ; and

(d) the purposes for which the said loan would be utilised ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir, A loan agreement was signed on the 20th April, 1971, with the Export Import Bank of Japan and certain other Japanese participating banks.

(b) The amount of the loan is Rs. 19.04 crores (25.39) million)'

(c) The loan is repayable in 20 years, including a grace period of 7 years and carries interest at 5 per cent per annum.

(d) The loan will be utilised for the import from Japan of Commodities, raw materials, intermediates, components, spare parts, steel rolls etc., as also machinery for the National Small Industries Corporation.

भारत में कम्पनियों के कार्यकारी अधिकारी

1269. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1969, 1970 और 1971 को भारत में कम्पनियों के उन भारत मूलक और विदेश मूलक कार्यकारी अधिकारियों की पृथक-पृथक, वर्षवार तथा राष्ट्रीयता-वार और ग्रुपवार संख्या वास्तव में कितनी थी जो 1,000 रुपये और 2,000 रुपये के बीच, 2001 रुपये और 5000 रुपये के बीच और 5001 रुपये और 8000 रुपये के बीच और 8001 रुपये और इससे अधिक मासिक वेतन प्राप्त करते रहे थे; और

(ख) उपर्युक्त कार्यकारी अधिकारियों की संख्या भारत में विदेशी सहयोग से स्थापित बैंकों, पेट्रोलियम तथा रसायन उपक्रमों, चाय, रबड़, औषध निर्माण और इंजीनियरिंग कम्पनियों में, पृथक-पृथक, श्रेणी-वार और वेतन ग्रुप-वार कितनी-कितनी थी ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) : इच्छित सूचना विभाग के पास शीघ्रतः उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसरण में कम्पनियों द्वारा भेजना अपेक्षित नहीं है।

मैसर्स गुडईयर इन्डिया लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

1270. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स गुडईयर इन्डिया लिमिटेड ने, 5 मई, 1971 को हुई अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में संकल्प संख्या 5 द्वारा नये प्रबन्ध निदेशक को अन्य परिलब्धियों के साथ 11,000 रुपये प्रतिमास के वेतन तथा 1,50000 रुपये की अधिकतम वार्षिक कमीशन पर 27 अप्रैल, 1971 से पाँच वर्षों के लिये नियुक्त करने की स्वीकृति दी थी;

(ख) क्या इससे सरकार के उन अधिकतम पारिश्रमिक सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन होता है जो कम्पनी कार्यकारी अधिकारी को मिल सकते हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त नियुक्ति की मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त प्रबन्ध निदेशक के पारिश्रमिक को सरकार द्वारा जारी किये गये अन्तिम निदेशों के प्रावधानों के अनुसार कम करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मैं० गुडईयर इन्डिया लिमिटेड ने वेतन व कमीशन के साथ साथ अन्य परिलब्धियों द्वारा 1,50,000 रु० प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के आधार पर, कम्पनी के शुद्ध लाभ के ½ प्र० श० कमीशन सहित 11,000 रु० प्रति मास के वेतन पर, 27 अप्रैल, 1971 से 5 वर्ष की अवधि के लिये, श्री पार्वन्स क्रिस्टमैन के प्रबन्ध निदेशक के पद की नियुक्ति के अनुमोदनार्थ कम्पनी अधिनियम की धारा 269 के अन्तर्गत, एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

(ख) तथा (ग) : कम्पनी का प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया में ईंधन की लागत

1271. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के विभिन्न विमानों की उड़ान में प्रति घंटा लगभग कितने मूल्य का ईंधन लगता है;

(ख) विश्व की अन्य बड़ी विमान कम्पनियों के ऐसे ही विमानों की ईंधन लागत के मुकाबले में यह कम है अथवा अधिक; और

(ग) भारत में ईंधन लागत को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क)

विमान	लागत प्रति घंटा
एयर-इण्डिया	
बोइंग 707–437	2246/–
बोइंग 707–337	1898/–
बोइंग 747	3578/–
इण्डियन एयरलाइंस	
बोइंग 737	2312/–
कारवेल	2492/–
वाइकाउट	971/–
एफ–27	538/–
एच० एस–748	564/–
डकोटा	551/–

इण्डियन एयरलाइंस के विमानों के संबंध में ईंधन की लागत में वह भारी उत्पादन-शुल्क भी शामिल है जो कि केवल अन्तर्देशीय सेवाओं पर लगने वाले ईंधन पर लागू होता है। एयर इण्डिया को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगने वाले ईंधन के लिए कोई उत्पादन-शुल्क नहीं देना पड़ता है।

(ख) : सभी प्रकार के विमान विमान-निर्माताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार परिचालित किये जाते हैं; अतः विभिन्न एयरलाइनों के समान प्रकार के विमानों के ईंधन

की खपत परिचालन-परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये लगभग एक जैसी ही होगी। भारी उत्पादन-शुल्क को ध्यान में रखते हुए इण्डियन एयरलाइंस के परिचालन लागत में ईंधन का खर्च लगभग 26 से 28 प्रतिशत बैठता है जबकि अन्य बहुत सी एयरलाइनों के संबंध में इसका खर्चा 7 से 15 प्रतिशत के बीच बैठता है।

(ग) : ईंधन की लागत एक ऐसा खर्च है जिस पर एयरलाइनों का कोई नियंत्रण नहीं है; तदपि मितव्ययिता के उपायों को सर्वदा दृष्टि में रखा जाता है।

कोककर कोयले के विकास के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगाया गया धन

1272. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत दो वर्षों में गैर सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में, कोककर कोयला खानों के विकास के लिये अलग-अलग कितनी धनराशि लगाई गई है,

(ख) उक्त धन के परिणामस्वरूप कोककर कोयले का कितना अतिरिक्त उत्पादन होगा तथा प्रतिवर्ष प्रति टन उत्पादन पर कितना ऋण दिया जायेगा; और

(ग) वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता की कमी के कारण कितने कोककर कोयले की हानि होने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कोकिंग कोयला खनन उद्योग के सम्बन्ध में कोई अलग ऋण नीति नहीं बनायी है। बैंक, प्रत्येक उद्योग के लिये अलग-अलग कोई रकम निर्धारित नहीं करते हैं। अलग-अलग मामलों पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है तथा उद्योगों की उत्पादन सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऋण-सीमाएँ मंजूर की जाती है, जिनमें कोकिंग कोयले की खानें भी शामिल है। माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से आंकड़े पूछे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक उस प्रकार से आंकड़े नहीं रखता है।

Loans given by State Bank of India to Small Cultivators of Harda Town (Madhya Pradesh)

1273. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of small cultivators of Harda Tehsil, and Harda Town, who had applied to the State Bank of India (Harda Branch) for loans during the last year and the current year and the number out of them given loans so far ;

(b) whether small cultivators have to face lot of difficulties in getting loans; and

(c) if so, how Government propose to remedy the situation prevailing there ?

The Minister of Finance (Shri Y.B. Chavan) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Foreign Tourists Visiting Madhya Pradesh

1274. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state.

(a) the number of foreign tourists who visited Madhya Pradesh during the last year and the names of the countries from which they came ; and

(b) whether Government propose to develop any new tourist centre in Madhya Pradesh during the current year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Tourist arrival figures are compiled on an all-India basis and not on a state-wise or place-wise basis.

(b) Some improvements in the Kanha-Kisli game sanctuary are contemplated in the current plan.

Popularisation of Sindhi Language

1275. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the action taken or proposed to be taken to make Sindhi language popular in the country ;

(b) whether some institutions have been given financial assistance for this purpose ; and

(c) if so, the names of such institutions and the amount of financial assistance given to them during the year 1969 ?

The Minister of Education and Social Welfare and Minister of Department of culture (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) to (c) : At present the following Schemes are being implemented by the Ministry of Education and Social Welfare and its various Autonomous Organisations for the Popularsation and Development of Sindhi Language :—

(a) Under this Ministry's Scheme of assistance to Voluntary Organisations for promotion of Hindi and other languages, financial assistance is available for Projects which are conducive to the popularisation and development of Sindhi language. Under this scheme, financial assistance is also available for teaching Sindhi in any region to people who wish to learn the language voluntarily. No Voluntary Organisation dealing with the promotion and development of Sindhi language, however, applied for any financial assistance under this Scheme during 1969.

(b) Under this Ministry's scheme of Award of Prizes to Authors for writing books in any Indian language other than Hindi and Sanskrit and the mother-tongue, prizes are also given for books written in Sindhi language.

(c) The Government has recently established a Central Institute of Indian Languages at Mysore. The major task of this Institute is to identify the bonds of unity among different Indian languages. Sindhi will receive attention of this Institute.

(d) The Government of India has also set up Regional Language Centres for training the teachers of Hindi Speaking States in non-Hindi languages. Provision has also been made in these centres for non-Hindi language teachers to learn Indian languages other than their mother-tongue, Hindi and Sanskrit. Facilities for teaching of Sindhi have been provided in the Regional Language Centres set up at Poona.

(e) The Sahitya Akademi awards prizes of Rs. 5,000/- each to the most outstanding books of literary merit in any of the major Indian languages recognised by the Akademi. Sindhi is one of the languages recognised by the Sahitya Akademi. Sindhi Authors received awards under this scheme in 1959, 1964, 1966, 1968, 1969 and 1970. Under its Book Publication Programme, the Sahitya Akademi is also publishing books in Sindhi. So far as the Akademi has brought out 18 books in the Sindhi language.

(f) Under its Publication Programme, the National Book Trust is also bringing out books in Sindhi. The Trust recently produced 2 books on Gurunanak and Kabir in Sindhi.

(g) The Government of India have also under consideration a scheme for the Production of University Level Books in Sindhi Language, under its Scheme of Production of University Level Text Books in regional languages with a view to adoption of regional languages at the media of instructions at the first degree level.

Loan given to Madhya Pradesh out of Small Savings

1276. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have made a request to the Central Government that two-third of the amount given from small savings fund may be converted into long-term loan given to the State ;

(b) if so, whether the Central Government have turned down the aforesaid demand; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : On the basis of representation made by certain other State Governments and in accordance with the recommendations made in the report submitted by National Savings Movement Reorganisation Committee, the period of repayment of loans to State Governments out of small savings collections sanctioned from 1969-70 onwards has already been raised from 15 to 25 years inclusive of initial 5 years moratorium period towards repayment of principal.

Extension of Banking Facilities in Rural Areas of Madhya Pradesh

1277. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of rural areas in Madhya Pradesh where Government propose to extend banking facilities ; and

(b) whether Government propose to extend banking facilities in Hoshangabad and East Nimar districts also ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Names of rural centres (i.e. centres with population of not more than 10,000) and semi-urban centres (i.e. population between 10,000 and 1,00,000) for which licences have been granted by Reserve Bank to commercial banks for opening offices or which have been alotted to the banks for opening branches in the course of 1971 or early 1972 are indicated in the statement attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 313/71].**

(b) The statement referred to above will show that 4 bank offices are expected to be opened in Hoshangabad and 5 in East Nimar districts in the course of 1971 or early 1972.

Financial Assistance to Writers and Artists

1278. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Culture** be pleased to state :

(a) the names of writers and artists or their families given financial assistance by the Central Government during the last year ; and

(b) the criteria adopted for giving such assistance ?

The Minister of Education and Social Welfare and Minister of Department of Culture (Shri Siddharatha Shankar Ray) : (a) The payment of maintenance allowance to the writers and artists or their families sanctioned by the Central Government from 1961 onwards is first made by the State Government and then subsequently shared by the Central Government with the State Government in the ratio of 2:1. The State Governments have not so far communicated the names of those writers and artists or their families to whom maintenance allowance under the scheme has been paid during the last year. They are expected to number about 1200. The information is being collected.

(b) The following criteria had been adopted for selecting the grantees :—

(i) To be eligible for assistance under the scheme a person's contribution to art and letters etc. must be of significance.

(ii) The private means of the applicant must not exceed Rs.150/- p. m.

(iii) The age of the applicant should be 58 years or more.

Expenditure Incurred on Development of Languages

1279. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the annual expenditure incurred by Government on the development of Indian languages, language-wise ; and

(b) the criteria and procedure adopted therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) A statement giving the required information is attached. [**Placed in Library. See No. L.T. 314/71**].

Polytechnic Schools

1280. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total number of Polytechnic Schools or Colleges in the country at present ;

(b) the number of students seeking admission into these institutions every year ;

(c) whether there is a general complaint that the diploma holders from the said institutions are not getting employment ; and

(d) if so, the measures being taken by Government to provide employment immediately to the persons possessing technical qualifications ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) : There are at present 283 polytechnics in our country with an admission capacity of about 45,000 students each year. The actual admissions in the last three years, however, have been restricted to about 28,000 students because of the current unemployment among engineering graduates and diplomaholders.

(c) and (d) : In the last 4-5 years, there has been large-scale unemployment among all categories of engineering personnel because of recession in industry and postponement of Fourth Five Year Plan schemes. The Central Government adopted in 1968 a number of measures to create more employment opportunities for engineering personnel. A detailed statement on these measures and the progress achieved was laid on the Table of the House in reply to Starred Question No. 46 on 31st March, 1971.

Propagation and Development of Sanskrit

1281. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount spent by Government on the propagation and development of Sanskrit during the last year ;

(b) the media through which such amount is spent ;

(c) whether any special Committee has been constituted to give suggestions to Government for the development and propagation of Sanskrit ; and

(d) if so, the names of the Members of the said Committee ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Rs. 49.88 lakhs.

(b) State Governments, Autonomous Organisations, Voluntary Sanskrit Organisations/Institutions and individuals.

(c) The Kendriya Sanskrit Parishad was set up in January 1970 (in place of the erstwhile Central Sanskrit Board) which advises the Government on all matters relating to propagation and development of Sanskrit.

(d) A Statement is attached. [**Placed in Library. See No. L. T. 315/71**]

Foreign Students in Indian University

1282. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of the Indian educational institutions, with the locations thereof, where foreign students are studying at present ;

(b) the number of such students and the names of the countries to which they belong ; and

(c) the expenditure incurred by Government on them every year

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) : The latest available information as obtained from universities, which relates to 1968-69, is given in the enclosed statements. [**Placed in Library. See No. L. T. 316/71**]

(c) The information is being collected.

मैसर्स इन्डियन आक्सीजन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेश को नियुक्त

1283. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इंडियन आक्सीजन लिमिटेड ने अपनी गत वार्षिक बैठक में अपने प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक पर नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव अनुमोदित किया था जो सरकार द्वारा हाल में निर्धारित कानूनी सीमाओं के प्रतिकूल है ;

(ख) क्या सरकार ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक को कानूनी सीमाओं के अन्तर्गत लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : श्री कोथ हर्टले, इस कम्पनी का 1 अप्रैल, 1963 से सहायक प्रबन्ध निदेशक था, तथा 1 सितम्बर, 1969 से 8000 रु० प्रति

मास के वेतन, 1500 रु० प्रति मास के समुद्र पार भत्ता तथा परिलब्धियों पर, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के पद पर उसकी पदोन्नति हो गई। हाल ही में कम्पनी ने, 45,000 रु० प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक शुद्ध लाभ के 1 प्र० श० तक कमीशन को जोड़ते हुये, 2,500 रु० प्र० मास के बढ़े हुये विदेश भत्ते सहित, उसी 8,000 रु० प्रति मास के वेतन तथा परिलब्धियों पर 1 अप्रैल, 1971 से उसके प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किये जाने के अनुमोदन की इच्छा व्यक्त की है। यद्यपि प्रस्तावित वेतन 7,500 रु० की अधिकतम सीमा से अधिक था, परन्तु वह इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये अनुमोदित कर दिया गया कि श्री हर्टले, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के रूप में पहले से ही इसे प्राप्त कर रहे थे तथा यह मान्यता प्राप्त अपवाद के अन्तर्गत आ गया। तथापि उसके, वेतन तथा कमीशन के द्वारा प्राप्त कुल पारिश्रमिक, पर 1.35 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा की शर्त लगा दी तथा समुद्र पार भत्ते में कोई वृद्धि न करने की अनुमति दी गई। यह पारिश्रमिक, धारा 309 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित, कम्पनी की साधारण बैठक के अनुमोदन की शर्त पर था।

कम्पनी की छत्तीसवीं वार्षिक साधारण बैठक फरवरी, 1971 मे होना अनुसूचित था। यह अभी पता नहीं है कि कथित बैठक हुई है तथा प्रस्तावित पारिश्रमिक अनुमोदित हुआ है अथवा नहीं।

विधान सभाओं और संसद् में अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों के आरक्षण की समाप्ति

1284. **श्री मुहम्मद शरीफ**: क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधान सभाओं और संसद् में अनुसूचित जातियों के लिये स्थान के आरक्षण को समाप्त करने के मामले पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) और (ख): इस मामले पर संविधान (23 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1969 के पारित करते समया-विचार किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ऐसे आरक्षणों का समय 25 जनवरी, 1980 तक बढ़ा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में लेटरल सड़क परियोजना का पूरा किया जाना

1285. **श्री बी० आर० शुक्ल**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेड़ी, बहराइच तथा गौंडा जिलों से गुजरने वाली लेटरल सड़क परियोजना का भारत-चीन युद्ध के दौरान एक सैनिक परियोजना के रूप में आरम्भ किया गया था और यह अभी तक भी सैनिक अथवा सैनिक मोटर गाड़ियों के चलने योग्य नहीं है तथा पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, और

(ख) उक्त परियोजना के सामरिक महत्व को देखते हुए इसे कितने समय तक पूरा कर लिया जाएगा?

संसद् कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख): पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना भारत-चीन युद्ध के दौरान सैनिक परियोजना के रूप में प्रारम्भ नहीं

की गई बल्कि 1964 में शुरू की गई थी लखीमपुर, खेरी, बहराइच और गोंडा से जाने वाला भाग अधिक हिस्से में पहले ही पूरा हो चुका है और शेष भाग के उत्तर प्रदेश में मार्च 1972 के अन्त तक पूरे हो जाने की संभावना है।

क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए मनीला म इकैफे की बैठक

1286. **श्री मुरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीला में हाल में हुई एशिया तथा सुदूर पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक आयोजन की वार्षिक बैठक में निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाने के लिये इस वर्ष लघु एशियाई निर्वाधिता संघ (स्माल स्केल क्लियरेन्स यूनियन) आरंभ किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिये किस प्रकार का तंत्र बनाया जायेगा तथा उसके सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(ग) क्या भारत उक्त योजना में भाग लेने को सहमत हो गया है?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : एशियाई आर्थिक सहयोग की मंत्रि-परिषद की काबुल-घोषणा के अनुसरण में, एशिया और दूर-पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग द्वारा एशियाई समाशोधन संघ (एशियन क्लीयरेंस यूनियन) की स्थापना के लिये 16 से 22 मार्च, 1971 तक तैयारी समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में समिति ने एशियाई समाशोधन संघ की स्थापना के बारे में एक करार के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया और दूर-पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग ने 20 से 30 अप्रैल, 1971 तक मनीला में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में इन घटनाओं को नोट किया और इनके बारे में सन्तोष प्रकट किया।

एशिया और दूर-पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के सचिवालय ने प्रादेशिक सदस्य-देशों के पास, एशियाई समाशोधन संघ सम्बन्धी करार के प्रारूप की एक-एक प्रति उनके विचारार्थ भेजी है। भारत को करार के प्रारूप की एक प्रति प्राप्त हुई है और उसकी जाँच की जा रही है। एशियाई समाशोधन संघ के तंत्र का स्वरूप और गठन और भारत द्वारा उसमें भाग लेना, एशिया और दूर-पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के सदस्य देशों के मन्तव्यों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर अन्तिम रूप से स्वीकृति करार के उपबन्धों पर निर्भर करेगा।

Ceiling on Monthly Expenditure to Augment Deposits in Savings Schemes

1287. **Shri Ishwar Chaudhry : Shri R. V. Bade :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to impose a ceiling of Rs. 1,500/- on monthly expenditure of Central Government employees and to provide for the deposit of the remaining portion of salary in Savings Schemes with a view to remove economic disparity ;

(b) the number of Government employees getting a salary of more than Rs.1,500 p.m. at present ;

(c) the anticipated amount of money that would be deposited under Savings Schemes if the ceiling referred to in part (a) above is imposed ; and

(d) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No, Sir.

(b) According to the census of Central Government employees as on 31st March 1969, which is the latest available, the number of employees in the pay ranges from Rs. 1,500/- upwards was 2464.

(c) The net salary available to employees after deductions, obligatory as well as optional, like taxes, contribution to Provident Fund, rent for government accommodation, insurance premium and so on, varies from officer to officer and it is, therefore, not possible to estimate the likely amount of deposits under the Savings Scheme referred to with any reasonable degree of accuracy. The amount available for further savings after these deductions is, however, not likely to be large.

(d) Government has initiated various fiscal and legislative measures to remove economic disparities. It is therefore not considered necessary to impose any monetary ceiling of Rs. 1,500/- in the case of Central Government employees specifically.

आयात/निर्यात बैंक की स्थापना

1288. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिये आयात और निर्यात बैंक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो यह बैंक कब स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस बैंक की प्रस्तावित पूंजी परिव्यय क्या होगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : देश के निर्यात में गिरावट की कोई प्रवृत्ति नहीं है। वास्तव में 1970–71 में निर्यात में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयात-निर्यात बैंक की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है। फिर भी, आशा है कि बैंकिंग आयोग इस बात की जाँच करेगा कि क्या वास्तव में किसी ऐसी संस्था की आवश्यकता है।

चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को चलाने के लिए पृथक निगम की स्थापना

1289. **श्री पी० गंगादेव** : **श्री एस० एम० कृष्ण** :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम के अधीन चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को चलाने के लिए एक पृथक निगम बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय किन कारणों से किया गया है; और

(ग) इससे सरकार को क्या लाभ होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : सरकार ने चार अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों का प्रबंध करने के लिए एक सांविधिक निगम का गठन करने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए एक विधेयक शीघ्र ही संसद् में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) और (ग) : नागर विमानन में होने वाले तीव्र विकास को दृष्टि में रखते हुए, सरकार महसूस करती है कि सरकारी विभाग की तुलना में एक ऐसा संगठन जिसका दृष्टिकोण वाणिज्यिक हो और जो पर्याप्त रूप से स्वायत एवं लचीला हो, हमारे अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों का

विकास तथा प्रबंध करने के लिए आवश्यक गतिशीलता की व्यवस्था प्रदान करने में अधिक अच्छी स्थिति में होगा।

Setting up of Industrial Reconstruction Corporation in Calcutta

1290. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up an organisation with the name of "Industrial Reconstruction Corporation" in Calcutta ; and

(b) if so, the outlines, scope and financial implications of the proposal.

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : The Industrial Reconstruction Corporation of India Limited has already been set up on 12th April, 1971, under the Companies Act with its headquarters at Calcutta. The authorised capital of the Corporation is Rs.25 crores. The issued and paid-up capital stand at Rs. 10.00 crores and Rs.2.50 crores respectively. The present paid-up capital of Rs. 2.40 crores is held by the Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Life Insurance Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, State Bank of India and 14 nationalised banks. The Corporation will receive loans from Government of India on soft terms.

The Corporation will have an All India character. To begin with, however, the Corporation will deal with urgent industrial problems of Calcutta and Eastern Region especially problems relationg to rehabilitation and revival of sick and closed industrial concerns. Later coverage will be extended to the whole of the country. A major protion of the Corporation's work is likely to consist in providing risk and loan capital on soft terms so as to enable early revival of units. The Corporation will pursue activities in other fields such as restructuring of companies, labour management problems, change in product mix and other related matters. It may also be able to encourage, promote, assist and finance merger, amalgamation or recognstruction of industrial undertakings and take steps generally for revival of industrial development though its Primary task will be of recognstruction and rehabilitation of selected deserving industrial concerns.

The Corporation which obtained Certificate of Commencement of Business on 24th April, 1971 has received proposals for recognstruction assistance from a number of closed and ailing units and studies for recognustructio have been taken up in some cases.

सरकारी कर्मचारियों तथा जन उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच बैठक

1291. **श्री राज राज सिंह देव : श्री बी० के० दासचौधरी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में सरकार तथा जन उपक्रमों के मुख्यों के बीच परामर्श हुये थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो जन उपक्रमों की कार्यकुशलता के लिये क्या सुझाव दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) : सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत वित्त मंत्रालय में हुई उन बैठकों की ओर है, जिनमें उन उद्यमों के, जिनका काम काफी समय से संतोषजनक नहीं है, कार्य सम्बन्धी परिणामों की समीक्षा इसलिए की गयी थी कि उन उद्यमों को पेश आने वाली मुख्य कठिनाइयों का हल निकाला जा सके। इन सरकारी उद्यमों के कार्य में सुधार करने के उद्देश्य से जिन महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बातचीत की गयी थी उनमें से कुछ का सम्बन्ध इन बातों से था :—उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग

के आधार पर निर्धारित उत्पादन-लक्ष्यों की पूर्ति, सामान और संघटकों की कमी की पूर्ति के सम्बन्ध में उठाये जाने वाले कदम, कर्मचारियों, मशीनों और सामान की उत्पादकता में सुधार, तालिकागत सामान में कमी, संयंत्र और उपकरणों का अच्छी तरह अनुरक्षण, मजदूरों के साथ अच्छे सम्बन्ध आदि।

सरकारी उपक्रमों में घाटा

1292. **श्री विश्वनाथ झुंनझूनवाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के घाटे की मात्रा बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें से इनको कितना घाटा कारखानों को अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार कार्य न किये जाने के कारण हुआ है;

(ग) वर्ष 1968–69 से 1969–70 तक क्षमता के अनुसार कार्य न किये जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम को कितना कितना वार्षिक वित्तीय घाटा हुआ है; और

(घ) कारखानों को उनकी क्षमता के अनुसार चलाकर घाटे को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। चालू औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों (जिनमें प्रोत्साहक और विकासात्मक उपक्रम तथा वित्तीय संस्थाएं भी शामिल हैं) को हुई वास्तविक हानि की रकम, जो 1967–68 में 67 उपक्रमों के संबंध में 37.89 करोड़ रुपया थी, 1968–69 में घटकर 73 उपक्रमों के संबंध में 28.11 करोड़ रुपया रह गयी। 1969–70 का वर्ष सबसे हाल का वर्ष है जिसके लिए पूर्ण लेखा परीक्षित आँकड़े उपलब्ध हैं और इस वर्ष में वास्तविक हानि की रकम और घटकर 81 उपक्रमों के संबंध में 3.40 करोड़ रुपया रह गयी।

(ख) और (ग) : क्षमता का कम उपयोग किये जाने के कारण कितनी हानि हुई, इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। फिर भी 1968–69 और 1969–70 में प्रत्येक उपक्रम को हुई हानि का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 317/71**]

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की क्षमता में सुधार लाने के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उनका संबंध मुख्यतः इन बातों से है :—

(i) उत्पादन में विविधता लाना।

(ii) निर्यात के लिए अधिक प्रयत्न करना।

(iii) ज्यादा अच्छा रखरखाव, ताकि खराबी के कारण कम से कम समय तक काम बंद हो।

(iv) प्रबन्ध और कार्यचालन कार्य कुशलता में सुधार,

(v) कुशल प्रशिक्षण और अच्छे औद्योगिक संबंधों द्वारा श्रमिक संबंधी और श्रमिक उत्पादकता में सुधार।

(vi) देशी सामान की उपलब्धि की कमी को दूर करने के लिए संघटकों और सामान का आयात।

Investment in Industrial and Commercial Undertakings

1293. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total capital invested by Government at present in the centrally sponsored Industrual and Commercial Undertakings ;

(b) the break-up of the investment in respect of each undertaking ; and

(c) the loss incurred and profit earned by the Centrally sponsored Industrial undertakings during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The total investment in 91 Central Government Industrial and Commercial Undertakings as at the end of 31st March, 1970, the latest year for which the Annual audited accounts for all the undertakings are available, amounted to Rs.4,301 acrores, of which Rs.2,101 crores was in equity and Rs.2,200 crores in loans.

(b) and (c) : Statement showing investment as on 31st March, 1970 and net profit/net loss relating to 1968-69 and 1969-70 in respect of each of the undertakings is given in Annexure. [**Placed in Library. See No.** L.T. 318/71].

तीसरे वेतन आयोग में रेलवे कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित करना

1294. **श्री दशरथ देब :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरे वेतन आयोग में रेलवे कर्मचारियों के किसी प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को कर्मचारी संघों की ओर से कोई विरोध-पत्र अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : अभी तक ऐसा कोई सर्वसम्मत नाम सामने नहीं है जो बड़े बड़े कर्मचारी संघों को स्वीकार्य हो।

(ग) तथा (घ) : जी नहीं, क्षेत्रीय रेलों में से एक रेलवे के मजदूर संघ से प्राप्त ज्ञापन को छोड़ कर और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए उक्त ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

बैंकाक में एशियन हाकी गोल्ड मैडल की भारत को हुई हानि के बारे में जाँच समिति

1295. **श्री ए० के० साहा : श्री रतन लाल ब्राह्मण :**

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेशनल हाकी सेलेक्शन कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जे० डी० नागरवाला के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि बैंकाक में एशियन हाकी

गोल्ड मैडल की हानि भारत को टीम के मैनेजर तथा कोच के आपसी झगड़े के कारण हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी जाँच की है;

(ग) यदि हाँ, तो जाँच का परिणाम क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जाँच करवाने के लिये एक समिति की नियुक्त कर रही है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) : श्री जे० डी० नागरवाला द्वारा किये गये वक्तव्य और बैंकाक में दिसम्बर 1970 में हुए एशियाई खेलों की भारतीय हाकी टीम के प्रबन्धक और प्रशिक्षक द्वारा इस आशय के प्रतिवाद, कि उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं है, के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर सरकार का ध्यान गया है। भारतीय हाकी संघ ने भी इस मामले की जाँच की है और यह सूचित किया है कि बैंकाक से वापसी के चार मास बाद श्री नागरवाला द्वारा दिये गये वक्तव्य में कोई सचाई नहीं है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय और शाखा का संचालन

1296. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में अब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना कार्यालय स्थापित किये हुये हैं और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के सदस्यों में अध्यापक और छात्र दोनों ही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है विशेषकर जब कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में नियुक्त गजेन्द्रगड़कर जाँच आयोग ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हटाने के लिये सिफारिश की थी?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) गजेन्द्रगडकर समिति द्वारा लिये गये इस दृष्टिकोण के अनुसार कि विश्वविद्यालय कैम्प में किसी बाहरी संगठन को अपने भवन के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने आर० एस० एस० के प्रधानों से विश्वविद्यालय कैम्प में उनके कब्जे में भवन को खाली करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किया किन्तु कोई मैत्रीपूर्ण समझौता नहीं किया जा सका। अतः विश्वविद्यालय ने उस अनुमति को रद्द करने का निर्णय किया जिससे आर० एस० एस० भवन का प्रयोग कर रहा है, और उसको खाली करवाने के लिए दीवानी दावा दायर कर दिया। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

धन जमा कराने का प्रयास

1297. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में ऋण की माँग अधिक है तथा उपलब्ध संसाधन कम हैं क्या सरकार का विचार अधिक धन जमा कराने के लिये प्रभावोत्पादक उपाय करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : विविध प्रकार की ऋण सम्बन्धी माँग को अधिक से अधिक मात्रा में पूरा करने के लिए जमा के लिए रकमें जुटाने के लिए जोरदार प्रयत्न करके बैंकों के साधनों को सुदृढ़ करने का प्रश्न लगातार सरकार और रिजर्व बैंक के ध्यान में हैं। जमा के लिए धन जुटाने की आवश्यकता पर वित्तमंत्री ने जुलाई, 1970 में और फिर नवम्बर 1970, दिसम्बर 1970 और अप्रैल 1971 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई अपनी बैठकों में जोर दिया था। जुलाई 1970 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई वित्त मंत्री की बैठक में किये गये मुख्य निर्णयों के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम एक परिपत्र जारी किया जिसमें इस बात की व्यापक रूपरेखा समझायी गयी थी कि जमा की रकमों में वृद्धि करने के लिए बैंक किस प्रकार की कार्यवाही करे। जमा के लिए रकमें जुटाने के काम में तेजी लाने के लिए किये गये अन्य उपायों की रूप रेखा नीचे दी गयी है:—

(i) वित्त अधिनियम 1970 के अधीन बैंकों में जमा रकमों पर ब्याज की राशि पर विशिष्ट सीमाओं तक आय-कर से छूट दी गयी थी। इसी प्रकार विशिष्ट सीमाओं तक बैंकों में जमा रकमों पर सम्पत्ति-कर से छूट दी गयी थी।

(ii) आयकर अधिनियम का वह उपबन्ध, जिसमें यह व्यवस्था थी कि ब्याज के रूप में 400 रुपये से अधिक प्राप्त रकम पर स्रोत-पर कर की कटौती की जायगी, वित्त अधिनियम 1970 के अन्तर्गत संशोधित कर दिया गया था और यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि यह शर्त बैंक में जमा रकमों पर दिये गये ब्याज पर लागू नहीं होगी।

(iii) रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा नियुक्त किये गये अधिकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर इकट्ठी की जाने वाली छोटी छोटी रकमों के सम्बन्ध के अदा की जाने वाली दलाली की शर्त को हटा दिया है ताकि भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों से जमा के लिए रकमें इकट्ठी की जा सकें।

(iv) बैंक में जमा रकमों पर ब्याज की दर मार्च 1970 में और फिर इस वर्ष जनवरी में बढ़ा दी गयी थी।

(vi) व्यापक क्षेत्र से जमा के लिए रकमें जुटाने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा शाखा विस्तार का जोरदार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ केन्द्रों में छोटे कार्यालय और चलते फिरते कार्यालय चलाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त केवल जमा सम्बन्धी लेन-देन के विशेष प्रयोजन के लिए विस्तार काउंटर खोले जा रहे हैं।

(vi) जमा अभियान के कार्य में लगे कर्मचारियों में उत्साह पैदा करने के लिए कुछ बैंकों द्वारा जमा के लिए प्रचार करने के सम्बन्ध में प्रोत्साहक योजनाएँ लागू की गयी हैं।

राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की सहायता माँगना

1298. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री पी० गंगादेव :**

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् ने निर्णय किया है कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को अपने साथ संबद्ध करें;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) क्या कुछ विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय एकता समितियों की स्थापना करने का निर्णय किया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिश पर निम्नलिखित उद्देश्यों से शिक्षा शास्त्रियों और छात्र-नेताओं की एक समिति गठित की गई है :

(i) एकता और पारस्परिक सहिष्णुता की भावना में वृद्धि करने वाले मूल्यों को महत्व देने और ऐसी सामग्री को जो वर्गों और सम्प्रदायों के बीच, चाहे वह किसी भी आधार पर हो, दुर्भावना बढ़ाने का कारण बन सकती हो, निकाल देने की दृष्टि से पाठ्य-विवरणों, पाठ्य-चर्याओं और पाठ्य-पुस्तकों का परीक्षण करने के लिए ; और

(ii) छात्रों और अध्यापकों के संगठनों से सभी प्रकार की संकीर्ण और साम्प्रदायिक भावनाओं को दूर करने और उन्हें राष्ट्रीय प्रयोजन के भावों और भातृत्व भावना से अनुप्रमाणित करने के हेतु उपायों की सिफारिया करने के लिये।

दूसरी ओर शिक्षाशास्त्रियों और छात्रनेताओं ने अपनी ओर से कुछ कार्यक्रम बनाए और ऊपर (i) में उल्लिखित उद्देश्यों के सम्बन्ध में बनाए गए इस मंत्रालय के कुछ कार्यक्रमों का समर्थन किया। ये इस प्रकार है:

(क) उद्देश्यों की यथा सम्भव पूर्ति के लिए विश्वविद्यालयों और कालिजों में राष्ट्रीय एकता परिषदों की स्थापना।

(ख) विश्वविद्यालय कैम्पस सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक अभिवृति को बढ़ाने हेतु उपायों और साधनों का पता लगाने के लिए एक समिति की स्थापना।

(ग) सम्पूर्ण देश में स्कूलों की I से II तक की कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में बनाए गए इस मंत्रालय के जोरदार कार्यक्रम का समर्थन किया। यह मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाना है कि पाठ्यपुस्तकों में ऐसे अंशों का पता लगाया जाए जिनसे साम्प्रदायिक तनाव पैदा होने की सम्भावना रहती है और जिससे कि सम्बन्धित प्राधिकारी उनका संशोधन कर सकें।

(घ) सरकार से जाँच पड़ताल आयोग अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों से सम्पन्न एक आयोग स्थापित करने की सिफारिश करना। यह आयोग इस प्रयोजन से स्थापित किया जाएगा कि विश्वविद्यालय कैम्पुस में कार्य कर रहे ऐसे युवक संगठनों और अन्य संगठनों की जाँच पड़ताल की जाए जो कि साम्प्रदायिक तनाव के कारण बनते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रोजगार क्षमता

1299. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उपक्रमों की स्थापना की गई है तथा उनकी रोजगार क्षमता क्या है; और

(ख) उनमें कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा उनमें कितने स्थानीय कर्मचारी हैं उनकी अलग-अलग प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों की नियोजन क्षमता के कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार न तो यह सूचना रखती है कि केन्द्रीय सरकार के उद्यमों में विभिन्न राज्यों के कितने व्यक्ति काम करते हैं और न ही वह इस प्रकार की सूचना इकट्ठी करने का विचार करती है क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं है। एक अनुबन्ध संलग्न है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के मुख्य कार्यालयों का पता तथा उद्योगवार उनके कुल नियोजन का व्यौरा दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 319/71**] चूंकि, कुछ उपक्रमों के मुख्य कार्यालय, उनके प्रमुख कार्यस्थानों पर स्थित नहीं हैं तथा कुछ उद्यम बहु-एककों वाले संगठन हैं जिनका कारबार विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, इसलिए इस सूचना से मुख्य कार्यालयों की स्थानीय स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं लगेगा।

त्रिपुरा में समाज विरोधी तत्वों द्वारा कालेजों और स्कूलों पर आक्रमण करने तथा छापे मारने की घटनाएं

1300. **श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 और अप्रैल, 1971 में त्रिपुरा में समाज विरोधी तत्वों ने कितने कालेजों और स्कूलों में आग लगाई, कितनों पर आक्रमण किये और कितनों पर छापे मारे;

(ख) इन विनाश कार्यों के संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये; और

(ग) ऐसे विनाश कार्य को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना त्रिपुरा प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में डीघा में "सी-बीच" का विकास

1301. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में डीघा में "सी-बीच" पर हैलीकाप्टर और छोटे विमान सुगमतापूर्वक उतर सकते हैं;

(ख) क्या यह 'सी-बीच' कार आदि चलाने के लिये भी उपयुक्त है;

(ग) क्या यह 'सी-बीच' काफी दूरी तक उथला है और स्नान आदि के लिये सुरक्षित है;

(घ) क्या कुछ विदेशी पर्यटक यदा कदा इस स्थान को देखने जाते हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस स्थान की पर्यटक-केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) : जी, हाँ।

(ङ) : राज्य सरकार डीघा का एक समुद्रतटीय विहार स्थल के रूप में विकास कर रही है। इस स्थान पर सरकार विभिन्न स्तरों के विश्राम-गृहों और कुटीरों को चला रही है, तथा यहाँ आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक पर्यटन लॉज भी उपलब्ध है। डीघा और कलकत्ता के बीच सीधी सड़क मार्ग सेवाएं तथा सीधी ट्रेन-व-बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

पश्चिम बंगाल में डीघा स्थित गोल्फ-कोर्स

1302. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत में गोल्फ को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या डीघा की स्थल रूप रेखा से जो बंगाल की खाड़ी पर एक विख्यात समुद्र एवं स्वास्थ्य बिहार है, प्राकृतिक रूप से एक अच्छा गोल्फ-कोर्स है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या डीघा में एक गोल्फ-कोर्स बनाने की सम्भावना की जाँच करने का सरकार का कोई विचार है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) गोल्फ, मान्यता प्राप्त खेलों में से एक खेल है और सरकार खेलकूद के प्रति अपनी सामान्य नीति के एक भाग के रूप में, गोल्फ की संवृद्धि तथा विकास को प्रोत्साहन देती है।

(ख) और (ग) : भारतीय गोल्फ संघ ने, जो कि एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद संघ है, बताया है कि गोल्फ कोर्स के अभिन्यास के लिये कोई भी विशेष प्रकार का मैदान उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त नहीं है। अतः डीघा भी उतना ही उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त जितना कि अन्य कोई स्थान हो सकता है। सरकार द्वारा गोल्फ कोर्स का न तो प्रयोजन और न ही उसको तैयार किया जाता है। भारतीय गोल्फ संघ ने बताया है कि यदि ऐसे विचार रखने वाले सदस्य डीघा में कोई गोल्फ क्लब बनाएं तो संघ क्लब को दक्ष सलाह प्रदान करेगा।

शिक्षा का पुनर्विन्यास

1303. **श्री एस० सी० सामन्त** : **श्री मूलचन्द डागा** :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार आदि प्राप्त करने हेतु युवा पीढ़ी को और अधिक दक्ष और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देने के लिए शिक्षा-नीति का पुनर्विन्यास करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव तैयार किये गये हैं और यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ लगातार परामर्शों के पश्चात और शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करके घोषित की गई है जो इस बात पर जोर देती है कि हमारे शिक्षा संस्थानों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों और रोजगार के अवसरों में समुचित संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार प्रयत्न किए जाने चाहिए। उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

उद्योगों के सहयोग से, तकनीकी शिक्षा में अन्तर्विष्ट (सैंडविन) पाठ्यक्रम धीरे-धीरे डिग्री और डिप्लोमा स्तर पर लागू किये जा रहे हैं, ताकि, पाठ्यक्रम पूरा करने पर स्नातक और डिप्लोमा धारी पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव के साथ उत्तीर्ण हो और इंजीनियर और तकनीशियन के रूप में उद्योगों द्वारा आसानी से रोजगार में लगाए जा सकें। 20 से अधिक तकनीकी संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं के उपलब्ध होने पर इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे अन्य संस्थानों में भी लागू किया जायेगा। व्यावहारिक अनुभव और बेहतर रोजगार के लिए उन्हें सुसज्जित करने हेतु इंजीनियरी स्नातक और डिप्लोमाधारियों के लिए प्रशिक्षता प्रशिक्षण का व्यापक कार्यक्रम भी विकसित किया गया है। निजी सार्वजनिक उपक्रमों सरकारी विभागों और अन्य तकनीकी संगठनों में प्रत्येक वर्ष 10,000 से अधिक प्रशिक्षण स्थानों का प्रबन्ध किया जाता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 मास का है और प्रत्येक स्नातक को 250 रुपये और डिप्लोमाधारी को 150 रुपये प्रति मास की अधिछात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। उद्योगों के सहयोग से प्रशिक्षता कार्यक्रम के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए चार क्षेत्रीय प्रशिक्षता प्रशिक्षण बोर्डों की स्थापना की गई है।

चौथी योजना में बालिका शिक्षा

1304. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में बालिका शिक्षा संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) योजना अवधि के पहले तीन वर्षों में बालिका शिक्षा में कितनी प्रगति की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) **(लाखों में आँकड़े)**

	चौथी योजना (69–74) लक्ष्य	68–69 वास्तविक नामांकन	69–70 प्राक्कलित उपलब्धियाँ	70–71 प्राक्कलित उपलब्धियाँ	71–72 लक्षित व्यवस्था
1. कक्षा 1–5	27.33	20.57	21.61	22.97	24.80
2. कक्षा 6–8	5.91	3.51	3.82	4.19	4.64
3. कक्षा 9–11	2.69	1.63	1.75	1.90	2.08

"दि कलकत्ता लायसेंस्ड मैसर्ज" नामक संस्था का बन्द किया जाना

1305. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 वीं शताब्दी के अन्त में इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स ऐण्ड इण्डस्ट्री और बंगाल चैम्बर्स आफ कामर्स में स्वामित्व तथा नियंत्रण में "दि कलकत्ता लायसेस्ड मैसर्ज" नामक एक संस्था की स्थापना हुई थी;

(ख) क्या यह संस्था जहाजों पर लादे जाने वाले माल के वजन और नमूनों की जाँच के अतिरिक्त, विभिन्न संस्थाओं के लिये, जिनमें सरकारी क्षेत्र के उद्योग और राष्ट्रीयकृत बैंक भी सम्मिलित हैं, मूल्य निर्धारक (वैल्युअर) और असेसर के रूप में भी कार्य करती रही है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) भागों का उत्तर हाँ में है, तो क्या उक्त संस्था को हाल ही में बन्द कर दिया गया है; यदि हाँ, तो उसे किन कारणों से बन्द किया गया है;

(घ) क्या उनका ध्यान इस ओर भी दिलाया गया है कि यदि उक्त संस्था को अन्तिम रूप से बन्द कर दिया गया तो इससे बहुत से व्यक्ति बेरोजगार ही नहीं होंगे अपितु कदाचार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

वैज्ञानिक साहित्य की माँग और सृजन

1306. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वैज्ञानिक साहित्य की माँग बढ़ रही है और इसकी माँग और इसके सृजन कार्य में बहुत अन्तर है; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) वैज्ञानिक साहित्य का सृजन देश में कितना होता है और इसकी इस समय माँग कितनी है;

(ग) क्या अमरीकी प्रकाशकों ने अमरीकी पाठ्य पुस्तकों का पुनः मुद्रण करने में आर्थिक सहायता देने के लिए पी० एल० 480 की निधि में से लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च किये हैं;

(घ) क्या अमरीकी पाठ्य पुस्तकों की प्रभावपूर्ण स्थिति से भारत के बाजारों में देशीय पुस्तक उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ड) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ड) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत में वैज्ञानिक साहित्य के लिए माँग निरन्तर बढ़ती जा रही है। विश्वविद्यालयों की जो संख्या 1950–51 में 29 थी वह 1970–71 में बढ़कर 83 तक पहुंच गई है। स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर दोनों प्रकार के कालेजों की संख्या 1950–51 में 548 थी जो 1969 के अन्त तक बढ़कर 2361 हो गई है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि तथा पशु-चिकित्सा

कालेजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इन सभी संस्थाओं में प्रवेश लेने वालों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि होती रही है। यह विश्वास करना किसी हद तक ठीक है कि देश में वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के निर्माण में उसी गति से वृद्धि नहीं हो पायी है। चूंकि शैक्षिक प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे जिन पुस्तकों को उपयोगी तथा आवश्यक समझते हैं उनको पाठ्य-पुस्तकों तथा सहायक पुस्तकों के रूप में पाठ्यक्रम में निर्धारित कर सकते हैं, किन्तु अधिकांश विद्यार्थी ऐसी पुस्तकों को पढ़ते हैं जो पाठ्यपुस्तकों अथवा सहायक पुस्तकों के रूप में निर्धारित नहीं होतीं। हालांकि, यह माना जा सकता है कि इनकी माँग तथा देश में होने वाले इनके उत्पादन के बीच एक अन्तर है, किन्तु यह अन्तर कितना है इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। चूंकि, प्रभावी शिक्षा के लिए मानक शिक्षण सामग्री एक अपरिहार्य उपकरण होता है और चूंकि ज्ञान के क्षेत्र की कोई सीमाएं नहीं होती अतः शिक्षण-संस्थाओं द्वारा श्रेष्ठ मानक पुस्तकों का सहारा लेना उचित ही है फिर चाहे वे कहीं से भी प्राप्त होती हों। यह सोचकर कि आयात की गई पुस्तकें महंगी होती हैं और भारतीय विद्यार्थियों की आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत रूस की सरकारों के सहयोग से कुछ योजनाओं का प्रचलन किया है जिससे भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को उन देशों से मानक शिक्षण सामग्री कम कीमतों पर उपलब्ध हो सके। भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित पुस्तकों का चयन, इन तीनों मामलों में, भारत सरकार द्वारा, सम्बद्ध शिक्षा-शास्त्रियों के परामर्श से किया जाता है और तत्पश्चात इनके नाम सम्बद्ध विदेशी सरकारों को बता दिए जाते हैं जिससे ये पुस्तकें कम कीमतों पर भारतीय विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी जा सकें। ब्रिटेन तथा सोवियत रूस से आने वाली पुस्तकें उन्हीं देशों में तैयार की जाती हैं और फिर उनको भारत में लाकर प्रचलित व्यापार प्रणाली के जरिए बेचा जाता है। जहाँ तक संयुक्त राज्य अमरीका से आने वाली पुस्तकों का सम्बन्ध है, जिन चुनी गई पुस्तकों के कापीराइट के लिए आवश्यक अनुमति मिल जाती है, उनको भारतीय प्रकाशकों द्वारा पुनः प्रकाशित किया जाता है, जिसके लिए अमरीकी सरकार द्वारा पी० एल० 480 निधि से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके पश्चात, ये पुस्तकें भी प्रचलित व्यापार प्रणाली के माध्यम से बेची जाती हैं। जो अमरीकी पुस्तकें इस प्रकार पुनः प्रकाशित की जाती हैं, उनको यहाँ, मूल अमरीकी कीमत के लगभग पाँचवें या छठे अंश के बराबर कीमत पर बेचा जाता है। इन पुस्तकों को कम कीमत पर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम ब्रिटेन के साथ 1960 से, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ 1961 से और सोवियत रूस के साथ 1965 से चल रहा है। इस कार्यक्रम पर, अमरीकी सरकार की ओर से अमरीकी सूचना सेवा (यू० एस० आई० एस०) द्वारा 1961 से लगभग 89 लाख अमरीकी डालर का व्यय किया जा चुका है।

2. यह कहना ठीक न होगा कि भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विदेशों से कम कीमतों पर मानक शैक्षिक सामग्री सुलभ करने के उद्देश्य से जो योजनाएं तैयार की गई हैं, उनसे देश के पुस्तक-उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शिक्षा-संस्थाओं में विदेशी पुस्तकें पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से निर्धारित नहीं की जाती हैं, ये तो उनकी इच्छा पर है कि वे जिन पुस्तकों को उपयुक्त समझें उनका उपयोग करें। फिर भी, भारतीय लेखकों और देश के पुस्तक उद्योग को अपेक्षतया प्रतिकूल-स्थिति की सम्भावना से बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिससे भारत में ग्रन्थ-लेखन को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। ये योजनाए इस प्रकार हैं :—

(i) चालू योजना-अवधि में, जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त उन सभी राज्य सरकारों को, जिनके अधिकार-क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थित हैं, अनुदान देने का आश्वासन दिया गया है। यह अनुदान प्रत्येक राज्य को 1 करोड़ रु० तक के हिसाब से दिया जाएगा और इसका उद्देश्य यह होगा कि राज्य सरकारें भारतीय भाषाओं में उपयुक्त पुस्तकों का प्रकाशन करने में समर्थ हो सकें। ये पुस्तकें पाठ्यपुस्तकों के रूप में अथवा सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है और इन्हें या तो मौलिक रूप में लिखा जा सकता है या उपयुक्त विदेशी पुस्तकों का अनुवाद करके।

(ii) विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों के अथवा सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए अंग्रेजी में लिखी उपयुक्त भारतीय पुस्तकों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की गई है। यह योजना राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास के माध्यम से चलाई जा रही है। यह योजना इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर बनाई गई है कि चुने हुए प्रकाशनों को पर्याप्त सहायता मिल सके, जिससे वे विदेशों से आने वाली मानक शैक्षिक सामग्री की बराबरी कर सकने में समर्थ हो सकें।

(iii) एक कोर पुस्तक-कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयोग के लिए उपयुक्त पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए कदम उठाएगी। ये पुस्तकें अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा में लिखी जाएंगी। भारतीय भाषाओं में लिखी हुई पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा, जिससे कि अन्य भारतीय विश्वविद्यालय, जिनमें उक्त भारतीय भाषा नहीं प्रयुक्त की जाती, इन पुस्तकों को अपना सकें। ऐसी आशा की जाती है कि ये पुस्तकें ऐसे स्तर की और इतनी उत्कृस्ट-कोटि की होगी कि सम्पूर्ण देश में उनका प्रयोग किया जा सके।

(iv) चुने हुए व्यक्तियों के लिए अनेक शिक्षावृत्तियाँ प्रारम्भ करने के हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान उपलब्ध किए गए हैं। ये शिक्षावृत्तियाँ इस उद्देश्य से दी जाती हैं कि वे लोग अच्छी मौलिक पुस्तकें लिखने में अथवा अनुमोदित विदेशी पुस्तकों का अनुवाद करने में समर्थ हो सकें।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त नए प्रकाशकों को उनके प्रकाशन सम्बन्धी कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय रियायतें भी प्रदान की गई है।

कम्पनियों का विलय

1307. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री श्यामनन्दन मिश्र :**

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने कितनी कम्पनियों के शीर्षोन्मुख और समानान्तर विलय की अनुमति दी है;

(ख) विलय के प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शीर्षोन्मुख और समानान्तर विलय के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) : गत तीन वर्षों के मध्य केन्द्रीय सरकार ने, दो संविलियनों, एक कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत व दूसरा एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत, का अनुमोदन किया है। कम्पनी विधि बोर्ड ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 (1) तथा (2) के अन्तर्गत

संविलियन के एक मामले का अनुमोदन किया था, जिसके द्वारा, मै० अशोक होटल्स लिमिटेड तथा मै० जनपथ होटल्स लिमिटेड का मै० इन्डिया टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लि० के साथ विलय हुआ था। केन्द्रीय सरकार ने, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत, मै० वारियर (इन्डिया) लिमिटेड तथा मै० आटो अक्सोजरीज (इन्डिया) लि० नामक दो सहायक कम्पनियों का उनकी धारित कम्पनी मै० फोरवीज फोरवीज काम्पवैल एण्ड कम्पनी लिमिटेड के साथ विलय का अनुमोदन भी किया है।

(ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22 उन मामलों को निर्दिष्ट करता है, जो अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत संविलियनों, चाहे वह शीर्षोन्मुख हो या समानान्तर की योजनाओं सहित, अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान करते समय, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार जिन पर विचार करती है। उसी प्रकार केन्द्रीय सरकार को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अन्तर्गत, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, यह संतष्टीकरण करना होता है कि संविलियन, चाहे वह शीर्षोन्मुख हो या समानान्तर, जनता के हित में हो।

कोचीन बन्दरगाह पर निर्यात और आयात व्यापार की मात्रा

1308. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन बन्दरगाह पर आयात और निर्यात व्यापार की मात्रा घटती जा रही है,

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य कारण क्या है; और

(ग) आयात और निर्यात व्यापार की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख): पिछले तीन वर्षों में कोचीन पत्तन पर माल की धरा उठाई की मात्रा में मामूली सा उतार चढ़ाव हुआ है परन्तु कोई विशेष कमी नहीं हुई। यातायात में ऐसे उतार चढ़ाव समय समय पर आते रहते हैं यदि खाद्यान्न के आयात में कमी, तटीय कोयला वहन में कमी तथा तटवर्ती खनिज तेल के आवागमन में कमी न होती तो पत्तन पर माल की धरा उठाई की मात्रा बढ़ गई होती।

(ग) पत्तन बढ़ती हुई यातायात मात्रा की धरा-उठाई की सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है जिनमें से कोचीन रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल के आयात में प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने के लिए 80,000 डी डब्लू टी तक के तेल वाहक को सम्मेलन के लिए एक तेल घाट, खाद सामग्री के आयात के लिए जुदा एक घाट तथा माल की धरा उठाई के लिए एक नया तरीका जिससे जहाज शीघ्रता से फेरा लगा सकें, मुख्य उपाय है।

कोयला खान उद्योग पर आय कर और सम्पत्ति कर की बकाया राशि

1309. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कम्पनियों की ओर आयकर और सम्पत्ति कर की बकाया राशि प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1968, 1969 और 1970 में कोयला खान कम्पनियों पर आयकर और सम्पत्ति कर की कितनी राशि बकाया थी; इन दोषी कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कम्पनी पर कितनी-कितनी राशि बकाया है; और

(ग) इन कम्पनियों से आयकर की बकाया राशि तेजी से एकत्र करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : लिमिटेड कम्पनियों पर धन-कर 1 अप्रैल 1960 से समाप्त कर दिया गया था और इसलिए धन-कर की बकाया में वृद्धि हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ तक आयकर का संबंध है, बकाया के बारे में आयकर विभाग में उद्योग-वार आंकड़े नहीं रखे जाते। ये आँकड़े कुछ आयकर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के हजारों कर-निर्धारण रिकार्डों की छान-बीन द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं जिसमें बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा।

तथापि, यदि माननीय सदस्य किन्हीं विशिष्ट कोयला खनन कम्पनियों के बारे में सूचना-चाहते हों तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

(ग) सरकार ने करों की बकाया की शीघ्र वसूली के लिए पिछले तीन वर्षों में निम्न-लिखित उपाय किये हैं:—

(i) वसूली का कार्य जो अभी तक राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा किया जाता था, आयकर विभाग द्वारा स्वयं अपने हाथ में ले लेना सरकार ने पिछले वर्ष, कर वसूली अधिकारियों के 68 पद मंजूर किए और इन अतिरिक्त पदों के होने से आयकर आयुक्तों के सभी अधिकार क्षेत्रों में वसूली का कार्य आयकर विभाग द्वारा ले लिया गया है।

(ii) कर्त्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की योजना, जिसके अधीन करों की वसूली का कार्य रेंज के एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशिष्ट कर्तव्य बना दिया गया है, 1966 में लागू की गई थी और पिछले वर्ष इस योजना का और आगे विस्तार कर दिया गया।

(iii) विभाग द्वारा रेखित चैकों का स्वीकार किया जाना तथा इस निमित्त आयकर कार्यालयों में अदायगी के लिए विशेष प्राप्ति काउंटरों का खोला जाना।

(iv) ऐसे निर्धारितियों के नामों को प्रकाशित करना जिन्होंने किन्हीं निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी नहीं की है।

(v) पूरे देश में बकाया बेबाकी पखबाड़े मनाए जा रहे हैं। इस अवधि में, अनिर्णीत समायोजनों/भूलसुधारों को पूरा करने, अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने तथा निर्धारितियों की तरफ बकाया माँगों की शुद्ध रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

(vi) बम्बई तथा कलकत्ता के आयकर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों में से प्रत्येक में केवल वसूली के कार्य के लिए दो-दो अपर आयकर आयुक्त (वसूली) तैनात कर दिए गए हैं। इसी प्रकार दिल्ली तथा मद्रास में आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक अपर आयकर आयुक्त (वसूली) तैनात कर दिया गया है।

(vii) बकाया संबंधी माँगों की वसूली का कार्य निपटाने के लिए सरकार द्वारा पिछले वर्ष आयकर अधिकारियों (वसूली) के 60 पद मंजूर किए गए।

श्री निम्बार्क प्रोपर कजोरा-कोल कम्पनी, पश्चिम बंगाल के निदेशकों पर आयकर की बकाया राशि

1310. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री निम्बार्क प्रोपर कजोरा-कोल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, पश्चिम बंगाल के निदेशक मण्डल के सदस्यों के नाम क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी और उसके निदेशकों पर आयकर तथा अन्य करों की कुल कितनी राशि निर्धारित की गई थी ;

(ग) क्या कम्पनी ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और यदि नहीं, तो कम्पनी और उसके निदेशकों पर करों की कितनी राशि बकाया है; और

(घ) सरकार ने उपरोक्त करों को एकत्र करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पश्चिम बंगाल स्थित श्री निम्बारक प्रोपर कजोरा कोल कं० प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. श्री मठमल भुवल्का
2. श्री सीताराम भुवल्का

(ख) से (घ) : अपेक्षित सूचना, सभा की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 320/71]**

केंद्र सरकार पेंशन भोक्ता एसोसियेशन द्वारा दिया गया ज्ञापन

1311. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अप्रैल 1971 को मद्रास में भारत के राष्ट्रपति को केंद्र सरकार पेंशन भोक्ता एसोसिएशन द्वारा दिये गये ज्ञापन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हाँ।

(ख) ज्ञापन की मुख्य बात यह है कि पेंशनरों के मामले को शीघ्र जाँच के लिये वेतन आयोग के निर्देश पदों की मदों में से एक मद माना जाय।

(ग) पेंशनरों के मामले को वेतन आयोग के निर्देश-पदों में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिये पेंशन संबंधी लाभों के मामले में वेतन आयोग की सामान्य सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए, पेंशनरों को राहत मंजूर करने के प्रश्न पर यथा समय विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है।

Production of House Rent Receipts by Government Employees

1312. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 179 on the 2nd April, 1971 and state :

(a) whether the requisite information relating to parts (b) and (c) of the question has since been collected ; and

(b) if so, what ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the information is laid on the Table of the House.

Statement

(b) The non-gazetted personnel in the Delhi Police who are eligible for rent free accommodation but who cannot be provided with such accommodation, are allowed house rent allowance in lieu thereof to the extent of actual expenditure incurred by them on a rented house, subject to a ceiling of 25 per cent of pay, provided that the other prescribed conditions are fulfilled. It is only in cases where house rent allowance in excess of 15 per cent is claimed under this arrangement that house rent receipt is required to be produced by the personnel concerned. The same position obtains in respect of the non-gazetted (executive) employees of the Central Intelligence Bureau and Central Bureau of Investigation posted in Delhi ;

(c) The basic idea behind increasing the quantum of house rent allowance from 15 percent to 25 percent of pay in the case of these personnel was to relate the grant of house rent allowance to the actual rental liability upto a maximum of 25 per cent of pay. The production of house rent receipt has been prescribed with a view to determining the actual rental liability and, therefore, cannot be dispensed with.

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकों को पेंशन और लेखे के मामलों का निपटारा

1313. **श्री के० लकप्पा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकों को पेंशन और लेखे के मामलों के निपटारे के बारे में 20 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1623 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना इस बीच एकत्र करली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) : जी हाँ।

(ख) : विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

प्रश्न	**उत्तर**
(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल 1969 को कुछ मुख्याध्यापकों को उन स्कूलों से सेवानिवृत कर दिया गया था जो कि पहले दिल्ली नगर निगम के अधीन थे।	(क) ऐसा कोई प्रधानाध्यापक/अध्यापक, 1–4–1969 को सेवा निवृत्त नहीं हुआ था, जो पहले दिल्ली नगर निगम के अधीन कार्य कर रहा था: किन्तु कुछ प्रधानाध्यापक/अध्यापक 30–4–1969 को सेवा निवृत्त हुए थे।
(ख) क्या यह भी सच है कि इन सेवा निवृत्त मुख्याध्यापकों को उनका उपदान, भविष्य निधि की राशि नहीं दी गई है और न	**(ख), (ग) और (घ)** : दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस प्रकार सेवा निवृत्त हुए 23 व्यक्तियों में से,

ही उनके पेंशन सम्बन्धी लेखा को अन्तिम रूप दिया गया है :

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा इन सेवा निवृत्त व्यक्तियों के उपर्युक्त लेखों के निपटारे के लिये कोई समय सीमा रखी गई है, और यदि नहीं, तो उनके लेखों को निपटाने के लिये की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही क्या है ?

22 को फंड की राशि और उपदान, दोनों का ही भुगतान कर दिया गया है। स्वर्गवासी एक अध्यापक के मामले में, फंड तथा उपदान की रकम का भुगतान उसके कानूनी उत्तराधिकारी को, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के अभाव में, नहीं किया जा सका है। अब कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र पेश कर दिया है और उसका भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

Coins belonging to Vijayanagar Empire

1314. **Shri K. Lakkappa :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Culture** be pleased to state :

(a) whether 100 gold coins belonging to the period of the Vijayanagar Empire were recovered from the possession of a villager of Mumalkapur of Vikarabad taluk in Hyderabad District on the 6th May, 1971 ; and

(b) if so, the broad details of the case ?

The Minister of Education and Social Welfare and Ministry of Department of Culture (Shri Siddharatha Shanker Ray) : (a) and (b) Government have no information in the matter except what has appeared in the newspapers. The matter concerns the State Government of Andhra Pradesh who have been requested to supply the information.

पालम हवाई अड्डे पर लोडरों द्वारा यात्रियों से माँगी गई बख्शीश

1315. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर नियुक्त कुली यात्रियों का सामान चढ़ाते-उतारते समय उनसे बख्शीश माँगते हैं ;

(ख) क्या वे कभी-कभी यात्रियों को बख्शीश देने के लिये विवश करते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी हवाई अड्डों से इस बुराई को समाप्त करने के लिये पुलिस अथवा इन्डियन एयरलाइन्स के कुछ कर्मचारी नियुक्त करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : यद्यपि ऐसी कोई शिकायत विशिष्ट रूप से नोटिस में नहीं आई है, तथापि यह सम्भव है कि लोडर कभी कभी बख्शीश लेने का प्रयत्न करते हों।

(ग) : नागर विमानन विभाग तथा एयरलाइनों के पर्यवेक्षी कार्मिक शिकायतों की जाँच करने के लिये हर समय ड्यूटी पर होते हैं।

गोल्डन टुबैको कम्पनी

1316. **श्री एस० पी० बर्मा :** **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स गोल्डन टुबैको कम्पनी के साझेदारों ने अपनी फर्म को प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने हेतु कोई कार्यवाही की है ;

(ख) कम्पनी के प्रभावी नियंत्रण को अपने ही हाथों में बनाये रखने के लिये क्या वे कम्पनी के शेयर केवल अपने एजेंटों और संबंधियों को ही बेच रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि शेयर केवल एक विशिष्ट प्रकार के लोगों के पास ही जमा न होने पाये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मै० गोल्डन टुबैको कम्पनी 28 जून, 1955 को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित हुई थी। 9 मार्च, 1971 को कम्पनी ने, अपने आप को एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित होने के लिये एक विशेष संकल्प पारित कर दिया। कम्पनी रजिस्ट्रार महाराष्ट्र ने 15 मार्च, 1971 को इस प्रकार का एक प्रमाण-पत्र प्रेषित कर दिया।

(ख) कम्पनी, ने जनता के निर्गमन के लिये पूंजी निर्गमन के नियंत्रक से पहुंच नहीं की है, और ना ही अभी तक अपने आप को किसी पूंजी बाजार में, सूचीबद्ध किया है। अतः इच्छित सूचना शीघ्रतः उपलब्ध नहीं है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

Advancing of Loans by Nationalised Banks to Small Scale Industries

1317. **Shri Ramavatar Shastri** : **Shri M. C. Daga** :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether nationalised banks advance loans for small-scale industries ;

(b) if so, the number of persons who applied for loans for small-scale industries and small farmers since the nationalisation of banks upto 15th of May, 1971, State-wise, and the number out of them of those who got loans, State-wise; and

(c) whether Government have formulated any scheme to speed up the work of advancing loans to the persons concerned and if so, the main features thereof ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes Sir.

(b) Information in the manner as asked for by Hon'ble members is not maintained. However, statistics relating to advances made by nationalised banks to small scale industries and Agriculture (direct-finance) since nationalisation are given in the statement enclosed.

(c) Government have emphasised the need for simplification of procedures by adopting model application forms for use by prospective small borrowers and suitable delegation of authority to branch agents. Chief executives of banks have been asked to specially look into the progress of such schemes from time to time.

Statement

Advances By Nationalissed Banks to Agriculture (Direct Finance) and Small Scale Industry

(Amount Outstanding in Rs. lakhs)

	End of June 1969		End of June 1970		End of Feb. 1971	
	No. of A/Cs.	Amt. O/s.	No. of A/Cs.	Amt. O/s.	No. of A/Cs.	Amt. O/s.
Agricilture (Direct Finance)	134849	2696.0	378285	9847.6	535102	19474.0
Small Scale Industry	36301	14844.8	57583	20644.8	68051	23732.0

Note—Figures are provisional.

Loans Granted by Nationalised Banks to owners of Taxis and Scooters

1318. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minster of **Finance** be pleased to state :

(a) whether loans are granted to the owners and not drivers of taxis and scooters by the nationalised banks and if so, the reasons therefor ;

(b) whether Government propose to change this policy with a view to advance loans to unemployed persons ; and

(c) in case loans have been granted to drivers also, the amount thereof, State-wise ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : Drivers of taxis and scooters are eligible to obtain loans from nationalised banks for the purpose of acquiring and operating of a vehicle on their own.

(c) Data regarding advances by the nationalised banks to taxi and scooter drivers are not maintained separately. Upto the end of December 1970, figures of advances extended by the banks under this head are as follows :

No. of accounts : ..	6477
Amount :	Rs. 4.92 crores

Statewise break-up of advances is not available.

Reorganisation of University Grants Commission

1319. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have completed the work regarding re-organisation of the University Grants Commission under the University Grants Commission Act ;

(b) if so, the main features in this regard ; and

(c) if not, the time by which Government propose to complete the aforesaid work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) : The reorganisation of the Commission under the Amended Act is likely to be completed shortly.

Government Grants to Bihar Flying Club, Patna

1320. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government give grants to the Bihar Flying Club, Patna every year, if so, the details of the grants given during each of the last three years ;

(b) whether the entire expenditure incurred on this Flying Club is shared by the Central and the State Government ;

(c) whether a memorandum in regard to the irregularities committed by the management of the said Club has been submitted to him ; and

(d) if so, the main points thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) : Flying Clubs which fulfil the prescribed conditions of eligibility and are included in the Flying Subsidy Scheme receive grant-in-aid by way of a fixed subsidy and monthly subvention

at prescribed rates. The Bihar Flying Club received the following amounts during the last three years :

1968-69	Rs. 2,02,586
1969-70	Rs. 1,40,296
1970-71	Rs. 1,01,006

(b) : It is open to a State Government to give any grant to a club. The annual accounts of the club show that, apart from the Central Government grant and the flying fees paid by the trainees the Bihar Government had given a grant of Rs. 60,000/- to it during the year 1968-69 and also during 1969-70.

(c) and (d) : A memorandum has recently been received by the Director General of Civil Aviation from the employees of the club alleging a shortfall in the employees Provident Fund Account. This is being looked into.

Irregularities in Bihar Flying Club

1321. **Shri Ramavatar Shastri** : Will he Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have nationalised Flying Clubs in some States ;

(b) whether Government have received complaints of irregularities committed by the management of the Bihar Flying Club, Patna and about the financial crisis being faced by it ; and

(c) if so, the action which Government propose to take in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : A memorandum alleging a shortfall in the Employees Provident Fund Account has recently been received by the Director General of Civil Aviation from the Bihar Flying Club Employees Union. The matter is being looked into.

वैस्ट इण्डीज क्रिकेट टीम पर विजय के उपलक्ष्य में भारतीय क्रिकेट टीम को पुरस्कार

1322. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट टीम को जिसने वैस्ट इंडीज से 'रबर' जीती, अपनी शानदार विजय के उपलक्ष्य में समुचित रूप से पुरस्कृत किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस रूप में उसे पुरस्कृत किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) : भारतीय क्रिकेट टीम का, राष्ट्र ने जो भव्य स्वागत किया है, सरकार के विचार से, वह अपने आप में एक बड़ा पुरस्कार है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्रत्येक खिलाड़ी तथा मैनेजर को 1001 रु० विजयो-पहार के रूप में भेंट किया है। जो खिलाड़ी और कुछ विशेष परिस्थितियों में पूरी टीमें श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं, उनको अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। इस वर्ष, इस प्रकार के पुरस्कारों की सिफारिश करने वाली समिति की बैठक अभी होनी बाकी हैं।

स्वर्गीय मेजर एच० बी० बहुगुणा के परिवार की वित्तीय सहायता

1323. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट अभियान के एकमात्र भारतीय सदस्य स्वर्गीय मेजर एच० बी० बहुगुणा जिनकी मृत्यु 18 अप्रैल, 1971 को 21,500 फुट की ऊंचाई पर हुई थी, के परिवार के सदस्यों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी धन राशि दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : श्रीमती बहुगुणा को सेना अधिकारियों की दातव्य निधि से 1500 रुपये का एक अनुदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें 4500 रुपये की एक और राशि दी जाएगी जिसका भुगतान 250 रुपये प्रति मास की दर से 18 मास तक किया जाएगा।

एवरेस्ट पर्वत के अन्तर्राष्ट्रीय हिमालय अभियान द्वारा मेजर बहुगुणा के जीवन का बीमा 4000 शिलिंग (30,000 रुपये) की राशि के लिए कराया गया था जिसका भुगतान स्वर्गीय मेजर बहुगुणा की पत्नि को किये जाने का प्रबंध किया जा रहा है।

मेजर बहुगुणा का परिवार, विशेष परिवार पेंशन (220 रुपये प्रतिमास), उपदान (6500 रुपये) और बच्चों के लिये भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

शहरों का दर्जा बढ़ाया जाना

1324. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता देने के लिये कतिपय शहरों का दर्जा बढ़ाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन शहरों के नाम क्या हैं तथा इन शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : (क) : जी हाँ।

(ख) : सूचना का विवरण-पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

	'बी–1'	'बी–2'	'सी'
आन्ध्र प्रदेश	...	...	1. कड्डपा
			2. गुन्तक्कल
			3. चित्तूर
			4. अनकापल्लि
			5. चीराला
बिहार	...	पटना	कटिहार
गुजरात	...	...	1. धोराजी
			2. गोंडल

हरियाणा	...	...	सोनीपत
केरल	...	...	कण्णनूर
मध्य प्रदेश		1. इंदौर 2. जबलपुर	1. मऊ (छावनी) 2. दुर्ग 3. दमोह 4. मरवाड़ा 5. रीवा
महाराष्ट्र	नागपुर	शोलापुर	1. वर्धा 2. भिवण्डी 3. यवतमाल 4. पण्ढरपुर 5. अमलनेर 6. काम्पटो
मैसूर	...	...	तुमकूर
	'बी–1'	'बी–2'	'सी'
पंजाब	...	अमृतसर	अबोहर
राजस्थान	...	...	भरतपुर
तमिलनाडु	...	कोयम्बतूर	1. श्रीविल्लिप्पतूर 2. तिरुवण्णमलै
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	...	1. मऊनाथ भंजन 2. चन्दौसी
पश्चिम बंगाल	...	...	1. जलपाईगुड़ी 2. पुरुलिया 3. इंगलिश बाजार 4. बांशवाडिया

नोट :—(I) नगरों/कस्बों का वर्गीकरण/पुनवर्गीकरण, नीचे दिये अनुसार, जनसंख्या के आधार पर किया गया है :—

नगर की श्रेणी	जनसंख्या
'बी–1'	8 लाख और उससे ऊपर, परन्तु 16 लाख से नीचे।
'बी–2'	4 लाख और उससे ऊपर, परंतु 8 लाख से नीचे।
'सी'	50,000 और उससे ऊपर परंतु 4 लाख से नीचे।

(2) 'बी–1', 'बी–2' तथा 'सी' श्रेणी के नगरों/कस्बों में, निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, देय प्रतिपूर्ति (नगर निवास) भत्ते और मकान किराया भत्ते की दरें निम्नानुसार हैं :—

(i) प्रतिपूर्ति (नगर-निवास) भत्ता
भत्ते की दरें

नगर की श्रेणी	वेतन प्रतिमास	भत्ते की दर
	रु०	रु०
'बी–1'	250 से नीचे	वेतन की 7½ प्रतिशत रकम जो कम से कम 6 और अधिक से अधिक 15 रुपया होगी।
	250 तथा उससे ऊपर	वेतन की 6 प्रतिशत रकम, जो कम से कम 15 और अधिक से अधिक 50 रुपया होगी।
'बी–2'	620 से नीचे	वेतन की 5 प्रतिशत रकम जो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 रुपया होगी।
	620 तथा उससे ऊपर	वेतन 629 रुपये से जितना कम पड़ता हो, उतनी रकम।
'सी'	--	कुछ नहीं।

(ii) मकान किराया भत्ता

नगर की श्रेणी	वेतन प्रतिमास	भत्ते की दर
	रु०	रु०
'बी–1'	100 से नीचे	15
	100–3000	वेतन की 15 प्रतिशत रकम जो कम से कम 20 और अधिक से अधिक 300 रु० होगी।
	3000 से ऊपर	वेतन का 10 प्रतिशत रकम
'बी–2'	100 से नीचे	10
	100 और उससे ऊपर	वेतन की 10 प्रतिशत रकम जो कम से कम 15 और अधिक से अधिक 300 रु० होगी
'सी'	620 से नीचे	वेतन की 7½ प्रतिशत रकम जो कम से कम 7.50 रुपये होगी।
	620 तथा उससे ऊपर	वेतन 665 से जितना कम पड़ता हो, उतनी रकम।

निम्बारक प्रोपर कजोरा कोल लिमिटेड और निमचा कोल लिमिटेड, पश्चिम बंगाल के लेखे

1325. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स श्री निम्बारक प्रोपर कजोरा कोल (प्राइवेट) लिमिटेड, निमचा कोल कम्पनी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल ने अपने संतुलन-पत्र और लाभ तथा हानि के लेखे सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है तथा सरकार ने उक्त कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मै० श्री निम्बार्क प्रोपर काजोरा कोल (प्राइवेट) लिमिटेड ने, 31 मार्च, 1968 तथा 31 मार्च, 1969 तक के तुलन-पत्र क्रमशः 31 अक्तूबर, 1969 तथा 8 जुलाई, 1970 को मिसिल किये थे।

मैसर्स निमचा कोल कम्पनी लिमिटेड ने, अपने 31 दिसम्बर, 1967, 31 दिसम्बर, 1968 तथा 31 दिसम्बर, 1969 तक के तुलन-पत्र क्रमशः 27 जुलाई, 1968, 19 अगस्त, 1969 तथा 19 अगस्त, 1970 को प्रस्तुत किये थे। 31 दिसम्बर, 1970 तक का अगला तुलन-पत्र अभी देय नहीं है।

(ख) तथा (ग) : मैसर्स श्री निम्बार्क प्रोपर काजोरा कोल (प्राइवेट) लिमिटेड ने 31 मार्च, 1970 तक का तुलन-पत्र प्रस्तुत करने में चूक की थी, जिसके लिये समुचित कार्यवाही की गई है।

31 मार्च, 1968 तथा 31 मार्च, 1969 तक के तुलन-पत्र देरी से मिसिल करने के कारण, कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता ने, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 611 के अन्तर्गत अतिरिक्त फीस आरोपित की थी।

मै० निमचा कोल कम्पनी लिमिटेड, अपनी विवरणियाँ प्रस्तुत करने में अद्य यावत है।

लेखा परीक्षण व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण

1326. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लेखापरीक्षण व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

माचिस पर उत्पादन शुल्क

1327. **ए० के० साहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष से माचिस उद्योग में संकट होने के कारण 'सेफ्टी माचिसों से राजस्व की प्राप्तियाँ कम हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस उद्योग को सहायता देने में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पिछले एक वर्ष में दियासलाई से होने वाली राजस्व प्राप्तियों में न तो कोई कमी हुई है और न ही दियासलाई उद्योग में कोई संकट आया है। दूसरी ओर, 1969–70 में प्राप्त 27.38 करोड़ रुपये का राजस्व 1970-71 में बढ़कर 28.21 करोड़ रुपये (अनंतिम आंकड़े) हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बेपुर पत्तन केरल के लिये ड्रेजर की मंजूरी

1328. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेपुर पत्तन, केरल के लिये ड्रेजर की मंजूरी देने के बारे में विचार कर रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जावेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख): केरल सरकार ने चौथी योजना के राज्य सेक्टर में एक निकर्षक के लिये व्यवस्था की है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे मैसर्स मजगाँव डाक्स और मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप्स दो फर्म जिन्होंने भाव बताये हैं से आवश्यक तकनीकी सूचना प्राप्त करें ताकि उनके पेशकशों की समांगता का निर्धारण और तकनीकी विशिष्टियों की संवीक्षा की जा सके ।

मद्रास में मरीना पर 65 मंजिली मीनार का निर्माण करने का निश्चय

1329. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास में मरीना पर 65 मंजिली मीनार का निर्माण करवाने का निश्चय किया है;

(ख) इस मीनार पर अनुमानतः कितना व्यय आयेगा; और

(ग) इसका निर्माण कब तक हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : न पर्यटन विभाग और न भारत पर्यटन विकास निगम की ऐसी कोई योजना है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

मानसिंह रोड, नई दिल्ली स्थित मस्जिद का मरम्मत-कार्य

1330. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिंह रोड, नई दिल्ली स्थित मस्जिद का मरम्मत-कार्य मार्च, 1971 में स्थगित कर दिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के स्थगित करने के क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : जी हाँ। मानसिंह रोड स्थित मस्जिद की मरम्मत का कार्य वक्फ बोर्ड द्वारा मार्च, 1971 की समाप्ति पर स्थगित कर दिया गया था। किये जा रहे मरम्मत के कार्य की रिपोर्टें प्रेस में छपने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी ने मस्जिद का निरीक्षण किया तथा यह पाया कि जो मरम्मतें की जा रही थीं, उनसे स्मारक का स्वरूप ही बदल सकता था। चूंकि मस्जिद केन्द्रीय संरक्षित नहीं है, अतः भारतीय पुरातत्व, सर्वेक्षण मरम्मत नहीं करा सकता । तथापि उसने इसके लिए प्रस्ताव किया कि यदि वक्फ बोर्ड अनुरोध करेगा तो वे पुरातत्वीय सिद्धांतों के अनुरूप मस्जिद में और किये जाने वाले कार्य तथा किये जा चुके कार्य में सुधार करने के विषय में तकनीकी सलाह दे सकता है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस जारी किया जाना

1331. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुत्र है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को शहरी क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिये तब तक लाइसेंस जारी नहीं करता है जब तक वे बैंकरहित ग्राम्य क्षेत्रों में दुगुनी शाखाएं खोलने के लिये सहमत नहीं हो जाते हैं;

(ख) बैंक रहित ग्राम्य क्षेत्रों की राज्यवार कितनी संख्या है; और

(ग) राजस्थान के बैंक रहित ग्राम्य क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष में कितनी शाखाएं खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से अधिक संख्या में अपने कार्यालय खोलने के लिए प्रेरित करने हेतु रिजर्व बैंक, जिन बैंकों के 60 प्रतिशत से अधिक कार्यालय ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में हैं, उनको ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी केन्द्रों में प्रत्येक दो कार्यालयों के पीछे शहरी केन्द्रों में एक कार्यालय के अनुपात से कार्यालय खोलने का लाइसेंस देता रहा है। अन्य मामलों में अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण केन्द्रों में प्रत्येक तीन कार्यालयों के पीछे शहरी केन्द्र में एक कार्यालय का अनुपात है।

(ख) ठीक-ठीक यह बताना कठिन है कि एक बैंक प्रभावपूर्ण ढंग से कितने क्षेत्र की सेवा कर सकता है। बैंक की शाखा की स्थापना के लिए स्थान का चुनाव अनेक बातों के आधार पर किया जाता है जैसे आधार भूत सुविधायें, स्थान की विकास क्षमता जमा की रकमें जुटाने की क्षमता, आदि। इसके लिए जहाँ जिले के नेता बैंक फिलहाल कार्य कर रहे होते हैं, वहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना पड़ता है।

(ग) राजस्थान में 18 ग्रामीण केन्द्रों में कार्यालय खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस दे दिये गये । इसके अलावा राजस्थान के 7 जिलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित नेता बैंकों में सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें 39 बैंक सुविधा-रहित ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकों के कार्यालय खोलने के लिए चुना गया है। इनमें से अधिकांश केन्द्रों में अगले एक या दो वर्ष में बैंक कार्यालय खोल दिये जाने की सम्भावना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलने वाला पारिश्रमिक

1332. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और 31 मार्च, 71 को समाप्त होने वाले वर्ष में उनका वेतन-बिल कितना था;

(ख) विभिन्न उपक्रमों में कितने व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर हैं और कितने सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और वर्ष 1970–71 में उन्हें कुल कितना पारिश्रमिक मिला है; और

(ग) उपरोक्त पारिश्रमिक में से कितने धन का भुगतान प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को किया गया और यदि ये प्रतिनियुक्त कर्मचारी अपने मूल सरकारी विभागों में काम करते होते तो उनके पारिश्रमिक में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) : 31 मार्च, 1970 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के 91 औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कर्मचारियों

की कुल संख्या 6.13 लाख थी और उनके वेतन और मजदूरी का बिल लगभग 290 करोड़ रुपये का था। 1970–71 के लेखे अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) : 94 उपक्रमों के बारे में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1970 को, सरकारी सेवाओं से सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की संख्या लगभग 1380 थी। सरकारी उपक्रमों में नियुक्त सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो सूचना उपलब्ध है वह केवल उन्हीं व्यक्तियों के बारे में है जो एककों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/महाप्रबन्धक के पदों पर काम कर रहे हैं। इस सूचना के अनुसार, ऐसे 14 सेवा निवृत्त कर्मचारी है जो इस प्रकार के पदों पर कार्य कर रहे हैं जिनमें से 8 रक्षा सेवाओं के सेवा निवृत्त कर्मचारी है। उन सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है जो अन्य पदों पर काम कर रहे हैं।

(ग) : सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत, सरकारी सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को अदा किये जाने वाले आवश्यक अतिरिक्त पारिश्रमिक की ओर है। सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, सरकारी नियमों के अनुसार निश्चित की जाती है, जिनके अन्तर्गत इस बात का सुनिश्चित व्यवस्था की जाती है कि सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले इस प्रकार के कर्मचारियों का पारिश्रमिक, उपक्रम के पद के वेतन मान तथा उन कर्मचारियों द्वारा अपने मूल संवर्ग में लिये जाने वाले वेतन को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाय। इस प्रकार यह सम्भावना नहीं है कि सरकारी सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्तियों के कारण उद्यमों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

जन जातियों की सहायता के लिये कार्यक्रम

1333. **श्री आर० कडनापल्ली** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में जन जातियों के लोगों को सहायता देने के बारे में कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य उन राज्यों पर दबाव डाला है जिन्होंने अपने राज्यों में जन जातियों को सहायता देने के बारे में इसी प्रकार के कार्यक्रम बनाने के लिये कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने, जहाँ आदिमजातीय लोग रहते हैं, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए हैं। यह विशेष कार्यक्रम विकास के साधारण कार्यक्रम का अनुपूरक है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को ऐसे स्तर पर लाया जाए जहाँ वे साधारण विकास कार्यक्रम से पूरा और बराबर का लाभ उठा सकें।

अनुसूचित आदिम जातियों के लिए विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा समाज कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है, जिन्हें लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

जम्बो जैट सेवा का चलाया जाना

1334. **श्री आर० कडनापल्ली** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जम्बो जैट का चलना आरम्भ हो गया है;

(ख) उक्त जैट विमान की कितने यात्री ले जाने की क्षमता है; और

(ग) उक्त जैट विमान में यात्रियों को क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इण्डिया के बोइंग 747 विमानों (जम्बो जैट्स) का लन्दन तथा न्यूयार्क के लिए परिचालन आरम्भ हो गया है। वे बम्बई-दिल्ली खण्ड पर इण्डियन एयरलाइन्स के बढ़ती अन्तर्देशीय यात्रियों का भी वहन करते हैं (दोनों दिशाओं में)।

(ख) एयर इण्डिया के जम्बो जैट विमानों में 52 प्रथम श्रेणी तथा 288 किफायती श्रेणी की सीटें हैं।

(ग) प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए ऊपरी डेक पर एक लाऊंज है। किफायती खंड की सीटें बोइंग 707 की सीटों से 1–1/2" अधिक चौड़ी हैं और बीच के मार्ग स्थान 2" अधिक चौड़े हैं। उड़ान के दौरान चित्र दिखाए जाते हैं जिनके लिए दोनों श्रेणियों से विदेशी मुद्रा के रूप में थोड़ी सी राशि ली जाती है। टेप किया हुआ संगीत सुनाने के लिये छः सरणियाँ हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा सेवा से मुअत्तिल किये गये अथवा बरखास्त किये गये कर्मचारी

1335. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स में हाल ही में हुई तालाबन्दी में प्रबन्धकों द्वारा कितने कर्मचारियों को सेवा से मुअत्तिल किया गया अथवा बरखास्त किया गया; और

(ख) कर्मचारियों को इस प्रकार परेशान करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) तालाबन्दी की अवधि के दौरान कोई भी कर्मचारी निलम्बित या पदच्युत नहीं किया गया। तथापि, तालाबन्दी से तुरंत पहले 14 कर्मचारियों को भड़काने, उकसाने अथवा अवैध हड़ताल को बढ़ावा देने के कार्य करने के लिए निलम्बित किया गया। इन सभी मामलों में निलम्बन आदेश अब रद्द कर दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Loans Provided to Poor Farmers, Small Entrepreneurs etc. After Bank Nationalisation

1336. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of poor farmers, small entrepreneurs, persons engaged in leather trade and cultivators who have been given loans after bank nationalisation for purchasing tractors, ploughs, bullocks etc. in Rajasthan and the number out of them belonging to scheduled castes ; and

(b) the total amount of loans given by the banks in the Rajasthan after nationalisation to the classes of persons referred to in part (a) above ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : The information to the extent possible is being collected and will be laid on the Table of the House when it becomes available.

Financial Assistance to Scheduled castes and Scheduled Tribes for Construction of Houses

1337. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government and the State Governments give financial assistance to the families of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the form of grants for constructing houses with a view to solve their housing problems ; and

(b) if so, the amount of financial assistance to be given to each family in each State in the form of grants ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b) : In the Fourth Five Year Plan under the Centrally Sponsored Scheme there is a provision of Rs. 3 crores for a composite scheme of (i) giving financial assistance to sweepers, scavengers, tanners, flayers for construction of houses (ii) subsidy for purchase of house sites for Scheduled Castes engaged in unclean occupations and landless labourers and (iii) for the improvement in the working conditions of sweepers and scavengers. Under the State Sector Scheme, there is a provision of Rs.6.66 crores for giving financial assistance to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for construction of houses except in the State of Bihar.

In the Centrally Sponsored Scheme the pattern which is uniform throughout the country is that the total cost of construction of a house is fixed at Rs.1,200, which can be raised to Rs.1,600 in exceptional cases at the discretion of the State Governments. In the case of snow bound areas bordering Himalayas the cost of construction has been fixed at Rs.2,000. 75 per cent of the cost, as fixed, is given as subsidy and the balance is expected to be contributed by the beneficiary himself in the form of cash, labour or material, State Governments have introduced variations in the pattern of financial assistance in the State Sector Schemes pertaining to housing depending on local conditions.

केन्द्रीय बैंकिंग अधिकारियों द्वारा मूंगफली के लिए ऋण देने पर प्रतिबन्ध

1338. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय बैंकिंग अधिकारियों द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्पादित मूंगफली तथा अधिकांशतः लघु क्षेत्र में तेल मिलों द्वारा उत्पादित खाद्य तेलों में तेल के लिये ऋण देने पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण मूंगफली और खाद्य तेलों की फसल बोने तथा उनके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या उक्त ऋण प्रतिबन्धों के अनुसार तेल मिलों द्वारा जो कि अधिकांशतः लघु क्षेत्र में है उत्पादित खाद्य तेल के एक टीन पर केवल 25 प्रतिशत ऋण दिया जाता है और ज्योंही उस टीन को तेल मिल से वनस्पति घी के संयंत्र में ले जाया जाता है उस पर वनस्पति घी का उत्पादन करने वाले एककों को जो कि अधिकांशतः बड़े पैमाने के क्षेत्र में हैं 75 प्रतिशत का उदार ऋण दिया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उक्त स्थिति को देखते हुए ऋण सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) कृषकों को सिचाई, यन्त्रों तथा अन्य कृषि-कार्यों के लिए बैंकों द्वारा ऋण देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वास्तव में रिजर्व बैंक इन कार्यों के निमित्त ऋण देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करता है। तिलहन और तेलों पर बैंकों द्वारा

दिये जाने वाले ऋणों पर रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण करने का उद्देश्य बैंक के धन से सट्टेबाजी हेतु स्टाक-निर्माण को रोकना और धन के लेन-देन को तेज करना है।

(ख) : वनस्पति तेल, तेल-मिलों के लिए तैयार माल है, जबकि वनस्पति उत्पादक एककों के लिए यह कच्चा माल है। मिलों को, माल और धन के शीघ्रतर लेन-देन के लिए प्रेरित करने और इस प्रकार के तैयार माल के संचय पर रोक लगाने की दृष्टि से, वनस्पति तेलों पर, तैयार माल होने के कारण तेल मिलों को दिये जाने वाले ऋणों का न्यूनतम मार्जिन 75 प्रतिशत रखा गया है। दूसरी ओर वनस्पति उत्पादकों के मामले में, कारखानों के स्थान को दृष्टि में रखते हुए, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले वनस्पति तेल के एक सीमित भण्डार के लिये जो चार से छः सप्ताह तक चल सके, यह मार्जिन 40/50 प्रतिशत तक रखी गयी है। तेल मिलों पर लागू 75 प्रतिशत की न्यूनतम मार्जिन, वनस्पति उत्पादकों पर भी लागू होगा, यदि वे निर्धारित मात्रा से अधिक वनस्पति तेल पर और वनस्पति पर, जो उनके मामले में तैयार माल माना जाता है, अग्रिम लेते हैं।

(ग) : चुनी हुई वस्तुओं पर ऋण नियंत्रण लागू करते समय रिजर्व बैंक सभी संबंधित पक्षों, जैसे उत्पादन, उपभोक्ताओं के हित, मूल्य-प्रवृत्ति आदि को ध्यान में रखता है और जब भी आवश्यक होता है, नियंत्रण में यथा समय परिवर्तन किया जाता है।

वर्ष 1970 के दौरान भारत में पर्यटकों का आगमन

1339. **श्री पी० के० देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 की तुलना में वर्ष 1970 में भारत में पर्यटकों के आगमन में कितनी वृद्धि/कमी हुई;

(ख) उक्त अवधि में किन देशों से अधिक/कम पर्यटक आये;

(ग) पर्यटकों की संख्या में यदि कमी हुई है, तो इसके क्या कारण है;

(घ) वर्ष 1969 की तुलना में 1970 में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ङ) देश में पर्यटकों को अधिक सुविधायें देने और अविकसित पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1969 में 2,44,724 पर्यटकों के मुकाबले 1970 के दौरान 2,80,821 पर्यटक भारत आए। इस प्रकार 14.8% की वृद्धि हुई।

(ख) विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 321/71]**

(ग) : कुछ देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट नगण्य है, और उसके लिए कोई विशेष कारण नहीं दिए जा सकते।

(घ) : पर्यटन से 1969 में 33.11 करोड़ रुपये के मुकाबले 1970 में 38.03 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) : चूंकि भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या वृद्धि में आवास-स्थान तथा यातायात सम्बन्धी सुविधाओं की अपर्याप्तता प्रमुख बाधा है, निजी एवं सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। अन्य बातों के साथ साथ पर्यटकों को दी

जाने वाली अन्य सुविधाओं में ये सम्मिलित हैं--पारस्परिक आधार पर कुछ देशों के राष्ट्रिकों के लिए वीजा की समाप्ति, अस्थायी अवतरण अनुज्ञापत्र के आधार पर वीजा रहित प्रवेश जिसकी अवधि 7 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दी गयी है, और प्रवेश औपचारिकताओं को तेजी से निपटाने के लिए सरलीकरण प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना ।

एयर इण्डिया द्वारा गलत मानचित्र का प्रकाशन

1340. **श्री पी० के० देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक मानचित्र में जम्मू और काश्मीर के एक भाग को "देश के बाहर" दिखाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने एयर इण्डिया द्वारा गलत मानचित्र के प्रकाशन के बारे में कोई जाँच करवाई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार ने इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : दिसम्बर 1969 में, एयर इण्डिया की न्यूयार्क स्थित विज्ञापन एजेंसी द्वारा एक विज्ञापन में एक मानचित्र सम्मिलित किया गया था। इस चित्र का आशय भारत की सीमा का सही-सही चित्रण करना नहीं था, और जैसे ही यह बात एयर इण्डिया के नोटिस में आयी कि इसका गलत अर्थ लगाया जा सकता है, तो इसे निकाल दिया गया। कारपोरेशन ने सभी स्टेशनों को अनुदेश दे दिये हैं कि यदि किसी विज्ञापन अथवा प्रकाशन में कोई मानचित्र सम्मिलित किया जाता है, तो यह भारत की सीमाओं को सही-सही दर्शायें।

पाकिस्तान द्वारा माल सहित जब्त किये गये भारतीय स्टीमर

1341. **श्री पी० के० देव**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने 1965 में हुये भारत पाकिस्तान युद्ध से पूर्व माल सहित कितने स्टीमरों को जब्त किया था तथा सरकार ने उसके परिणामस्वरूप कितनी धन राशि क्षति पूर्ति के रूप में दी है;

(ख) पाकिस्तान द्वारा पाँच वर्ष पूर्व आसाम और पश्चिम बंगाल के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग बन्द करने की एक तरफा कार्यवाही के परिणाम स्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के प्रारम्भ होने से पहले पाकिस्तान ने कोई स्टीमर जब्त नहीं किये थे। तथापि उक्त संघर्ष के दौरान 1965 में पाकिस्तान ने तीन भारतीय समुद्रगामी जहाजों को और 190 अंतर्देशीय जलयानों को अपने कब्जे में कर लिया था। इन तीन जहाजों में से दो की भारत द्वारा बंदी किये गये दो पाकिस्तानी जहाजों के साथ अदला बदली की गयी। भारत द्वारा बंदी किये गये तीसरे पाकिस्तानी जहाज का आम नीलाम कर दिया गया है और नीलाम से

प्राप्त धन को निष्कांत सम्पत्ति परिरक्षक के व्यक्तिगत खाता लेखा में जमा किया गया था। एक पाकिस्तानी "फ्लाट" अभी भी भारत सरकार के कब्जे में है पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये सारे भारतीय जहाज गैर सरकारी चालकों के थे। अगस्त-सितम्बर 1965 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाये गये 174 नदी जलयानों के लिए आपात जोखिम बीमा योजना के अंतर्गत दावा किया गया है इसे जहाजों के दावों की कुल राशि 77.32 लाख रुपये हैं। इसके अलावा कंपनियों के एक दल द्वारा किये गये दावों के निवटारे के लिए 5.76 लाख रुपये की एक और राशि का प्रस्ताव आया था परंतु दावेदारों ने इस प्रस्ताव को अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

(ख) यद्यपि आसाम और पश्चिम बंगाल के बीच के ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग को पाकिस्तान द्वारा एक पक्षीय रूप से बंद करने के फलस्वरूप अंतर्देशीय जल परिवहन उद्योग का भारी विघटन हुआ, परंतु वित्तीय रूप से किस हद तक हानि हुई इसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। कलकत्ता से आसाम और आसाम से कलकत्ता जाने वाले यातायात का विशाखन रेल और सड़क से उनकी क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करके किया गया है।

(ग) भारतीय पोतों को रिहा करने का प्रश्न विगत समय में भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार के साथ कई बार उठाया गया। परंतु इस संबन्ध में किये गये प्रयत्न सफल नहीं हुए। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने 188 भारतीय अंतर्देशीय जहाजों की बिक्री कर दी है और उस बिक्री से प्राप्त धन को अपनी समुद्री सेवा निधि में जमा कर दिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान की कार्यवाही के और इन जहाजों की गैर कानूनी बिक्री और इस्तेमाल के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है। भारत सरकार बंदी किये गये भारतीय जहाजों की हानि और उन पर हुई क्षति के लिए दावा करने के अपने हक को आरक्षित रखती है। कलकत्ता और आसाम के बीच ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग को पाकिस्तान हो कर पुनः खोलने के प्रश्न को भारत सरकार ने नहीं उठाया है।

उड़ीसा समुद्र तट पर छोटे बन्दरगाहों का विकास करने का प्रस्ताव

1342. **श्री पी० के० देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा समुद्र तट पर गोपालपुर और चंदवाली छोटे बन्दरगाहों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और अब तक कितनी प्रगति हुई है?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : चौथी योजना काल में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत गोपालपुर तथा चांदवाली दोनों पत्तनों में से एक को विकास के लिये चुनने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार के परामर्श से नियुक्त की गई समिति ने गोपालपुर के विकास के लिये सिफारिश की है। भूमि सर्वेक्षण, मिट्टी की जाँच, तरंगों की ऊँचाई संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने, ट्रेसर अध्ययन आदि जैसे प्रारम्भिक कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार ने 5.34 लाख रुपये की मंजूरी पहले ही दी हुई है।

Outstanding Amount of Income Tax against Shri Vasudev Aggarwal of Patna

1343. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of arrears of income-tax due from Shri Vasudev Aggarwal, an industrialist of Patna, and the action taken by Government to realise it ;

(b) whether the said industrialist was some time back trying to go abroad taking several lakhs of rupees in cash, and jewellery worth several lakhs of rupees ; and

(c) the amount of cash and the value of jewellery seized by the Income-tax officials while he was travelling in the plane ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The amounts in respect of income-tax and penalty due from Shri Vasudev Aggarwal and Standard Mercantile Co., Patna, a firm in which he is a partner, are as under :—

	Income-tax	Penalty
	Rs.	Rs.
Shri Vasudev Aggarwal	2,10,472	1,07,566
Standard Mercantile Co., Patna	23,58,153	5,74,466

Certificate proceedings have been started for the recovery of the tax. One of the reasons for the search was to ensure the recovery of taxes.

(b) He was going to Udaipur from Patna with the intention of going abroad when the search was undertaken at the Patna airport. It is not possible to say whether he intended to take abroad the cash, jewellery and precious stones seized.

(c) A sum of Rs. 2,30,000 in cash and jewellery and precious stones worth several lakhs of rupees were seized at the time of the search

दिल्ली में स्कूलों में ली जाने वाली फीस

1344. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में जिनमें प्राइमरी, नर्सरी और उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी शामिल हैं, शिक्षा की समान प्रणाली और फीस की समान दरें हैं; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में कुछ गैर-सरकारी स्कूल बहुत अधिक फीस लेते हैं और यदि हाँ, तो इसको न्याययुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे सामान्य व्यक्ति भी उसको सहन कर सकें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ। दिल्ली प्रशासन को फिलहाल दिल्ली की प्राइवेट संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों को नियंत्रित करने के लिए कोई संविधिक प्राधिकार प्राप्त नहीं है। किन्तु, संसद में पेश किये जाने वाले दिल्ली शिक्षा विधेयक प्रारूप में मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा लिये जाने वाले शुल्कों को विनियमित करने की व्यवस्था है।

छोटे उधार लेने वालों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र

1345. **श्री कल्याण सुन्दरम्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उधार लेने वालों से इस आशय की शिकायतें आई हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक धनराशि उपलब्ध न होने की बात कह कर ऋण के लिये उनके आवेदनपत्रों को अस्वीकार कर रहे हैं जबकि उन क्षेत्रों और कारखानों को जिनको वर्षों से बड़ी मात्रा में बैंक-सहायता मिल रही है, दी जाने वाली धनराशि में कटौती नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) : छोटे ऋणकर्ताओं के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनायी गयी ऋण-नीति और जमा के लिए रकमें जुटाने के प्रयत्नों के बावजूद कुछ शिकायतें मिली हैं कि छोटे ऋणकर्ताओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब कोई खास शिकायतें सरकार के ध्यान में लायी जाती हैं तब उन्हें समुचित कार्यवाही के लिए सम्बद्ध बैंकों के पास भेज दिया जाता है। प्रत्येक बैंक में समुचित ऋण आयोजन कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर बैंक अभिरक्षकों पर जोर डाला गया था और अप्रैल, 1971 में वित्त मंत्री द्वारा बुलायी गयी हाल की बैठक में अभिरक्षकों को परामर्श दिया गया था कि राष्ट्रीयकरण के आधारभूत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उपेक्षित क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाय।

बड़ी रकमों वाले खातों पर बहुत गहराई से छानबीन की जा रही है और भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के नाम इस विषय पर विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त परिचालित किये हैं। सामान्यतः बैंक केवल कार्यचालन पूंजी के लिए ही ऋण देते हैं और वे इस बात के अधिकाधिक प्रयत्न करते रहे हैं कि बड़े ऋणकर्ताओं को ऋण सुविधाएं केवल वास्तविक उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए ही दी जायं। छोटे ऋणकर्ताओं के प्रति बैंकों की प्रवृत्ति में होने वाले अधिकाधिक परिवर्तन की झलक किसानों, लघु उद्योगों, सड़क परिवहन चालकों, खुदरा व्यापारियों और छोटे धन्धों, आत्म-नियोजित व्यक्तियों और शिक्षा के लिए दिये गये ऋणों के खातों में हुई वृद्धि में मिलती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इस प्रकार के खातों की संख्या जो जुलाई, 1969 के शुरू में लगभग 2.8 लाख थी दिसम्बर 1970 के अन्त में बढ़कर 11.3 लाख हो गयी है।

तकनीकी शिक्षा का पुनर्गठन करने सम्बन्धी दामोदरन समिति का प्रतिवेदन

1346. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा का पुनर्गठन करने सम्बन्धी दामोदरन समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हाँ। रिपोर्ट 29 मई, 1971 को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) मुख्य सिफारिशों का सार संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 322/71**]

(ग) चूंकि समिति की नियुक्ति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा की गई थी; अतः रिपोर्ट पर पहले अखिल भारतीय परिषद द्वारा विचार किया जायेगा और फिर सरकार द्वारा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि से कम आय वाले वर्ग को कम ब्याज पर ऋण

1347. **श्री एस० एम० कृष्ण:** **श्री पी० गंगादेव:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि से कम आय वाले वर्ग को कम ब्याज पर ऋण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब से लागू किया जायेगा; और

(ग) इससे कम आय वाले व्यक्तियों को क्या लाभ होगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक के उपगवर्नर डाक्टर आर० के० हजारी की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने कतिपय क्षेत्रों में कमजोर ऋणकर्ताओं से कम दर पर ब्याज लेने के प्रश्न की जाँच की है। समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी प्रतियाँ शीघ्र ही संसद के पुस्तकालय में रख दी जायेंगी। समिति की सिफारिशों की जाँच की जा रही है।

विदेशों से सहायता के लिये करार

1348. **श्री एस० एम० कृष्ण:** **श्री पी० गंगादेव:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने 1970–71 में विदेशों से 724.8 करोड़ रुपये की सहायता के लिये करार किये थे;

(ख) यदि हाँ, तो भारत ने इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया है;

(ग) क्या भारत ने गैर-परियोजना सहायता का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण): (क) और (ख): जी, हाँ। सहायता की इस रकम में से 1970–71 में 226.7 करोड़ रुपये की रकम उपयोग में लायी गयी थी।

(ग) और (घ): जी, हाँ। प्रायोजना-भिन्न ऋणों का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना कई बातों पर निर्भर करता है जिनका सम्बन्ध, ऋणों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ ऋणदाता देशों में औपचारिकताओं का पूरा किया जाना, आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना, आयातकों द्वारा आर्डरों का दिया जाना, माल की सुपुर्दगी आदि से होता है। प्रायोजना-भिन्न ऋण का पूरा-पूरा उपयोग करने में प्राय: 12 से 18 महीने तक का समय लग जाता है।

दिल्ली में सरकारी स्वामित्व वाले होटलों द्वारा दिखाया गया लाभ

1350. **श्री निहार लास्कर:** **श्री एस० एम० कृष्ण:**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1970–71 में नई दिल्ली स्थित अशोक होटल ने कितना लाभ अर्जित किया; और

(ख) वर्ष 1970–71 में नई दिल्ली स्थित अन्य सरकारी होटलों ने अलग-अलग कितना लाभ अर्जित किया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : अशोक और नई दिल्ली स्थित अन्य सरकारी होटलों अर्थात् जनपथ होटल, रणजीत और लोधी होटलों के वित्त वर्ष 1970–71 के लेखे अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किये गये हैं अतः अभी इस समय यह बता सकना संभव नहीं है कि इन होटलों ने यथार्थ रूप से कितना-कितना लाभ अर्जित किया है।

Production of House Rent Receipts by Government Employees

1351. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 179 on the 2nd April, 1971 and state :

(a) whether house rent receipts are still being asked for by the various Departments despite orders of Vitta Mantralaya that House Rent Allowance would be paid to the employees drawing less than Rs. 620 as pay without producing any receipt ;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ;

(c) whether the Departments concerned have since been instructed not to ask for house rent receipts from such employees ; and

(d) if not, the reasons therefor and the steps proposed to be taken in this regard in future ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (d) : I presume that the Hon'ble Member wants to know the position regarding production of house rent receipts by the officials of the Central Intelligence Bureau, Central Bureau of Investigation and the Delhi Police, referred to in the Unstarred Question No. 179 of 2nd April, 1971. A statement giving the information is laid on the Table of the House.

Statement

The non-gazetted personnel in the Delhi police who are eligible for rent free accommodation but who cannot be provided with such accommodation, are allowed house rent allowance in lieu thereof to the extent of actual expenditure incurred by them on a rented house, subject to a ceiling of 25 percent of pay, provided that the other prescribed conditions are fulfilled. It is only in cases where house rent allowance in excess of 15% is claimed under this arrangement that house rent receipt is required to be produced by the personnel concerned. The same position obtains in respect of the non-gazetted (executive) employees of the Central Intelligence Bureau and Central Bureau of Investigation posted in Delhi.

The basic idea behind increasing the quantum of house rent allowance from 15 percent to 25 percent of pay in the case of these personnel was to relate the grant of house rent allowance to the actual rental liability upto a maximum of 25 percent of pay. The production of house rent receipt has been prescribed with a view to determining the actual rental liability and, therefore, cannot be dispensed with.

Indian Coins seized from a firm in Kasganj, U. P.

1352. **Shri Jagannathrao Joshi** : **Shri Hukam Chand Kachwai** :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether Indian coins weighing about 10 maunds and equipment which is used for melting them, were seized in a raid carried out on a firm in Kasganj, in Uttar Pradesh in the fortnight of May, 1971 ; and

(b) if so, the action taken against the persons concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The U. P. Police made a raid on 2nd May, 1971 at the firm of one Lakhpat Rai of Kasganj and seized about 1000 K.g. of 2P and 5P coins along with certain melting equipments.

(b) Eight persons including the owner of the firm were arrested. A case under Section 246 I.P.C. has been registered at Kasganj P. S. and is under investigation.

Steps to check ticketless travel in D. T. U. buses

1353. **Shri Jagannathrao Joshi :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the average number of passengers who travel by D. T. U. buses daily ;

(b) the approximate number of passengers who travel without tickets in D.T.U. buses daily ; and

(c) the steps being taken by the D. T. U. to stop ticketless travelling in its buses ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) According to the General Manager, D.T.U., on an average, 9.02 lakh passengers travel by D.T.U. buses daily.

(b) It is difficult to indicate even the approximate number of passengers who travel without ticket daily in the buses of the Delhi Transport Undertaking.

(c) The D.T.U. is making constant and vigorous efforts to check ticketless travel with a view to increasing its revenue. The various steps taken by the Undertaking in this direction are given below :—

(i) Advance booking on important heavy loading points has been introduced.

(ii) Helper conductor is provided during peak hours on buses with separate entrance and exit.

(iii) Conductors have instructions to issue tickets to the passengers at the starting point before the bus starts.

(iv) Checking of ticketless travel in the buses is done by inspection staff of D.T.U.

(v) Surprise checking with jeeps fitted with radio communication system is carried out throughout the operational area.

(vi) Alighting checking at heavy unloading points by traffic supervisory staff of the Undertaking.

(vii) Buses are checked at certain check posts.

(viii) Mobile raids with Judicial Magistrates on duty are organised to apprehend the ticketless travellers and to punish them.

(ix) Departmental action is initiated against the conductors who are found indulging in mal-practices.

गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

1354. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 से गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के विरुद्ध सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ख) इस प्रकार की प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : यदा कदा शिकायतें प्राप्त होती हैं जिन्हें उनके गुण-दोषों के आधार पर निबटाया जाता है।

राष्ट्रीय एकता परियोजना और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को दिया गया अनुदान

1355. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में राष्ट्रीय एकता परियोजना और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को कितना धन आवंटित किया गया;

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने उसी अवधि में राष्ट्रीय एकता पर कितने चलचित्रों का निर्माण किया;

(ग) क्या राष्ट्रीय एकता परियोजना के परियोजना अधिकारी ने राष्ट्रीय एकता के विषय पर किसी चलचित्र को अस्वीकार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उन्होंने उसे किस आधार पर अस्वीकार किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) गत दो वर्षों में राष्ट्रीय एकता परियोजना के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को आवंटित की गई राशि 10,88,061 रु० थी।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अभी तक राष्ट्रीय एकता पर किसी भी चलचित्र का निर्माण नहीं किया है। परिषद् के चालू वर्ष के कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता पर चल-चित्रों के निर्माण का कार्य शामिल कर लिया गया है।

(ग) और (घ) अभी तक कोई भी परियोजना अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, और सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग के अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी के रूप में इसकी देख-रेख कर रहे हैं। "स्टोन्ज आफ पेथ" नामक दो रीलों के एक चलचित्र का पुनरीक्षण राष्ट्रीय परिषद् में 8–12–1970 को हुआ था, जब कि अध्यापक सहायता तथा सामाजिक विज्ञान और मानविकी के दोनों ही विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। इस चलचित्र का अनमोदन इस लिए नहीं किया गया क्योंकि वह चित्र राष्ट्रीय एकता पर प्रकाश नहीं डालता था तथा वह बेगम सुमरू के जीवन के कुछ प्रमुख झाकियों के साथ साधना के खर्च पर केवल एक वृत्त चित्र मात्र ही था।

सरकार द्वारा संसद् में दिये गये आश्वासन

1356. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **संसदीय कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी लोक सभा के दौरान संसद् में प्रश्नों आदि के उत्तर में सरकार ने कितने **आश्वासन दिये; और**

(ख) उस अवधि के दौरान कितने आश्वासन पूरे किये गये ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) चौथी लोक-सभा के दौरान सरकार ने प्रश्नों आदि के उत्तर में 10,965 आश्वासन दिए; और

(ख) भाग (क) में दी गई संख्या में से 8,608 आश्वासन चौथी लोक सभा के दौरान पूरे किए गए। बाकी बचे आश्वासनों में से 522 आश्वासन पूरे किए जा चुके हैं और उन पर प्रतिवेदन चौथी लोक सभा के भंग हो जाने के पश्चात् 2 अप्रैल, 1971 को सदन में रख दिए गए थे। चौथी लोक सभा से संबंधित 274 आश्वासनों के अगले सेट के विषय में क्रियान्विति प्रतिवेदन सभा-पटल पर आज (अर्थात् 4 जून, 1971) रखे जा रहे हैं।

आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

1357. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये आवासीय मकान का निर्माण करने के लिये कई बड़े शहरों में भूमि अधिग्रहित की गई है परन्तु उस पर निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो अधिग्रहीत भूमि का ब्यौरा क्या है और विभिन्न शहरों में इस समय कितने विभागीय क्वार्टर हैं;

(ग) मकानों के निर्माण-कार्य के लिये गत तीन वर्षों में बजट में कितनी धन राशि की व्यवस्था की गई थी तथा वास्तव में कितना धन व्यय हुआ था; और

(घ) निर्माण-कार्य में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) : विवरण-पत्र संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 323/71**]

Branches of State and other Commercial Banks in Uttar Khand Region

1358. **Shri N. S. Bisht :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of branches of State Bank and other Commercial Banks in Uttarkhand region before the nationalization of banks and the number of branches opened by the natioanalized banks after their nationalization ; and

(b) the amount of loans given by the branches to different persons and institutions for various purposes since natioan'isation as also the terms and conditions thereof ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The number of offices of commercial banks in Uttara Khand region i.e. the area comprising of three districts of U. P., namely, Chamoli, Pithoragarh, and Uttar Kashi, was 3 at the end of June, 1969. The number has since gone up to 13. All the new offices have been opened by the banks in the public sector.

(b) Information is not readily available. This will be collected and laid on the Table of the House.

Sale of Smuggled Goods

1359. **Shri N, S. Bisht :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to an article published in the "Nav Bharat Times" (Delhi edition) of 12th May, 1971, wherein it has been stated that smuggled goods are being sold openly ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the action being taken by Government to check smuggling of goods into the Country ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir. Foreign goods including some smuggled goods and some goods acquired from other sources such as passenger's baggage cleared on payment of fine and duty, are sold in small quantities in some shops and by hawkers.

(b) Normal preventive measures are taken and would continue to be taken which include collection of intelligence for organising raids, surveillance and watch in the markets. Periodical searches of shops and pavement stalls displaying and selling foreign goods are also carried out. When seizures are effected, departmental proceedings are instituted which may lead to confiscation of seized goods and imposition of personal penalty.

(c) The following measures have been taken to prevent smuggling of contraband goods ; systematic collection and follow up of information, keeping a watchful eye on the suspected smugglers, rummaging of suspected vessels or aircraft and patrolling of vulnerable sectors along the coast and the land frontiers. Some senior officers of the rank of Collectors of Customs, Additional Collectors of Customs and Assistant Collectors of Customs have been posted in vulnerable areas to look after anti-smuggling work exclusively. Customs Act, 1962 has been amended making additional provisions to take special measures for the purpose of checking illegal import and export of certain commodities and facilitating their detention. The position is also reviewed frequently in the light of the information collected, for suitable action.

स्कूलों में आयोजित "मिथ्या संसद"

1360. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या संसदीय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्कूलों के नाम क्या हैं जहाँ मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में "मिथ्या संसद्" का आयोजन किया गया था;

(ख) प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार आदि के रूप में क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं ; और

(ग) ग्राम्य क्षेत्रों के स्कूलों में ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) एक सूची, जिसमें मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान दिल्ली में आयोजित की गई पाँचवीं मिथ्या संसद् प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 41 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के नाम दिखाए गए हैं, अनुबन्ध में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 324/71**]

(ख) इस योजना में प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति के पश्चात् उसमें भाग लेने वाले संस्थानों/विद्यार्थियों को निम्नलिखित पुरस्कार देने की व्यवस्था है :—

(i) शील्ड (संसदीय शील्ड) । यह एक रनिंग शील्ड होगी जो प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली संस्था के पास एक वर्ष के लिए रहेगी।

(ii) एक क्षेत्रीय ट्राफी जो उस क्षेत्र के अन्तर्गत स्कूलों द्वारा किए गये अभिनय में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जायेगी।

(iii) प्रतियोगिता में योग्य अभिनय के लिए, दक्षता क्रम के आधार पर, संस्थाओं के लिए ट्राफियाँ।

(iv) प्रतियोगिता में प्रवेश करने वाली नई संस्थाओं में प्रथम आने वाली संस्था के लिए एक ट्राफी।

(v) प्रत्येक संस्था से चुने गए कुछ अभिनेताओं के लिए मेडल/कप/पुस्तकों के व्यक्तिगत दक्षता पुरस्कार।

(ग) प्रतियोगिता का आयोजन केवल उन्हीं स्कूलों में किया जाता है जिनकी सिफारिश शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा की गई हो। ऐसे स्कूलों में ग्राम क्षेत्रों के स्कूल भी स्थायी तौर से सम्मिलित होते हैं।

योरूप में डालर संकट का भारत के विदेशी ऋण पर असर

1361. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान डालर संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या, असर पड़ा है;

(ख) क्या योरुप के अनेक देशों द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन किये जाने के कारण भारत को अपने ऋणों का भुगतान करते समय एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

(ग) यदि हाँ, तो कितना और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी हाल की घटनाओं का भारत के निदेश व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। फिर भी, सहायता की प्राप्ति और विश्व व्यापार के विकास के सम्बन्ध में दीर्घकालीन अनिश्चिताओं से बचने के लिए सुचारू और स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राप्रणाली का होना अनिवार्य है।

(ख) और (ग) : आस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड ने 9 मई 1971 को औपचारिक रूप से अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्य को क्रमश: 5.05 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत बढ़ा दिया। अनुमान है कि इस पुनर्मूल्यन से 1971–72 के दौरान ऋण परिशोधन सम्बन्धी प्रभार के रुपया-मूल्य में 49 लाख रुपये की वृद्धि हो जायगी। दूसरी ओर, पश्चिम जर्मनी और नीदरलैंड ने अपनी मुद्राओं के लिए नया सममूल्य निर्धारित करने की बजाय उनका मूल्य निर्धारित न करने का फैसला किया है, जिससे, इन देशों को वापस किये जाने वाले ऋण पर ऋण परिशोधन सम्बन्धी प्रभारों के रुपया सममूल्य में होने वाली वृद्धि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है फिर भी, यूरोप में हाल में हुए मुद्रा सम्बन्धी परिवर्तनों का ऋण परिशोधन सम्बन्धी दायित्वों पर सही मायनों में यदि कोई वास्तव में प्रभाव पड़ा तो वह कई बातों पर निर्भर करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इकाई मूल्य और इन देशों को भारत से किये जाने वाले निर्यात की मात्रा, उन देशों द्वारा दी जाने वाली ऋण-राहत और अनाबद्ध सहायता की रकम शामिल है।

राजस्थान को जाने वाले पर्यटक

1362. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में राजस्थान के ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक वर्ष में राजस्थान को कितने-कितने पर्यटक गये; और

(ग) राजस्थान जाने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : आने वाले पर्यटकों के सम्बन्ध में आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि राज्य अथवा स्थान-वार आधार पर। तथापि ऐसा अनुमान है कि पर्यटक यातायात में वृद्धि के कारण अधिक संख्या में पर्यटक राजस्थान की यात्रा करते हैं।

(ग) : उपर्युक्त प्रचार के अलावा आवास तथा परिवहन सुविधाओं की परिपुष्टि करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

कृषि क्रान्ति के परिणामस्वरूप सम्पन्न हो रहे क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम का कार्य

1363. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम उन क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं कर सका है, जिनमें "कृषि क्रान्ति" के परिणाम-स्वरूप सम्पन्नता आई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस स्रोत से लाभ उठाने के लिये सरकार विशिष्ट उपाय करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) यद्यपि 'कृषि-क्रान्ति' से लाभान्वित समझे जाने वाले क्षेत्रों में नये कारोबार में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु, अन्य देहाती क्षेत्रों की अपेक्षा इन क्षेत्रों में अधिक वृद्धि हुई है।

(ख) समग्र देहाती क्षेत्रों में अपना कारोबार बढ़ाने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं;

(i) देहाती क्षेत्रों में नये शाखा कार्यालय, उप कार्यालय तथा विकास केन्द्र खोलना। क्षेत्रीय संगठनों तथा बीमा कराने वालों के साथ बेहतर सम्पर्क बनाये रखने के लिये इन केन्द्रों में छोटे छोटे कार्यालय खोलने तथा वर्तमान उप कार्यालयों और विकास केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उनको अपेक्षाकृत अधिक संख्या में शाखा कार्यालयों का रूप देने का प्रस्ताव है, जिससे क्षेत्रीय संगठन अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में पालिसियों की सेवा कर सकें।

(ii) क्षेत्रों का सुसम्बद्ध खण्डों में क्रमिक विभाजन और ऐसे प्रत्येक खण्ड को एक कार्यकर्त्ता के अधिकार में रखना।

(iii) देहाती क्षेत्रों में एजेंसियाँ लेने को प्रोत्साहन देने के निमित्त देहाती एजेंटों के लिये कारोबार की न्यूनतम गारंटी को निम्न स्तर पर नियत करना।

(iv) गैर-डाक्टरी (साधारण) योजना के लिये सीमा बढ़ा कर 5000 रुपये करना तथा डाक्टरी परीक्षकों की नियुक्ति के लिये निम्न अर्हता निर्धारित करना।

(v) कार्यविधियों का सरलीकरण।

(vi) जिन क्षेत्रों में बैंक सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उनमें पालिसीधारियों से प्रीमियम एकत्र करने के लिये चुनिंदा स्थानों पर डाकघरों के साथ विशेष प्रबन्ध करना।

(vii) देहाती क्षेत्रों में गश्ती प्रचार वाहन भेजना।

(viii) देहाती क्षेत्रों में प्रीमियम की नियमित अदायगियों में अनुभव की गयी कठिनाइयाँ

दूर करने के उपाय के रूप में, प्रीमियम की अदायगी में चूक की दशा में विशेष व्यवस्था करने के लिये बीमा की गयी पालिसी अर्थात् शतवर्षीय पालिसी जारी करना।

विदेशी सहायता

1364. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दो वर्षों के दौरान कितनी राशि की विदेशी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ख) पिछले वर्षों की विदेशी सहायता की राशियों की तुलना में उक्त राशि कितनी कम होगी।

(ग) क्या विदेशी सहायता में इस कटौती से औद्योगिक उत्पादन में कमी और औद्योगिक विकास की गति मन्द होगी ;

(घ) यदि हाँ, तो इस कारण औद्योगिक विकास की गति मन्द न होने देने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) : चूंकि विदेशी सहायता संबंधी वचन वार्षिक आधार पर दिये जाते हैं; इसलिए इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि अगले दो वर्षों में कितनी विदेशी सहायता मिलने की सम्भावना है।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

लेखा वाह्य धन का पता लगाया जाना

1365. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में काले धन के संबंध में कितने छापे मारे गये;

(ख) प्रत्येक छापे में कितना काला धन बरामद किया गया था; और

(ग) इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तथा उन व्यक्तियों का व्यौरा क्या है जिनके पास काला धन पाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर विभाग ने लेखा-बाह्य धन का पता लगाने के लिए 31 मार्च 1971 को समाप्त छः महीने की अवधि में जो तलाशियाँ लीं उनकी संख्या 126 है।

(ख) और (ग) : इन तलाशियों के दौरान 71,13,131 रु० की नकदी सहित 76,06,666 रु० मूल्य की परिसम्पत्तियाँ पकड़ी गई क्योंकि ये परिसम्पत्तियाँ, प्रथम दृष्ट्या, लेखा-बाह्य प्रतीत होती थीं। छिपाई गई आय को कर के अन्तर्गत लाने के लिए आगे जाँच-पड़ताल जारी है। जिन व्यक्तियों के पास लेखा-बाह्य धन था। उनके संबंध में व्यौरा तभी उपलब्ध हो सकेगा जब आगे जाँच-पड़ताल पूरी कर ली गई हो, संबंधित व्यक्तियों के स्पष्टीकरणों की जाँच कर ली गई हो और कर-निर्धारण तथा अपील संबंधी कार्यवाही पूरी हो गई हो। इसके बाद ही आयकर विभाग यह कह सकता है कि जो रकम पकड़ी गई है वह वास्तव में लेखा-बाह्य धन है। इसलिए इस स्थिति में इन व्यक्तियों में से प्रत्येक के संबंध में लेखा-बाह्य धन का व्यौरा देना संभव नहीं है। कर-निर्धारण के लिए तथा जहाँ जरूरी हो दण्ड लगाने तथा इस्तगासे के लिए आयकर अधिनियम में विहित सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

केरल सरकार द्वारा कालीकट हवाई अड्डे के लिये भूमि अधिग्रहण

1366. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिये केरल सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि केन्द्रीय अधिकारियों को सौंप दी गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा; और

(ग) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हाँ।

(ख) : भूमि की भराई तथा उसे समतल करने का प्रारंभिक कार्य अगले वर्ष के भीतर शुरू हो जाने की आशा है।

(ग) : सूचना है कि केरल सरकार ने विमान क्षेत्र स्थल को मुख्य मार्ग से मिलाने वाली सड़क के निर्माण के लिये 14.84 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है।

केरल में संस्कृति विश्वविद्यालय

1367. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार की सहायता से केरल में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का सरकार का विचार है यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या केरल सरकार ने संस्कृत में उच्च शिक्षा और अनुसन्धान हेतु केन्द्र सरकार को कोई योजना भेजी थी और सहायता की माँग की थी;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उस योजना पर विचार किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) केरल में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है जो मुख्यतया राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना से सम्बन्धित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Loan Advanced by Nationalised Banks Different Industries

1368. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Miinster of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced to the textile industry, the sugar industry and the pulse industry in the country by the nationalised Banks during the financial year 1970-71 ; and

(b) the provision made for advancing loans to these industries during the financial year 1971-72. ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The information is not readily available and the same will be placed on the table of the House as soon as it becomes available.

(b) Nationalised banks do not make allocation of amounts industry wise. Individual cases pertaining to the industries under reference are considered on merits and bank finance for all the genuine productive requirements are met.

Business of Life Insurance Corporation

1369. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of policies issued as also the amount of business done by the Life Insurance Corporation during the year 1969-70 and 1970-71 separately ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The new business secured by the L. I. C. during the years 1969-70 and 1970-71 are as under :

Years	No. of Policies	Sum Assured (in crores of Rs.)
1969-70	14,01,254	1036.08
1970-71	16,22,261	1303.01 (Provisional)

Seizure of Smuggled Gold at New Delhi Railway Station

1370. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether gold worth Rs.1.50 lakhs was recovered from some passengers at New Delhi Railway Station during the first fortnight of April, 1971 ; and

(b) if so, the number of persons arrested and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) On 9th April, 1971, 68 bars of gold bearing foreign markings were recovered at New Delhi Railway Station from a lady passenger who was travelling from Bombay by Janta Express along with two other passengers. The value of the gold is about Rs. 61 thousands at international monetary rate and Rs.1.38 lakhs at merket rate.

(b) Four persons were arrested and subsequently released on bail by the Magistrate. Investigations are proceeding.

भारतीय ध्वजपोतों के नाविकों द्वारा हड़ताल

1371. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय ध्वज-पोतों के नाविकों की अनिश्चित काल के लिये चल रही हड़ताल की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : भारतीय नाविक राष्ट्रीय संघ बंबई ने बोनस और अन्य भत्तों के भुगतान की अपनी माँग पर जोर देने के लिये 1–4–71 से भारतीय जहाजों के वहिष्कार का आश्रय लिया। सरकार और संबंधित दलों के प्रयास के फ़लस्वरूप 17 अप्रैल, 1971 को हड़ताल वापिस ले ली गई यह नाविकों और पोतस्वामियों के बीच बातचीत द्वारा समझौते की सहमति हो जाने के बाद हुआ यह बातचीत सहमति के अनुसार की गई परन्तु दुर्भाग्य से बातचीत असफल रही।

सरकार अभी भी हल ढूंढ़ने का प्रयास कर रही है।

आयकर की अदायगी से छूट-प्राप्त संगठन

1372. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सभी संस्थाओं और संगठनों के क्या नाम हैं, जिन्हें आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर से छूट प्राप्त है ;

(ख) दी जा रही छूटों के परिणामस्वरूप आयकर की कुछ छूट की अनुमानित राशि कितनी है ;

(ग) क्या किसी संस्था या संगठन के बारे में गत वित्तीय वर्ष के दौरान इस बात का पता लगाने के लिये जाँच की गयी है कि कर से प्राप्त छूट का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है ;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी संस्था या संगठन का नाम क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की जाँच-पड़ताल का क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

आयकर अधिनियम, 1961 की कई धाराओं में सूचीबद्ध विभिन्न प्रकार की आय के संबंध में, आयकर अधिनियम के अधीन आयकर से छूट उपलब्ध है। ये धाराएं इस प्रकार है :—

(i) **धारा 11** : पुण्यार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजन से गठित न्यासों को सम्पत्ति से होने वाली आय।

(ii) **धारा 12** : पुण्यार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजन से गठित न्यासों को स्वैच्छिक अंशदानों से होने वाली आय।

(iii) **धारा 10 (21)** : मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को होने वाली आय।

(iv) **धारा 10 (22)** : विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को होने वाली आय।

(v) **धारा 10 (22 क)** : लाभ के उद्देश्य से नहीं चलाए जाने वाले अस्पतालों तथा अन्य संस्थाओं को इलाज और स्वास्थ्य-लाभ के कारण आय।

(vi) **धारा 10 (23)** : अधिसूचित खेलों को नियंत्रित अथवा प्रोत्साहित करने के अभिप्राय से स्थापित स्वीकृत संस्थाओं को होने वाली आय।

(vii) **धारा 10 (23 क)** : कानून, औषधि, लेखा-शास्त्र आदि जैसे व्यवसायों के नियंत्रण और प्रोत्साहन के लिए स्थापित स्वीकृत संस्थाओं को होने वाली कुछ प्रकार की आय।

(viii) **धारा 10 (24)** : पंजीकृत मजदूर यूनियनों को होने वाली कुछ प्रकार की आय।

(ix) **धारा 10 (29)** : जिंसों के विपणन के लिए गठित सांविधानिक अधिकरणों को गोदाम आदि किराए पर उठाने से होने वाली आय।

सारे देश भर में बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए निकायों और संस्थाओं की सारी आमदनी ऊपर बताये गये कार्यों से होती है और इसलिए वे आय-कर से मुक्त है। चूंकि ये निकाय और संस्थाएं करदाता नहीं होती हैं, इसलिये उनके नामों की कोई सूची नहीं रखी जाती है।

सारे भारत के आय कर अधिकारियों से पता लगाने के बाद एक सूची तैयार की जा

सकती है; लेकिन छूटों के कारण होने वाली कर की कुल राहत के अनुमानित आंकड़े देना भी बिल्कुल असंभव होगा, क्योंकि कर से मुक्त होने के कारण निकायें और संस्थाएं कोई आय-विवरणी दाखिल नहीं करती और उनका कोई कर-निर्धारण नहीं किया जाता।

चूंकि प्रश्न सामान्य किस्म का है और चूंकि आवश्यक आंकड़े इकट्ठे करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा और उसके अनुपात में परिणाम नहीं निकलेगा, अतः खेद है कि वर्तमान रूप में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगर अपेक्षित हो, तो विशिष्ट निकायों और संस्थाओं अथवा विशिष्ट प्रकार के निकायों अथवा संस्थाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध की जा सकती है।

(ग) : हाँ।

(घ) : सिंधिया देवस्थानम् न्यास।

(ङ) : कर-अपवंचन के आरोप जाँच करने पर निराधार पाए गए।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट

1373. **श्री त्रिदिव चौधरी :** **श्री राजा कुलकर्णी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग मंडल के अध्यक्ष द्वारा 11 मई, 1971 को बम्बई में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह विकासशील देशों के सहयोग से एक ऐसी नीति अपनाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के संकट के परिणामस्वरूप विकसित देश मुद्रा-भिन्न उपाय न अपनाये।

(ख) क्या सरकार ने इस संकट के प्रभाव का अनुमान लगाया है और यह सुनिश्चित किया है कि इसका विकसित देशों से होने वाले हमारे निर्यात व्यापार, निर्यात से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा और विदेशी सहायता पर प्रभाव नहीं पड़ता; और

(ग) क्या भारत के निर्यात और आयात पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट के कारण पड़े प्रभाव के बारे में, अमेरिका और सहायता देने वाले अन्य देशों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के अधिकारियों से चर्चा आरम्भ की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी हाल की घटनाओं का निर्यात से होने वाली हमारी आय पर अथवा हमारे समूचे व्यापार शेष पर बुरा प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है। फिर भी, जहाँ तक सहायता की प्राप्ति और विश्व व्यापार के विकास का सम्बन्ध है, लम्बी अवधि की अनिश्चितताओं को रोकने के लिए सुव्यवस्थित और स्थिर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति का होना अनिवार्य है।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 34 के मजबूत बनाने और चौड़ा करन के लिये कार्यवाही

1374. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के सिलीगुड़ी जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 34 की, जिसके लिये 2.80 करोड़ रुपये की कुल राशि स्वीकृत की गयी थी चौड़ा करने और मजबूत बनाने का काम पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो क्या वर्षा शुरू होने से पूर्व कार्य पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ख) वर्षा ऋतु के दौरान इस राजमार्ग पर यातायात की रुकावटों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वास्तव में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 34 कलकत्ता से आरम्भ होता है और दाल खोला में समाप्त होता है 2.80 करोड़ रुपये के कुल मंजूरी विभिन्न कार्यों के लिये है और आगामी बरसात से पूर्व पूरे होने की संभावना नहीं है।

(ख) तत्काल मरम्मत का कार्य जब कभी आवश्यक समझा जायेगा हाथ में लिया जायेगा ताकि यातायात को बनाये रखने के लिये सुनिश्चित किया जा सके।

Replacement of Sales Tax by Excise Duty

1375. **Shri Jagannathrao Joshi** : **Shri Atal Bihari Vajpayee** :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether some States and Union territories have suggested that sales-tax should be replaced by excise-duty ;

(b) if so, the names of such States and Union territories ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : **(a) to (c)** : According to the Report of the Fifth Finance Commission, the Statess of Jammu and Kashmir and Nagaland were in favour of maintaining the existing arrangements under which sales tax on tobacco, sugar and textiles was replaced by additional excise duties and also extending them to other commodities. In regard to the extension of the existing arrangements to other commodities, the Commission said :

> "In view of the general opposition of the States, there is obviously no scope for extending the arrangements to other items or commodities in the foreseeable future.".

On 4th July, 1970, the Executive Council of Delhi Administration also passed a Resolution that other items on which sales tax is levied at present should also be covered by the scheme. As sales tax falls largely within the legislative competence of the States, the matter was discussed, as recommended by the Commission, in the Chief Ministers Committee of the National Development Council who agreed that the levy of additional excise duty on sugar, on tobacco and textiles in lieu of State sales tax should continue subject to such adjustments as may improve the elasticity of the yields from additional excise duties. In regard to the extension of the scheme to other commodities, the recommendation of the Commission has been accepted by Government.

बैंक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

1376. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में बैंक कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि की गई है, और बैंकिंग उद्योग पर इसका कितना भार पड़ा ; और

(ख) क्या इसी प्रकार की वेतन वृद्धि केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी उपक्रमों के अन्य किसी श्रेणी के कर्मचारियों की भी की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

जीवन बीमा पालिसीधारी

1377. **श्री टी० एस० लक्षमणन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा पालिसीधारियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में शहरों तथा गाँवों में जीवन बीमा निगम की पालिसियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम की पालिसियों में धीमी गति से वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : वर्ष 1970-71 में जीवन बीमा निगम ने शहरी तथा देहाती इलाकों में जो नया कारोबार किया है, उसके अलग अलग अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु उक्त वर्ष में 1303 करोड़ से अधिक रकम की 16,18,690 पालिसियाँ जारी की गयीं।

(उससे) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम के कारोबार के सम्बन्ध में जानकारी नीचे दी गई है :—

(रुपये करोड़ों में)

	पालिसियों की सं०		**बीमा कराई गई रकम**	
	शहरी	**देहाती**	**शहरी**	**देहाती**
1967–68	9,13,709	5,09,607	599.82	235.46
1968–69	9,72,671	4,77,341	685.32	235.12
1969–70	9,35,063	4,61,468	773.92	251.76

(ग) : पिछले तीन वर्षों में पालिसियों की संख्या कम होती रही है यद्यपि बीमा कराई गई रकम में कोई कमी नहीं आई है। जीवन बीमा निगम का खयाल है कि वह निम्नलिखित कारणों से देहाती इलाकों में कारोबार बढ़ाने में सफल नहीं हो सका है :—

(i) मौसमी तथा अन्य कारणों से आय में कमी बेशी,

(ii) भूमि बन्धक बैंकों द्वारा दी जा रही आकर्षक शर्तों के कारण तथा साथ ही लघु बचत संगठनों द्वारा प्रतिस्पर्धा के कारण बचत लगवाने में होड़;

(iii) किसानों का अपनी बचत को, व्यापक पैमाने पर, भूमि सुधार में लगाना।

निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलेगा कि वैसे अब कुछ समय से देहातों में किये जा रहे कारोबार में वृद्धि हुई है :—

अवधि	**पालिसियों की संख्या**	**बीमा कराई गई रकम (रुपये करोड़ों में)**
1–4–68 से 31–12–68 तक	3,07,930	146.58
1–4–69 से 31–12–69 तक	2,82,354	147.95
1–4–70 से 31–12–70 तक	3,16,647	177.82

जीवन बीमा निगम के लाभ और प्रीमियम की दरें

1378. **श्री टी० एस० लक्षमणन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम ने कितना लाभ अर्जित किया; और

(ख) जीवन बीमा निगम के व्यापार और लाभ में होने वाली वृद्धि को देखते हुए क्या जीवन बीमा निगम की पालिसियों की प्रीमियम दरों में कमी हो गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जीवन बीमा निगम के लाभ का आकार, जिसे तकनीकी भाषा में अधिशेष ((Surplus) कहा जाता है, द्विवार्षिक जीवनांकिक मूल्यांकनों के आधार पर निश्चित किया जाता है। पिछला मूल्यांकन 31–3–69 को जो स्थिति थी, उसका किया गया था तथा 31–3–69 को समाप्त हुई दो वर्ष की अंतर्मूल्यांकन अवधि में अधिशेष रकम 96.57 करोड़ रुपये थी।

जीवन बीमा निगम के पिछले तीन वर्षों में विविध बीमा कारोबार से हुए शुद्ध लाभ के आंकड़े नीचे दिये अनुसार है :

1967–68	14.45 लाख रु०
1968–69	35.67 लाख रु०
1969–70	43.67 लाख रु०

लेकिन ये लाभ सरकार के हैं और इनका जीवन बीमा की प्रीमियम दरों से कोई संबंध नहीं है।

(ख) : जीवन बीमा निगम ने 1–2–1970 से बीमा की कुछ लाभ-रहित योजनाओं की प्रीमियम दरें घटाई हैं। प्रीमियम दरों में यह कमी जीवनांकिक कारणों से उचित पाई गई थी लेकिन भावी व्यय की अनिश्चित प्रवृत्ति को देखते हुए निगम ने "लाभ-सहित योजनाओं" के अंतर्गत प्रीमियम दरों में संशोधन संबंधी निर्णय को व्यय की प्रवृत्ति स्थिर हो चुकने तक मुल्तवी रखने का तय किया है, खासकर इसलिये कि लाभ सहित योजनाओं के अंतर्गत पालिसीधारियों के लिये बोनस वितरण के तरीके से न्याय-साम्य की व्यवस्था की जा सकती है। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि 31–3–69 को समाप्त हुए अंतर्मूल्यांकन अवधि से संबंधित 96.57 करोड़ रु० के अधिशेष में से 91.82 करोड़ रु० की रकम प्रत्यावर्ती बोनस (Reversionary bonus) के रूप में पालिसीधारियों में वितरण के लिये रखी गई थी।

हाल ही में जीवन बीमा निगम ने "एक वर्षीय नवीकरण-योग्य समूह सावधि बीमा योजना" (One year Renewable Group Term Assurance Plan) तथा" "लेवल प्रीमियम ग्रूप टर्म एश्यूरंश प्लान" के अंतर्गत प्रीमियम दरों की समीक्षा की है और इन योजनाओं के अंतर्गत प्रीमियम दरों को 1–6–1971 से कम करने का निर्णय किया है।

दिन के समय मद्रास से आने और मद्रास को जाने वाले इण्डियन एयर-लाइन्स के विमानों का समय

1380. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि दिन के समय मद्रास से आने वाले और मद्रास को जाने वाले इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों का समय यात्रियों के लिये सुविधाजनक नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विमानों के समय को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये सरकार का विचार इनमें परिवर्तन करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : मद्रास के धावन-पथ पर मरम्मत कार्य हो रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप 13.00 बजे से पहले जेट विमानों के परिचालनों की अनुमति नहीं दी जाती। मद्रास से और के लिए परिचालनों का वर्तमान समयक्रम इस प्रतिबंध को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित किया गया है। प्रतिबंध के हटाये जाने पर इस समयक्रम का यथोचित पुनरीक्षण कर दिया जायेगा।

मद्रास में होटलों की कमी

1381. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मद्रास में होटलों की बहुत कमी है;

(ख) क्या पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मद्रास में कोई बड़ा होटल बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) : पर्यटन विभाग ने मद्रास में पाँच नये होटलों की निजी क्षेत्र के अंतर्गत योजनाओं का उनकी विदेशी पर्यटकों के लिए उपयुक्ता की दृष्टि से अनुमोदन कर दिया है। फिलहाल मद्रास में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कोई होटल बनाने की योजना नहीं है।

तामिलनाडु में पर्यटन के महत्व के स्थानों का विकास

1382. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **पर्यटन और नागर विमान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तामिलनाडु में पर्यटन के महत्व के किन-किन स्थानों का विकास करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : चौथी योजनावधि के दौरान मद्रास में एक युवा होस्टल के निर्माण का, तथा महाबलिपुरम् और मदुराई के यात्री-लॉजों में आवास वृद्धि करने का प्रस्ताव है। महाबलिपुरम् में एक 'ध्वनि-व-प्रकाश' प्रदर्शन का आयोजन किया जायेगा। कोडैकनाल बोट क्लब को अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए सहायतार्थ अनुदान के रूप में 60,000 रुपये की राशि की मंजूरी प्रदान की गई है।

दक्षिण भारत में मन्दिरों तथा अन्य आकर्षक स्थानों के सम्बन्ध में प्रचार

1383. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यह एक व्याप्त भावना है कि दक्षिण भारत के मन्दिरों तथा अन्य आकर्षक स्थलों का विदेशों में व्यापक प्रचार नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के विचार से इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार को ऐसी किसी भावना की जानकारी नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि भारत-भ्रमण के लिए और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए विदेशों में दक्षिण भारत के मन्दिरों तथा अन्य पर्यटन आकर्षण के स्थलों का व्यापक प्रचार किया जाता है।

इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज का एटलस कैमिकल इण्डस्ट्रीज ऑफ अमरीका के साथ विलय

1384. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज के एटलस इंडस्ट्रीज ऑफ अमरीका के साथ विलय किये जाने की जानकारी है;

(ख) क्या एटलस कैमिकल इंडस्ट्रीज के इंडियन डीटोनेटर्स लिमिटेड में बड़ी संख्या में साम्य अंश (ईक्विटी शेयर) हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित विलय के परिणामस्वरूप इंडियन डीटोनेटर्स का नियंत्रण इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हाथ में नहीं आ जायेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इसको रोकने के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 8 मई, 1971 को 'इकोनोमिस्ट' लन्दन, में प्रकाशित, मै० इम्पीरियल कैमीकल इन्डस्ट्रीज लि० यू० के० के अध्यक्ष के भाषण में, अपनी कम्पनी के साथ मै० एटलस कैमीकल इन्डस्ट्रीज इन्स० संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्तावित विलय का एक निदेश है।

(ख) एटलस कैमीकल इन्डस्ट्रीज इन्स० यू० एस० ए० के इन्डियन डीटोनेटर्स लिमिटेड में, 50 प्रतिशत हिस्से है।

(ग) एटलस कैमिकल इन्डस्ट्रीज द्वारा धारित इन्डिया डीटोनेटर्स लि० के 50 प्रतिशत हिस्से प्रस्तावित विलय से नई कम्पनी में चले जायेंगे।

(घ) चूंकि दोनों कम्पनियाँ, अर्थात इम्पीरियल कैमीकल इन्डस्ट्रीज लि० तथा एटलस कैमीकल इन्डस्ट्रीज भारत में विनियमित नहीं हुई है, अतः विलय को रोकने के लिये पग उठाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एयर इण्डिया की कम किराये वाली पैकेज पर्यटन योजना

1385. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया की कम किराये की पैकेज पर्यटन योजना आकर्षक नहीं है और वह असफल सिद्ध हुई है क्योंकि विदेशों में जाने वाले भारतीयों तथा अन्य व्यक्तियों को, सरकार द्वारा उन्हें दिये गये विदेशी मुद्रा में 100 डालर के भत्ते में अपने समस्त व्यय की व्यवस्था करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या एयर इण्डिया ने सरकार से अनुरोध किया है कि एयर इण्डिया द्वारा यात्रा आकर्षक बनाने के लिये भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों को विदेशी मुद्रा की अधिक सुविधाएं दी जायें अन्यथा जम्बो जैट की स्थान सम्बन्धी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जो व्यक्ति पिछले तीन वर्ष में विदेश नहीं गए और जो एयर इण्डिया के विमानों द्वारा यात्रा करते हैं उनको 100 अमरीकी डालर के मूल्य की विदेशी मुद्रा दी जाती है। इसका समूह यात्रियों के अभिव्यापक किरायों (इन्क्लूसिव फेयर्स) से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सच है कि यदि अधिक विदेशी मुद्रा का दिया जाना सम्भव हो तो विदेश यात्राएं अधिक आकर्षक होंगी।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Separate Hostels for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

1386. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's policy is to establish separate hostels for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country ;

(b) if so, in what way such hostels serve the object of eradication of untouchability from the society ; and

(c) whether Government have received any representation that opening of such hostels result in creating a sense of separation among the students and if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : **(a) and (b)** : The Government 's policy is to avoid hostels exclusively for Scheduled Castes/Tribes. To achieve this objective a certain percentage of seats is reserved for non-Scheduled Castes and non-Scheduled Tribe students in the hostels established, for Scheduled Castes and Scheduled Tribe students, so that an opportunity is provided for Scheduled Castes/Tribes students to mix with other students.

(c) We have not received any such representation.

पर्यटकों के वीसा का नवीकरण

1387. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी पर्यटक भारत में एक वर्ष तक ठहरना चाहते हैं परन्तु उनके वीसा का नवीकरण नहीं किया गया; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) वीसा के नवीकरण संबंधी कार्य को सरल बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) भारत में कौन-कौन से अधिकारी वीसा का नवीकरण कर सकते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सामान्यतः विदेशी पर्यटकों को भारत में छः मास तक की अवधि तक ठहरने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु उन पर्यटकों के मामलों में जो छः मास से अधिक अवधि के लिए भारत में ठहरना चाहते हैं, प्रत्येक मामले की छानबीन इस मामले के गुण-दोषों के आधार पर की जाती है।

(ख) : पर्यटकों के वास की अवधि को बढ़ाने से सम्बन्धित विनियम पहले से ही उदार हैं।

(ग) : विदेशी पंजीकरण अधिकारियों को भारत में छः मास तक की अवधि के लिए वास-अवधि बढ़ाने के अधिकार प्राप्त हैं।

चम्बा जिले में स्टेट बैंक की शाखाओं को ऋण लेने के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र

1388. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में चम्बा जिले में स्टेट बैंक की प्रत्येक शाखा को ऋण प्राप्त करने के लिये कितने आवेदन-पत्र मिले थे और अब तक कितने मामलों में ऋण मंजूर किये गये हैं; और

(ख) स्टेट बैंक की इन शाखाओं ने वे ऋण मंजूर करने में औसतन कितना समय लगाया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) चम्बा जिले में स्टेट बैंक के दोनों कार्यालयों को ऋण प्राप्त करने के लिए जो आवेदन पत्र मिले हैं उनकी संख्या 16 थी। स्टेट बैंक द्वारा 13 मामलों में ऋण मंजूर किये गये।

(ख) इस जिले में बैंक की शाखाओं द्वारा ऋण मंजूर करने में औसतन लगभग एक सप्ताह का समय लगा।

एकाधिकार गृहों द्वारा देय संस्थागत ऋण

1389. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार जाँच आयोग द्वारा उल्लिखित 75 एकाधिकार गृहों में से प्रत्येक द्वारा संस्थागत की कुल कितनी राशि देय है और उपर्युक्त ऋणों की अवधि कितनी है तथा इनके भुगतान का रिकार्ड क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सभी ऋणों को अपने शेयरों के रूप में बदलने और इनमें से किसी एकाधिकार गृह तथा अन्य बड़े-बड़े व्यापार गृहों को और संस्थागत ऋण देने पर रोक लगाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) संलग्न विवरण I और II में सरकारी क्षेत्र की दो अखिल भारतीय दीर्घावधिक वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 325/71**] भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना इकट्ठी की जा रही है और जब उपलब्ध हो जायगा सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) और (ग) : पिछले वर्ष सरकार ने यह निर्णय किया था कि ऐसी बड़ी-बड़ी औद्योगिक प्रायोजनाओं के मामले में, जिनमें सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं का काफी अधिक धन लगा हुआ है, वित्तीय संस्थाएं अपने वित्त प्रबन्ध के अंश के रूप में यदि चाहें तो ऋण/ऋण पत्रों के रूप में उनके द्वारा दी गयी सहायता को भविष्य में विशेष समयावधि में पूर्णतः अथवा अंशतः सामान्य पूंजी में परिवर्तित कर सकती हैं। इस सम्बन्ध में संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त हाल में ही बनाये गये हैं और उनका ब्यौरा 28 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 774 के उत्तर में दिया गया है।

पहले दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि उन ऋणों को पूरी तरह सामान्य पूंजी में परिवर्तित कर दिया जाय लेकिन यदि ऋणों का वापसी में चूक हो तो सम्बद्ध

वित्तीय संस्थाएं अपने विवेकानुसार उन ऋणों के सामान्य पूंजी में परिवर्तन के लिए बातचीत कर सकेंगी। ऐसे प्रत्येक मामले में उसके गुणावगुणों के आधार पर औद्योगिक कम्पनियों के साथ बातचीत कर के निर्णय लिया जायगा। ये सिद्धान्त एकाधिकार जाँच आयोग की रिपोर्ट में दर्ज 75 एकाधिकार प्रतिष्ठानों सहित गैर-सरकारी क्षेत्र की सभी औद्योगिक कम्पनियों, पर लागू होंगे।

किसी बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान की कम्पनी को सहायता मंजूर करने से पहले वित्तीय निकाय यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करते हैं कि सम्बद्ध कम्पनी ने पैसा जुटाने के सारे सामान्य उपाय अर्थात् वित्तीय निकायों द्वारा हामीदारी भरे बिना, शेयर पूंजी अथवा जनसाधारण में ऋण पत्र जारी करने के उपाय संतोषजनक ढंग से कर लिये हैं। जिन मामलों में वित्तीय निकाय सहायता दें उनमें यह सुनिश्चित किया जायगा कि इस प्रकार उपलब्ध की गयी रकमें उनकी निकट सम्पर्क की कम्पनियों को न दी जायं जिससे कि वे उन रकमों के अन्तर्निगमन निवेश के द्वारा अन्य कम्पनियों पर नियन्त्रण कर ले। इस तरह की आवश्यक सावधानी बरतते हुए सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता उत्पादन सम्बन्धी वास्तविक प्रयोजनों के लिए किसी भी कम्पनी को उपलब्ध की जाती रहेगी।

एक लाख रुपये से अधिक की बकाया आयकर राशि

1390. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी ओर आयकर की बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) इस राशि का शीघ्र से शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या उपर्युक्त दोषी व्यक्तियों ने दीर्घावधि संस्थागत ऋण भी प्राप्त किये हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो आयकर के ऐसे दोषी व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको विभिन्न एजेंसियों द्वारा ऋण के रूप में 5 लाख रुपये से अधिक राशि दी गई है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कुछ कठोर कार्यवाही करके कर और ऋण की बकाया राशि तत्काल वसूल करने का है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ङ) : जिन चूक कर्त्ताओं की ओर 1 लाख रुपये से अधिक की आयकर बकाया वसूल होने के लिए पड़ी है उनके नामों के बारे में माँगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसके संग्रह में, जिसमें 4000 से भी अधिक कर-निर्धारण रिकार्डों की छानबीन करनी पड़ेगी, बहुत अधिक समय तथा श्रम लगेगा।

तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी/किन्हीं विशिष्ट निर्धारिती/निर्धारितियों के बारे में सूचना चाहते हों तो उसे उपलब्ध कराया जा सकता है।

गौहाटी सिटी में अम्बरी में पुरातत्वीय खुदाई

1391. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी सिटी में अम्बरी में पुरातत्वीय खुदाई के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकल रहे हैं और अम्बरी के खंडरों के बचाव एवं संरक्षण की व्यापक व्यवस्था करने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे वर्षा और बाढ़ से उनको और क्षति न पहुंचे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) और (ख) : असम सरकार और गौहाटी विश्वविद्यालय ने, जिन्होंने पहले 1969 में अम्बरी में खुदाई करवाई और बाद में डेकन कालिज पूना के स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान संस्थान, के सहयोग से 1970 में फिर खुदाई, करवाई, दो कालों की महत्वपूर्ण वस्तुओं एवं इमारती अवरोषों का पता लगाया जिनमें से एक का काल 7वीं से 12वीं शताब्दी और दूसरे का 13वीं से 17वीं शताब्दी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थल पर इससे पहले काल के भी अवशेष विद्यमान हैं परन्तु उच्च अवमृदा जलतल के कारण इनकी छानबीन न की जा सकी। चूंकि यह प्राचीन स्थान केन्द्र की ओर से संरक्षित नहीं है इसलिए यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस स्थल को सुरक्षित रखे। फिर भी, जब मई 1969 में पहले मौसम के कार्य के बाद सर्वेक्षण विभाग से राय माँगी गई तो राज्य सरकार को खुदे हुए अवशेषों के परिरक्षण के लिए आवश्यक अन्तरिम उपायों के बारे में राय दी गई थी, राज्य सरकार ने इस मामले में फिर सर्वेक्षण विभाग से कोई राय नहीं ली। जब कभी आवश्यकता होगी सर्वेक्षण विभाग द्वारा तकनीकी सहायता और सलाह दी जाएगी।

लीलाबाड़ी, आसाम में इण्डियन एयर लाइन्स के विमान का जबरन उतारा जाना

1392. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1971 के तीसरे सप्ताह में इण्डियन एयरलाइंस के एक विमान को लीलाबाड़ी, आसाम में जबरन 'उतारा गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में तथा यदि कोई जाँच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : इण्डियन एयरलाइंस का फोकर फ्रैंडशिप विमान वी० टी० डी० डब्ल्यू० यू०, 27 यात्रियों तथा 5 कार्मिकों सहित एक अनुसूचित उड़ान का परिचालन करते समय लीलाबाड़ी पर उतरने से थोड़ा पहले एक पक्षी से टकरा गया।

विमान को सन्तोषप्रद ढंग से उतारा गया तथा यात्रियों अथवा कार्मिकों को कोई चोट नहीं लगी। उतरने बाद विमान का निरीक्षण किया गया और राडार डोम तथा फ्यूसिलेज के कुछ भागों को क्षति हुई पाई गयी। मरम्मत कार्य किया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की आसाम में खोली गयी शाखाएं

1393. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उनकी कितनी शाखाएं आसाम में खोली गयी है;

(ख) पंजाब और गुजरात में खोली गयी शाखाओं की तुलना में इनकी संख्या कम है अथवा अधिक है, और

(ग) आसाम के औद्योगिक पिछड़ेपन को देखते हुए क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष में अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में बैंकों की अधिक शाखाएं खोलने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 19 जुलाई, 1969 और 31 मार्च के बीच 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने असम (जिसमें मेघालय भी शामिल है) में 41 नये कार्यालय खोले हैं।

(ख) 14 बैंकों द्वारा इसी अवधि में गुजरात और पंजाब में खोले गये नये कार्यालयों की संख्या क्रमश: 250 और 73 थी।

(ग) अब तक तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चालू वर्ष में असम में लगभग 40 और नये कार्यालय खोले जाने की आशा है। शाखाओं के विस्तार के आयोजन के लिए आधार तैयार करने के लिए, रिजर्व बैंक ने विभिन्न जिलों के लिए नेतृत्व बैंक के रूप में मनोनीत किये गये बैंकों पर अपेक्षाकृत पिछड़े हुए जिलों की ओर अधिक ध्यान देने के लिए जोर डाला है। असम में शाखाओं के विस्तार करने का और कार्यक्रम, सभी जिलों का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद तैयार किया जायगा।

Difficulties faced to Cover Distance from Bhauara Airport to Madhubani in Darbhanga District

1394. **Shri Jagannath Mishra** : Will the Minister of **Toursim and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether passengers have to face unbearable difficulties to cover a distance of about 3 miles from Bhauara airport to the main road leading to Madhubani city in Darbhanga district of Bihar State and during the rainy season movement becomes impossible ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to remove these difficulties ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) The landing ground near Madhubani belongs to the Government of Bihar and not to the Civil Aviation Department. The maintenance of the landing ground and the approach road are thus not under the charge of the Department.

Extension of Banking Facilities in villages

1395. **Shri Jagannath Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have a scheme to open branches of nationalised banks in each divisional headquarter in the country in order to extend banking facilities to villages ; and

(b) if so, the time by which Government propose to implement the said scheme ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : All the divisional headquarters and all the district headquarters except 4 are at present served by a commercial bank. Even in respect of these four, licences have been issued to the State Bank or the nationalised banks for opening offices.

अविलम्बनोय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OE URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में पोलियो के फैलने का समाचार

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sir, I call the attention of the Minister of Health and Family Planning to the following matter of urgent Public importance and request that he may make a statement thereon.

"Reported spreading of Polio in Delhi and measures adopted to check it."

The Minister of Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Diskshit) : A slight increase in the incidence of polio and polio-like cases from July to October immediately or after the monsoons is usual. It is very unfortunate that this year there has been an increase in the incidence of this disease in Delhi even earlier.

Polio is not a notifiable disease and, therefore, reliable statistics covering all cases are not avilable. Information gathered from hospitals, where polio cases were reported, indicate that there were 454 cases in the Kalavati Saran Children Hospital, 35 cases in Irwin Hospital, 69 cases in Safdarjang Hospital and 14 cases in Willingdon Hospital during the months from March to May.

Immediately on receiving information, Government convened a meeting in the third week of May of the Clinicians and Health Officers and directed them to adopt the following measures :

(a) Immunisation of children between the ages of 6 weeks and 5 years.

(b) To adopt preventive measures, such as, boiling drinking water before consumption, removal of garbage and generally improving sanitation.

Publicity is also being given of the hospitals and centres where immunisation vaccines would be avilable.

It is reported that the polio cases are largely local in origin and have affected childden belonging to the low socio-economic groups residing in unhygienic areas. Most of the cases admitted are in the age group of less than 1 year.

Government have distributed 50,000 doses of the preventive vaccine to the Corporation and hospitals. This vaccine is to be administered in 3 doses at an interval of 4 to 6 weeks.

A team from the Indian Council of Medical Research is expected to arrive shortly to investigate the mild epidemic for virological isolation.

Shri Shashi Bhushan : Sir, Delhi needs about 10 lakh doses of Polio vaccine but the Government has hardly made provision of 50 thousand doses. Generally it is available on black Market price.

Crores of rupees are given for the Sanitation of Delhi but it is spent on beautifying fountains and cremation grounds and nothing is done for slum areas. The people, who are running the corporation, are enemies of its dwellers. They will never spend on them the amount which is given to these people. May I know what steps are being taken to ensure that the money earmarked for one item is not spent on other items ? Will you set up a Commission to punish there people who are responsible for this sorry state of affairs. **(Interruption).**

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether this debate relates to polio or to defame the Delhi Administration ?

Shri Shashi Bhushan : I do not understand why you suffer from political polio.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The people of Delhi has given its verdict whether the work of Sanitation is going on or not.

Shri Shashi Bhushan : **

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, He is saying**. Is it parliamentary** **(Interruption).**

Shri Shashi Bhushan :**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged under orders of the speaker.

Shri Shashi Bhushan : I want to know whether you will set up an enquiry Commission to ensure that the amounts earmarked for the Sanitation anu development of Delhi is not misused ? In reply to my question you said that the Government give money to them but the same is not spent in a proper way. So whether you will set up a Commission for it.

Secondly, what steps are you taking to make Polio vaccines available here and from which countries are you going to import them ?

Shri Uma Shankar Dikshit : We are ready to institute an enquiry whenever the occasion arises. Besides this we have 1.5 lakh doses at our disposal and provision has been made for three lakhs doses in instalments of fifty thousand doses. We have received information that a meeting will be held on 20th May and another meeting on 28th May, . The vaccine will be the main subject there but along with it the work of removing garbage and sanitation will also be examined. I looked into the position of last two years but found less polio cases. This time the situation is critical and we are examining it.

As regards the import of vaccine, I would like to say that production at Conoor has started. At present there are 1.5 lakhs doses and the Institute can send two lakhs more doses at short notice. Besides this Hafkins Institute, Bombay imports from Yugoslavia. I assure you that there will be no shortage of vaccine in Delhi.

Shri A. N. Chawla : I want to know the quantity of vaccines being given before the outbreak of this epidemic and whether the oral vaccine is effective in checking the disease ?

Shri Uma Shankar Dikshit : The injection is more effective than this. The disease can be controlled at the initial stage but in the advanced stage there is no hope.

Regarding the supply position of last year, a notice will be required. The figures are not available at present.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि दिल्ली के अस्पतालों में पोलियो विरोधी टीके का नियमित स्टॉक नहीं है और केवल इस प्रकार का प्रकोप होने पर ही टीके के लिए दौड़ धूप की जाती है ? यदि हाँ, तो क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी कि दिल्ली के अस्पतालों में पोलियो विरोधी टीके सदा उपलब्ध रहें ?

दूसरा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि यह प्रकोप दिल्ली तक ही सीमित रहेगा। यह एक संक्रामक रोग है, अतएव मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ऐसे क्या उपाय कर रही है जिससे देश के अन्य भागों में इसका प्रकोप फैलने के समय टीके उचित समय पर उपलब्ध किये जा सकें ?

मंत्री महोदय का यह कहना है कि पोलियो रोग गन्दी बस्तियों अथवा अस्वास्थ्यकर स्थानों पर पाया जाता है, क्या उन्होंने विभिन्न अस्पतालों से पोलियो रोगियों के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसी कोई जाँच की है जिससे यह पता लगे कि ये रोगी किन स्थानों से लाये गये हैं अथवा किन स्थानों पर इस रोग का प्रकोप है।

श्री उमा शंकर दीक्षित : जहाँ तक अस्पतालों में बड़ी मात्रा में पर्याप्त भंडार रखने की बात है, यह टीका अधिक समय तक नहीं रह सकता है, बड़ी मात्रा में रखने से यह खराब हो जाता है, कलावती सरन अस्पताल में, जहाँ से पोलियो रोगियों के समाचार आये थे, पर्याप्त मात्रा में टीके हैं, हमारे पास आवश्यकता पड़ने पर न केवल आयात अपितु स्थानीय रूप से इनका उत्पादन तथा वितरण करने की व्यवस्था है।

व्यक्तियों की श्रेणी अथवा क्षेत्रों के बारे में, जहाँ से इन रोगियों को लाया जाता है, मैं इस समय कुछ भी बताने में असमर्थ हूँ। इसमें अनुसंधान करना पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता था कि क्या उन क्षेत्रों का नियमित रूप से निर्धारण किया जाता है जहाँ से पोलियो रोगियों के समाचार आते हैं।

श्री उमा शंकर दीक्षित : हाफकिन संस्थान के लोगों को इस बारे में सर्वेक्षण करने के लिए बुलाया गया है परन्तु मैं कह नहीं सकता कि ऐसा साधारणतया किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री एच० एम० पटेल।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे कुछ नहीं पूछना है क्योंकि इससे संबंधित सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

———

पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में

RE. SITUATION IN WEST BENGAL

श्री कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : मैं आपका ध्यान पश्चिम बंगाल की गम्भीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ, यह शरणार्थी शिविरों की बिगड़ती हुई दशा के बारे में है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को यह संदेश भेजा है कि वे उचित सहायता के न आने की स्थिति में पदत्याग कर देंगे, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई जिम्मेवार मंत्री इस पर वक्तव्य देंगे ?

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मुझे श्री मुहम्मद इस्माइल से एक तार मिला है जिसमें कहा गया है कि औद्योगिक सुरक्षा बल ने दुर्गापुर के कर्मचारियों पर अत्याचार ढाया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पूर्व सूचना देनी चाहिए थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : हमने शरणार्थी समस्या के सम्बन्ध में पूर्व सूचना दी हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : समाचार पत्रों में कहा गया है कि हैजा का प्रकोप बड़े पैमाने पर फैल गया है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : समाचार पत्रों के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई समाचार नहीं है, हम निश्चय ही सही स्थिति का पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। प्रधान मंत्री कल पश्चिम बंगाल जा रही हैं और वे इस समस्या को देखेंगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is a Serious matter. The Newspapers have information but the Hon. Minister is unaware of it.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आज के "स्टेट्समैन" समाचार पत्र में कहा गया है कि जगजीवनराम, जो कलकत्ता में थे, कल यहाँ पहुँच जायेंगे और प्रधान मंत्री को शरणार्थी स्थिति से अवगत करायेंगे, इस प्रकार प्रधान मंत्री शनिवार को कलकत्ता पहुंचने पर केन्द्र की विचारधारा बतायेंगी, मेरा यह कहना है कि यहाँ इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या केन्द्र शरणार्थी समस्या का हल निकालेगा अथवा यह राज्य का दायित्व होगा। हम चाहते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पूर्व इस बारे में यहाँ चर्चा होनी चाहिए।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The Hon. Minister Shri Jagjiwan Ram is present here. He has just returned from Calcutta and he can apprise us of the refuggees' situation.

Mr. Speaker : How the hon. Member is asking question with out giving a proper notice.

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister Shri Jagjiwan Ram can tell about the situation. We want information because it is a very srious matter.

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं कलकत्ता गया था तथा वहाँ के नेताओं से मेरी भेंट हुई थी। निश्चय ही शरणार्थी भारी संख्या में आ रहे हैं। वे कलकत्ता शहर में आने का प्रयत्न कर रहे हैं; शरणार्थियों की वहाँ की जनता के साथ मिलने की संभावना से पश्चिम बंगाल सरकार बहुत चिन्तित है, जहाँ तक शरणार्थियों की देखभाल तथा प्रबन्ध का सम्बन्ध है, यह निश्चय ही केन्द्रीय सरकार का कार्य है, हम उस उत्तरदायित्व से मुख नहीं मोड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार चाहती है कि शिविरों में शरणार्थी ग्राम जनता के साथ मिलकर कानून तथा व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न करें। मुख्य मंत्री के पद त्याग करने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, हमारी वार्ता स्थिति का सामना करने के लिये उपाय निकालने से संबंधित थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : शरणार्थियों में व्याप्त हैजा प्रकोप के बारे में आपका क्या कहना है।

श्री जगजीवन राम : हमारी वार्ता इस विषय पर नहीं हुई। यह कार्य स्वास्थ्य मंत्री का है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया हुआ है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं, मुझे विभिन्न क्षेत्रों से हैजा प्रकोप के बारे में तार मिले हैं, यह हैजा कई जिलों में फैल रहा है। यहाँ की कार्य प्रक्रिया के अनुसार इस मामले को आज 5–30 अपरान्ह बजे लिया जा सकता है। यह मामला बहुत आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है और हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है, हजारों लोग मौत के शिकार हो रहे हैं, हम रेडियो आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि से सुनते हैं कि बहुत से देश टीके भेज रहे हैं। परन्तु सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा हैं। मेरा सुझाव है कि यह मामला आज ही उठाया जाये.... (**व्यवधान**)

श्री उमा शंकर दीक्षित : यह हैजे का प्रकोप भारी संख्या में शरणार्थियों के आने से फैला है। यदि इसी संख्या में शरणार्थी आते रहे तो न केवल औषधि अपितु कुछ भी चीज सप्लाई नहीं की जा सकती है। फिर भी हमने वहाँ हर संभव व्यवस्था की है, वहाँ से लवणीय जल की बोतलों की माँग हुई और हमने शीघ्र ही इसका प्रबन्ध किया हमने वहाँ चल अस्पताल, डाक्टर आदि भेजे हैं रक्षा और रेल मंत्रालय से औषधियाँ आदि भेजने हेतु वाहनों की व्यवस्था करने को कहा गया है।

मुझे यह सूचना मिली है कि वहाँ से शरणार्थी भूखे प्यासे की स्थिति में आते हैं और यहाँ आकर वे मौत के शिकार बन जाते हैं, जहाँ तक स्वास्थ्य की समस्या का संबंध है हमने डाक्टर, नर्स, परिचर, औषधियाँ, वाहन, चल अस्पताल भेजने की व्यवस्था की है।

श्री पीलू मोडी (जोधरी) : क्या आपके पास यह जानकारी है कि शरणार्थियों की मृत्यु थकान और अपोषण से हुई है?

श्री उमा शंकर दीक्षित : ऐसा कहना बहुत कठिन है, वे इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जाँच करना सरल नहीं है।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण
PERSONAL CLARIFICATION BY MEMBER

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपकी पूर्वानुमति से मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता हूँ।

2 जून के समाचार पत्रों में यह समाचार था कि कुछ संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखकर शेख अब्दुल्ला के जम्मू-काश्मीर राज्य से निष्कासन के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है। उस पत्र पर हस्ताक्षरकर्त्ताओं में संसोपा की ओर से मेरा नाम भी बताया गया जो कि सर्वथा झूठ है। मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये थे क्योंकि मैं शेख अब्दुल्ला की इस विवादग्रस्त राजनीति से सहमत नहीं हूँ क्योंकि उनकी यह नीति जम्मू काश्मीर के भारत में स्थायी विलय के लिये हानिकारक है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उक्त खण्डन सभा से बाहर किया जाना चाहिये। सभा का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह वक्तव्य सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये। इसका सभा से कोई प्रयोजन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला सभा-भवन से बाहर की चीज है और जो कुछ हुआ है उसके बारे में सभा को कोई जानकारी नहीं है। परन्तु जो स्पष्टीकरण यहाँ श्री दंडवते ने दिया है वह मेरी अनुमति से दिया है तथा इसमें मेरा ही दोष है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 सीमा शुल्क अधिनियम केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (144)/68-फिन० (जी) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 304/71]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 650, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 685, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 305/71]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 486 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 649 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 306/71]

(4) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 492, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुआ तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 648, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 688 और 688क, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 मई, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 307/71]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) पन्द्रहवाँ संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 310 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० एस० आर० 311 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2039 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(तीन) जी० एस० आर० 312 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2038 का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(चार) जी० एस० आर० 313 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसमें दिनांक 5 दिसम्बर, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1954 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(पाँच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) सोलहवाँ संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 437 में प्रकाशित हुए थे।

(छ:) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) सत्रहवाँ संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 518 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) अठारहवाँ संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 646 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 308/71]

लागत लेखा परीक्षा (प्रतिवेदन) संशोधन, नियम तथा एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार तथा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (1) के अन्तर्गत लागत लेखा परीक्षा (प्रतिवेदन) संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति; जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 240 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 309/71]

(2) एकाधिकार और निर्बन्धकारी व्यापार तथा अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथायें (जानकारी) नियम; 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 607 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथायें (दूसरा संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 641 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथायें (तीसरा संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 672 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 310/71]

आश्वासनों पर की गई कार्यवाही

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के

दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञानों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ:

चौथी लोक सभा

1. विवरण संख्या 32	चौथा सत्र, 1968
2. विवरण संख्या 26	पाँचवाँ सत्र, 1968
3. विवरण संख्या 19	छठा सत्र, 1968
4. विवरण संख्या 24	सातवाँ सत्र, 1969
5. विवरण संख्या 14	आठवाँ सत्र, 1969
6. विवरण संख्या 12	नवाँ सत्र, 1969
7. विवरण संख्या 14	दसवाँ सत्र, 1970
8. विवरण संख्या 5	ग्यारहवाँ सत्र, 1970
9. विवरण संख्या 3 और 4	बारहवाँ सत्र, 1970

पांचवी लोक सभा

10. विवरण संख्या 1	पहला सत्र, 1971

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 311/71]

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEES

(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्यकरने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

(दो) नारियल जटा बोर्ड

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कार्यकाल के लिये नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कार्यकाल के लिये नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

(तीन) दिल्ली विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट)

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2 के खंड (1) (सोलह) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।'

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2 के खंड (1) (सोलह) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संसद अधिकारियों के सम्बलयों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF OFFICERS OF PARLIAMENT AMENDMNET BILL

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संसद अधिकारियों के सम्बलयों और मतों से संबंधित अधिनियम 1953 में और आगे संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"संसद अधिकारियों के सम्बलयों और भत्तों से संबंधित अधिनियम 1953 में और आगे संशोधन करने हेतु विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री राज बहादुर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

सामान्य बजट, 1971–72—सामान्य चर्चा (जारी)

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION (contd.)

अध्यक्ष महोदय : अब सामान्य बजट पर आगे चर्चा होगी। अब तक 4 घण्टे 55 मिनट तक चर्चा हो चुकी है और अभी 15 घण्टे 5 मिनट शेष हैं, काफी समय है। श्री पाणिग्रही'।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : अध्यक्ष महोदय, श्री नेहरू ने कहा था कि हमारी प्रमुख कठिनाइयों का कारण यह है कि हम अपनी आर्थिक सामाजिक, औद्योगिक, कृषि संबंधी तथा वाणिज्यिक समस्याओं पर केवल वर्तमान के वातावरण में ही अंकित हैं उनके लिये केवल तदर्थ हल कभी लाभ प्रद नहीं हो सकते। पुरानी समस्यायें अथवा उनके नये रूप बने ही रहते हैं तथा ये समस्यायें निरन्तर बढ़ती ही जाती हैं, अतः हमें अपनी पुरानी आदतों और प्रथाओं को बदलना होगा, त्यागना होगा। ये शब्द नेहरू जी ने अनेक वर्ष पूर्व कहे थे परन्तु वे आज भी ज्यों के त्यों सार्थक सिद्ध होते हैं।

यद्यपि हम अपनी पुरानी आदतों पर पूरी तरह तो काबू नहीं पा सके हैं परन्तु फिर भी अपने दल में तथा सरकार में रहते हुए हमने इन पर काबू पाने के लिये निरन्तर संघर्ष किया है।

राष्ट्रीय बजट केवल आय और व्यय का मात्र विवरण नहीं होता है। यह तो स्वीकार किये गये राष्ट्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा वास्तविक रूप से एक समाजवादी तथा समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिये बड़ा कारगर साधन होता है जिसके द्वारा अमीरी और गरीबी के बीच की खाई के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को दूर किया जा सकता है।

अतः मैं निश्शंक भाव से कह सकता हूँ कि केन्द्रीय बजट 1971–72 अनेक नई दिशायें लायेगा इसमें किये गये वायदे, टूटते हुए नहीं बल्कि सच्चाई और दृढ़ता के साथ अनुसरित होते दिखाई देते हैं।

अत : कुछ वर्षों से सभा में सरकार पर यह जोर डाला जाता रहा है कि सम्पत्ति के निम्न-मूल्यांकन से धन और स्रोतों का अपव्यय होता है; इससे सम्पदा-कर, पूंजीगत लाभ कर तथा सम्पत्ति मुद्रक के अपवंचन को बढ़ावा मिलता है। काले धन का प्रसार होता है और करों की चोरी होती है।

सरकार सभा के इसी सत्र में विक्रय-पत्र Seles deed में निर्धारित मूल्यों के अनुसार ही मूल्य देकर सम्पत्ति को अपने अधिकार में करने की शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश करने का विचार कर रही है। इस विधेयक का स्वागत है। कुल्लु और मनाली में मैंने देखा कि गरीब लोगों के 75 प्रतिशत से भी अधिक बगीचे बड़े-बड़े एकाधिकारियों के हाथों में हैं। इन

एकाधिकारियों ने अपने काले धन की सहायता से उन बगीचों को सस्ते दामों पर खरीद और अब उनके मालिक बन बैठे हैं। यदि यही हाल रहा तो कुल्लू और मनाली में 5 वर्ष के भीतर कोई भी स्थानीय व्यक्ति नहीं रह सकेगा।

सम्पत्ति के बेनामी अधिकारों पर भी रोक लगाने के सरकार के प्रस्तावित विधेयक का स्वागत है तथा इसे शेयरों के बेनामी अधिकारों पर भी लागू किया जाना चाहिये।

सम्पदा शुल्क को वसूल करने के कार्य को राज्य सरकार से हटाकर आयकर विभाग के अधीन करने की कार्यवाही भी एक अच्छा कदम है भले ही वह देर से उठाया गया है।

धन-कर संबंधी उद्देश्यों के लिये भवनों के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन कक्षों को सुदृढ़ बनाना भी एक बढ़िया कानून है। इसके अतिरिक्त गलत बीजक द्वारा विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने हेतु विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उसकी वर्तमान त्रुटियों को दूर करने की दृष्टि से पुन-र्विलोकन करने का सरकारी प्रयास भी सराहनीय है जिसकी कि सभा अपेक्षा करती रही है। कर का आधार आय तथा सम्पत्ति है भले ही वह कृषि सम्पत्ति हो अथवा गैर-कृषि सम्पत्ति। सरकार को चाहिये कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई असमानता को रोकने हेतु तुरन्त उपाय करें ताकि बजट के दौरान की गई घोषणा में निहित उद्देश्य पूरा हो सके।

व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आय पर अधिभार बढ़ाया जा रहा है साथ ही पूंजीगत लाभों तथा कम्पनियों के लम्बी अवधि के पूंजीगत लाभों पर भी कर बढ़ाया जा रहा है धन-कर की दर भी बढ़ाई गई है। घरेलू तथा व्यक्तिगत आभूषणों तथा प्रारंभिक पूंजी पर दी जाने वाली छूट भी समाप्त की जा रही है नये औद्योगिक उपक्रमों के बारे में कर की छूट देने के उद्देश्य से डिबेंचरों तथा लम्बी अवधि की उधारी को समाप्त किया जा रहा है। इसी प्रकार के उपायों तथा अन्य कई व्यवस्थाओं द्वारा सामाजिक असमानता को दूर करने की हमारी नीति है जिसका उद्देश्य ऐश्वर्यवान् तथा धनवान लोगों पर कुछ अंकुश लगाना है। इस बजट का मूल्यांकन केवल लायन्स रेंज जैसे किसी एक निकाय के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिये बल्कि इसे राष्ट्र-भर के संदर्भ में आंकना चाहिये।

अब तो सभी के मस्तिष्क में यही प्रश्न है कि क्या सरकार अपनी वर्तमान व्यवस्था की सहायता से इन प्रस्तावों को पूरी तरह क्रियान्वित भी कर सकेगी? ताकि कर-अपवंचन करने वाले आगे आने वाले वर्षों में कर से बचने के कोई नये उपाय न ढूंढ़ निकालें। हम रोज ही सुनते आ रहे हैं कि प्रिवीपर्स को समाप्त करने तथा सम्पत्ति के अधिकारों में संशोधन करने संबंधी विधेयक बड़े जोरों से तैयार किये जा रहे हैं परन्तु अभी तक वे विधेयक सभा में नहीं आ पाये हैं। केवल पेश करने की बात कह देने भर से ही तो काम नहीं हो जाता। यह सत्र काफी लंबा है और उन्हें इसमें पेश कर ही दिया जाना चाहिये।

मैं वित्त मंत्री तथा सरकार का ध्यान गैर सरकारी नियमित क्षेत्र में धन लगाने संबंधी पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसकी पूर्णरूपेण जाँच की जानी चाहिये क्योंकि हमारा यह घोषित उद्देश्य है कि कर का अधिक भार ऐश्वर्यवान लोगों पर ही पड़ना चाहिये। वर्ष 1969-70 में गैर सरकारी नियमित क्षेत्र की प्रदत्त-पूंजी 3574 करोड़ रुपये थी।

औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम आदि संस्थाओं ने कम्प-नियों की 75 प्रतिशत पूंजी अदा की है। इसके अतिरिक्त 22 प्रतिशत पूंजी जनता से ली गई है

मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस दृष्टि से निजी क्षेत्र इस देश में कहाँ तक निजी है। आशा है सरकार इस बारे में कुछ विचार करेगी। जब निजी क्षेत्र की कम्पनियों में 90 प्रतिशत पूंजी जनता अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से लेकर लगाई जाती है तो फिर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या अन्तर रहा ?

अब मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि ये कम्पनियाँ अपनी कुल आय का किस प्रकार विभाजन करती हैं। वर्ष 1961-62 में मूल्य ह्रास के लिये 181 करोड़ रुपये निकाले गये किन्तु यह राशि 1968–69 में बढ़कर 385 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1960–61 में 50.3 प्रतिशत मूल्य ह्रास व्यय की व्यवस्था थी। 1961–62 में 52.1 प्रतिशत थी और यह प्रतिशतता बढ़ते-बढ़ते 1964–65 में 60.7 हो गई। अमरीका और ब्रिटेन आदि देशों में कम्पनियों के आंतरिक संसाधनों पर बहुत बल दिया जाता है तथा उनके आंतरिक संसाधन 65 से 70 प्रतिशत तक होते हैं जो प्रति वर्ष बढ़ते रहते हैं किन्तु हमारे देश में कम्पनियों की कुल आय की भारी राशि को मूल्य ह्रास, वस्तु सूची और लाभांश में विभाजित किया जाता है तथा अर्जित लाभ को भी उत्पादक कार्यों में नहीं लगाया जाता। इन सब बातों को देखते हुये निजी निगमित क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत क्यों न कर लिया जाये जिससे देश को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके।

स्वयं प्रधान मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया था कि यदि कम्पनियाँ जनता के हितों की अवहेलना करके प्रगति करना चाहेगी तो जनता निःसहाय होकर नहीं बैठेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत से देशों के उद्यमी भारत के उद्यमी को केवल लगान-भोगी ही मानते हैं।

महोदय ! हमारे देश में जनसंख्या में भारी वृद्धि के साथ साथ ऋण में भी भारी वृद्धि की समस्या है। हमारे समक्ष विदेशी ऋण की समस्या अत्यंत गम्भीर है। ब्याज के वार्षिक भुगतान की राशि 0.8 बिलियन डालर से बढ़कर 3.6 बिलियन डालर हो गई है। ऋण चुकाने सम्बन्धी खर्च में भी 1965 तक लगभग दुगुनी वृद्धि हो गई है। यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो समस्त आय ऋण चुकाने में ही समाप्त हो जायेगी। मंत्री महोदय के आज के उत्तर से विदित होता है कि भारत का 40 प्रतिशत निर्यात ऋण चुकाने सम्बन्धी खर्च पर ही चला जाता है। यह स्थिति बहुत गम्भीर है।

इस वर्ष के बजट से घोषित लक्ष्यों को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सामान्य जनता की स्थिति को देखकर रोटी कपड़ा और मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर कर लगाये। संसाधन बढ़ाने के कुछ अन्य उपाय भी हो सकते हैं जैसे आयकर की बकाया को वसूल करना आदि। संसाधन जुटाने के हर सम्भव प्रयत्न करने चाहिये जिससे लाखों बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके तथा अन्य योजनाएं पूरी हो सकें तथा बंगला देश के शरणार्थियों का भार भी उठाया जा सके।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : महोदय ! माननीय मंत्री का बजट भाषण सुनने तथा विभिन्न बजट प्रस्तावों को सुनने के पश्चात मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस बजट के माध्यम से मंत्री महोदय देश की अर्थ व्यवस्था को जो दिशा देना चाहते हैं उसके बारे में वह स्वयं स्पष्ट नहीं हैं। अतः इस बजट से कई पहलुओं से निराशा हुई है। आशा तो यह थी कि सरकार ने जो गरीबी हटाने का वचन दिया था इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये स्पष्ट रूप से व्यवस्था की जायेगी और उसमें इस सम्बन्ध में पूरे संकेत मिल जायेंगे। किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

चुनावों के पश्चात् प्रधान मंत्री का यह कहना तो उचित है कि गरीबी हटाओ का लक्ष्य

कोई एक राह में तो प्राप्त नहीं किया जा सकता। किन्तु यह भी सच है कि यदि इस विषय में दृढ़ निश्चय किया जाये और इस दिशा में योजना बनाकर उसे क्रियान्वित भी किया जाये तो यह कार्य हो सकता है। किन्तु इस बजट में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है।

मैं यह स्पष्ट करना भी आवश्यक समझता हूँ कि स्वतंत्र पार्टी का ध्येय भी वही है जो सत्तारूढ़ दल का है। हम भी गरीब और अमीर की खाई को कम करना चाहते हैं तथा जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं। वास्तव में हमारी विचारधारा तथा उनकी विचारधारा में केवल यह अन्तर है कि हम इन लक्ष्यों को दूसरे तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। स्वतंत्र पार्टी राज्य के स्वामित्व और राज्य के नियंत्रण से समाजवाद नहीं लाना चाहती अपितु व्यक्तिगत उद्यम के माध्यम से समाजवाद लाना चाहती है। हम इस बात से इंकार नहीं करते कि कुछ क्षेत्रों में राज्य का स्वामित्व जनता के अधिक हितों की रक्षा करता है किन्तु यह स्वामित्व विकास के लिये आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने तक ही सीमित रहना चाहिये।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen hour of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

श्री एच० एम० पटेल : महोदय ! मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्री महोदय के बजट भाषण के नौ पैराग्राफों में नीतियों के नवीकरण की ओर संकेत किया गया था किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि उनमें इस नवीकरण की प्राप्ति के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

द्रुत कार्यक्रम और रोजगार के लिये 25 करोड़ रुपयों की व्यवस्था का उल्लेख करते हुये मंत्री महोदय ने कहा है कि सभी ओर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करने से ही रोजगार अवसरों में वृद्धि हो सकती है। अतः वह योजना कार्यों के लिये कुछ अधिक व्यवस्था करना चाहते हैं तथा साथ ही साथ वह इस बात पर भी बल देते हैं कि योजना-बद्ध परियोजनाओं की समयानुकूल क्रियान्विति हो जिनके लिये बजट में व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने प्रगति में तेजी लाने तथा सामाजिक न्याय के साथ-साथ मूल्यों में स्थिरता लाने को भी अधिक महत्व दिया है, क्योंकि इसके बिना प्रगति का कोई महत्व ही नहीं है। उनका यह कहना तो नितांत सही है किन्तु बजट प्रस्तावों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सम्बन्धी विभिन्न प्रस्ताव ऐसे हैं जिनसे जनता और निगमित क्षेत्र की बचत करने की क्षमता कम होती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि बचत से सरकारी कोष में आने वाली राशि का सरकारी क्षेत्र के विकास और विस्तार में उपयोग किया जायेगा। किन्तु इसके लिये भी बजट प्रस्ताव रखने चाहिये थे, जो नहीं रखे गये।

मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि सार्वजनिक क्षेत्र को प्रधानता दी जानी चाहिये अथवा निजी क्षेत्र को। किन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र का पक्षपात लिये बिना दोनों ही क्षेत्रों से अधिक से अधिक कार्यकुशलता सुनिश्चित करनी चाहिये।

नौवहन उद्योग में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। मई, 1974 से समाप्त की जाने वाली विकास छूट से दोनों ही क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यद्यपि विदेशी मुद्रा अर्जन तथा अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं से यह उद्योग बड़ा महत्वपूर्ण है। इस उद्योग को यह भी कठिनाई होगी कि कुछ नए जहाजों के लिये वर्षों पहले करार करने होंगे और बहुत से जहाजों की अदायगी 1974 के पश्चात ही होनी है। अतः सरकार को इस सम्बंध में पुनः विचार करना चाहिये। विदेश यात्रा पर कर लगाने के निर्णय से भी नौवहन जैसे उद्योग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अतः सरकार को इस बात पर भी पुनः विचार करना चाहिये।

अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिये बिना सामाजिक न्याय की बात अर्थहीन हो जाती है। ग्रामीण रोजगार के लिये 50 करोड़ रुपयों के द्रुत कार्यक्रम तथा शिक्षित बेरोजगारों की सहायता के लिये 25 करोड़ रुपयों के कार्यक्रम महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हो सकते क्योंकि उनकी क्रियान्विति के लिये कोई ठीक योजना नहीं बनायी गई। यदि स्वतंत्र पार्टी के इस प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया होता कि सड़क निर्माण और गृह निर्माण जैसी योजनाओं के लिये 250 करोड़ रुपयों की योजना बनाई जाये तथा उसे देश के प्रत्येक भाग में लागू किया जाये तो बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक हल हो जाती।

आय कर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों के निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाकर मंत्री महोदय ने सराहनीय कार्य किया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि प्रत्यक्ष कर देने वालों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिये क्योंकि वे कर का अपवंचन नहीं करते।

आयात शुल्क के ढांचे को सरल बनाने के लिये भी मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। इससे आयात कर्ता तथा सीमा शुल्क अधिकारी दोनों को ही सहायता मिलेगी। सीमा शुल्क प्रशासन में भी बहुत कठोरता आ गई है जिससे कई मामलों में बहुत देरी हो जाती है और उससे व्यक्तियों का तथा देश का भी अहित ही होता है।

यह आश्चर्य की बात है कि मितव्ययता का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिये।

जहां तक प्रत्यक्ष करों की बात है वे लगभग अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गये हैं और अब सरकार को अतिरिक्त संसाधनों के लिये केवल अप्रत्यक्ष करों का ही सहारा लेना चाहिये। वास्तव में मध्यवर्ग तथा वेतन भोगी वर्ग समाज की रीढ़ की भांति हैं किन्तु अभी तक मध्यवर्ग का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है। मेरा निवेदन है कि उनके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिये।

कुछ व्यक्तियों का विचार है कि ग्रामीण जनता पर कर की मात्रा बहुत कम है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि ग्रामीण जनता की कुल आय बहुत कम है अतः वे कर का भार भी कम उठा सकते हैं। यदि कुछ किसान धनवान हैं, तो इसका आशय यह नहीं कि किसानों को कर से मुक्त कर दिया गया है। यदि ग्रामीण जनता की आय की तुलना नगरीय जनता की आय से की जाये तो ज्ञात होगा कि अप्रत्यक्ष कर का भार उन पर बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त किसानों को वर्षा, फसलों में लगने वाली बीमारी आदि कई प्रकार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। यह सच है कि कुछ बड़े किसानों पर अधिक कर लगाया जा सकता है किन्तु यह कर आय कर के रूप में नहीं लगाया जाना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री महोदय ने किसानों पर कर का कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला है किन्तु वे ट्रैक्टरों पर शुल्क लगाने के दबाव के

सामने झुक गये हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि किसानों पर कर लगाने के सम्बन्ध में वे उन्हीं विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की सलाह लें जो कृषि सम्बन्धी कार्यों और ग्रामीण परिस्थितियों से भलीभांति परिचित हैं तथा कृषि की प्रगति में जिनकी रुचि है।

अन्त में मैं बंगला देश से भारी संख्या में आये शरणार्थियों तथा इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल तथा देश पर पड़ने वाले प्रभाव का भी उल्लेख करना चाहूँगा। इससे हमारी अर्थ व्यवस्था खराब होगी तथा हमारे देश की जनता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ से हमारे देश में 50–60 लाख शरणार्थी आ गये हैं तथा भविष्य में यह संख्या और भी बढ़ेगी। यह भी प्रयत्न किया गया है कि अन्य देश इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करें तथा इस समस्या का कोई राजनीतिक समाधान निकालें किन्तु किसी भी देश की सरकार मानवीय दृष्टि-कोण से कोई रुचि नहीं ले रही है। अतः हम इस अतिरिक्त भार को कब तक वहन करते रहेंगे।

हम अपने विकास सम्बन्धी कार्यों को रोक कर भी इस समस्या के भार को सहन नहीं कर सकते। शरणार्थियों की देख-रेख के लिए बजट में जो 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है वह भी अपर्याप्त है। परन्तु इस समस्या से हमारे देश की अर्थ व्यवस्था और बजट पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि हम जो नीतियाँ अपनाते हैं वे केवल लाभ की दृष्टि से ही नहीं अपनानी चाहिए अपितु असमानता दूर करके उनमें समानता लाने का प्रयास होना चाहिए और स्तर ऊँचा करने का प्रयत्न करना चाहिए। कर तो देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं जो कर-दाता से ही वसूल किए जाते हैं। परन्तु कर लगाते समय सरकार को यह देखना चाहिए कि करदाता के साथ राजनीतिक मामलों को बीच में लाकर अन्याय नहीं होना चाहिए अपितु कराधान के सिद्धान्त सामाजिक न्याय की कसौटी पर आधारित होने चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : बजट में जिन अप्रत्यक्ष करों की घोषणा की गई है उनसे यही दृष्टिगत होता है कि इस बजट में गरीबी हटाओ की कहीं व्यवस्था नहीं है अपितु यह बजट 'गरीबी बढ़ाओ' बजट है। वस्तुतः अप्रत्यक्ष करों से मध्यम श्रेणी के लोगों और मजदूरों को बहुत घाटा होगा जिनके दैनिक खर्चे में बहुत वृद्धि होगी और उनके मासिक बजट में भी काफी वृद्धि दी जायेगी। समाजवादी दृष्टि से देखा जाए तो यह बजट बहुत ही अव्यावहारिक है। एक अनुमान से तो अन्तर केवल 220 करोड़ रुपये का है। शरणार्थियों के लिए केवल 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है परन्तु सरकार शरणार्थियों की इस गम्भीर समस्या को इस राशि से हल नहीं कर सकती। 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था से भी यह समस्या नहीं सुधरेगी। इससे सरकार को देश के सामाजिक—आर्थिक विकास सम्बन्धी परियोजनाओं की संरचना में विफलता का सामना करना पड़ेगा। 55 लाख शरणार्थी तो पहले ही यहाँ आ चुके हैं और समाचारों से पता लगता है कि उनकी संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि अल्प संख्यक समुदायों के लोग पूर्वी बंगाल से भाग रहे हैं और भारत आ रहे हैं क्योंकि याह्या खां द्वारा बनाई गई झूठी शान्ति समितियों को निदेश दिए गये हैं कि भंगी धोबी नाई आदि अल्पसंख्यकों को छोड़ कर शेष सब का संहार किया जाए। प्रश्न केवल उन्हें खाना देने का ही नहीं है अपितु उनके लिए मकान आदि की भी समस्या है। यह समस्या इतनी गम्भीर होती जा रही है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने पूर्ण रूप से निराश होकर कह दिया है कि यदि इस मामले में नीति में परिवर्तन नहीं किया गया तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। अतः केन्द्र को चाहिए कि वह वित्तीय सहायता देने के साथ साथ इस समस्या का सारा प्रबन्ध अपने हाथों में ले। हमारी सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान खतरे में हैं और समस्त पूर्वी भारत को अभूतपूर्व भय का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए रक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं।

55 लाख शरणार्थियों में से लगभग 30 लाख के पास घर नहीं है। वे गलियों में पड़े रहते हैं। हजारों की संख्या में शरणार्थी कलकत्ता में आ रहे हैं मानो कलकत्ता पर अभियान किया है। माननीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल की इस स्थिति को भली प्रकार समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में पहले ही व्यापार वाणिज्य और अर्थ सम्बन्धी गतिविधियों में पूर्णरूप से अव्यवस्था व्याप्त हो गई है। इससे राजनीतिक समस्या भी बढ़ेगी। अतः वहाँ प्रशासन तो बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया है। सारे अधिकारी केवल इसी समस्या को हल करने में लगे हैं। इस समस्या के लिए 60 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई है, वह अपर्याप्त है।

सरकार ने एक बहुत ही उपहासास्पद वक्तव्य दिया है कि शरणार्थी वापस जायेंगे और इसी कारण उन्हें सीमान्त प्रदेशों में रखा गया है। जब तक बंगला देश में पाकिस्तानी सेना की हार नहीं होती बंगला देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता वहाँ धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का विकास नहीं होता तब तक बंगाली राष्ट्रीयता की संकल्पना का कोई अस्तित्व नहीं क्योंकि उनकी राष्ट्रीयता बंगाली संस्कृति पर आधारित है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इससे बजट पर कोई प्रभाव पड़ता है। आप केवल बजट के बारे में ही भाषण दें।

श्री समर गुह : अल्प संख्यक समुदाय के एक व्यक्ति के बंगला देश वापस जाने की तब तक कोई सम्भावना नहीं है जब तक वहाँ उनके सम्मानपूर्वक और शान्तिपूर्वक रहने की स्थिति पैदा न हो जाये। जब तक हम इस समस्या के मूल कारण पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गये नृशंस संहार और धर्म निरपेक्ष राष्ट्रीयता को विकृत करने वाली उनकी साम्प्रदायिक नीति को नष्ट नहीं करेंगे शरणार्थियों की समस्या बनी रहेगी। वे पश्चिम बंगाल आसाम और त्रिपुरा में बहुत संख्या में घुसपैठिये भेजकर वहाँ साम्प्रदायिक झगड़े उत्पन्न करना चाहते हैं क्योंकि इससे उनकी विजय होने की सम्भावना है। इसलिए सरकार को उत्साह से निर्णयात्मक कार्यवाही करनी चाहिए और बंगला देश को मान्यता देने में अब और देरी नहीं करनी चाहिए। इससे बंगला देश को पाकिस्तानी सेना को हराने में हर प्रकार की सहायता मिलेगी। यदि बंगला देश को अविलम्ब मान्यता नहीं दी गई तो शरणार्थी समस्या से हमारी अर्थ व्यवस्था हमारा सामाजिक ढांचा और राजनीतिक व्यवस्था नष्ट हो जायेंगे। यहाँ तक कि समस्त पूर्वी भारत खतरे में पड़ जायेगा और हमें एक अन्य अन्तरिम बजट बनाना पड़ जायेगा जिससे साधारण व्यक्ति के कन्धों पर और अधिक भार पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : इस बजट को धोखा मात्र कहना अनुचित नहीं होगा क्योंकि इससे जनता के उस सामूहिक विश्वास पर कुठाराघात हुआ है जो देश में सत्तारूढ़ दल में व्यक्त किया था। इस बजट ने देश में सामाजिक विषमता और आर्थिक अन्याय को बढ़ाया है। समाजवाद कभी धोखाधड़ी और बाजारू नेतागीरी से नहीं आता। इस बजट से बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता इससे उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे। सामाजिक अन्याय और असमानता दूर नहीं होगी। जब शिक्षा मंत्रालय के पास प्राईमरी कक्षाओं के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं है तब वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पाने वालों 25 प्रतिशत छात्रों के लिये छात्रवृति की व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय सदस्य बात को समझे नहीं हैं। इस व्यवस्था का अभिप्राय है कि जो छात्र पब्लिक स्कूलों में प्रवेश नहीं पा सकते अर्थात समाज के निम्न वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : परन्तु प्रश्न यह है कि समाज के किस स्तर के लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं। एक ओर तो सरकार के पास प्राईमरी शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था नहीं है और दूसरी ओर पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पाने वाले 25 प्रतिशत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था का सीधा अभिप्राय होगा कि नौकरशाह समृद्ध मंत्रियों और समाज के समृद्ध वर्ग, जो आंग्ल-भारतीय संस्कृति में अपनी आस्था रखता है, को लाभ देना होगा। यह सामाजिक न्याय का उदाहरण है जिसका प्रस्ताव वित्त मंत्री ने इस बजट में किया है।

फिर भी इस बजट में कुछ बातें वास्तव में अच्छी हैं जैसे इसमें आर्थिक विषमता दूर करने की व्यवस्था की गई है। इसमें व्यक्तिगत आय पर अधिकतम सीमा अर्थात 5000 रुपया मासिक तथा 1000 रुपया परिलब्धियों के रूप में निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक मंत्री की परिलब्धियों की सीमा कितनी है क्योंकि बताया जाता है कि मंत्री की परिलब्धियां 4½ लाख रुपये तक होती हैं। अतः वित्त मंत्री महोदय को यह भी आश्वासन देना चाहिए कि मंत्रियों की सम्पत्ति की भी अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी और उनको केवल समाजवाद के नाम पर ही उस भारी धन को अपने पास रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए जिससे हमारी व्यक्तिगत आय की एक ही नीति हो।

इस बजट में 15 लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति के वर्गों पर कराधान में वृद्धि की गई है और 78 प्रतिशत की एक समान दर पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। उपहार कर में जो कुछ परिवर्तन किये गये हैं वह भी श्लाध्य हैं। कम्पनी कर को प्रभावित रूप में लागू करने के लिए भी कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किए गये हैं। परन्तु अवकाश कर किसी विशेष तिथि अथवा किसी विशेष अवधि में समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। कम्पनियों पर जो प्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं, वह तो बहुत ही कम है। जहाँ प्रत्यक्ष कराधान केवल 27 करोड़ रुपये का है वहाँ अप्रत्यक्ष कराधान 150 करोड़ रुपये का है और इसमें आम प्रयोग की वस्तुओं पर कर लगाया गया है जिससे जन साधारण पर बहुत अधिक भार पड़ा है। अतः वित्त मंत्री महोदय को अप्रत्यक्ष करों की सूची में संशोधन करना चाहिए और कम से कम मैदा, सिगरेट, पेट्रोल आदि जैसी वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाना चाहिए। इस बजट में 220 करोड़ रुपये के घाटे की अर्थ व्यवस्था दिखायी गयी है। घाटे की इस अर्थ व्यवस्था का जीवन निर्वाह सूचकांक की लागत तथा मूल्यों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस समय देश में 897 करोड़ रुपये के घाटे की अर्थ व्यवस्था है। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में 850 करोड़ रुपये के घाटे की अर्थ व्यवस्था की गई थी, परन्तु इस योजना के दूसरे वर्ष में ही यह राशि अपनी सीमा से अतिक्रमण कर गई और इसका बोझा हमारे ऊपर पड़ा है। अतः माननीय वित्त मंत्री बतायें कि इस बजट में घाटे की अर्थ व्यवस्था से स्थिति में कहाँ तक सुधार आयेगा। वित्त मंत्री इस सभा को अपने विश्वास में लेकर हमें यह बात स्पष्ट करें कि आज इस घाटे की अर्थ व्यवस्था से कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, उसका हमारी योजना, अर्थ व्यवस्था तथा हमारे जीवन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा जिससे कि इस सम्बन्ध में हमारे सन्देह और भ्रान्तियाँ दूर हो सकें।

श्री नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : बजट में केवल खर्चे और आय के आंकड़ों का समायोजन करना मात्र नहीं होता। अपितु इससे राष्ट्र को अपने लक्ष्य का मार्ग दर्शन होता है जो तीन प्रकार से होता है—उत्पादन और विकास, समाज न्याय और मूल्यों की स्थिरता।

इस बजट में पहली बार सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में कारगर कदम उठाया

गया है। इस बजट की सबसे ठोस बात यह है कि इसमें सबसे पहली बार बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की गई है। बच्चों की अब तक उपेक्षा की जाती रही है। इस दिशा में सरकार ने यह पहला कदम उठाया है क्योंकि बच्चे ही राष्ट्र की सम्पत्ति है और इनका पालन पोषण ठीक प्रकार से होना चाहिए। दूसरे देशों में बच्चों के कल्याण के लिए विशेष धन की व्यवस्था की जाती है। इस दिशा में यहाँ यह प्रारम्भिक कदम है।

बंगला देश से आये शरणार्थियों की समस्या अभूतपूर्व है। बजट में उनके भरन पोषण के लिए हमने मजबूरन व्यवस्था की है हालांकि यह धन इस समस्या के लिए बहुत ही अपर्याप्त है। परन्तु उनके प्रति यह हमारी सद्भावना और विश्वास का ही प्रतीक है। हमारी उनके प्रति पूर्ण सहानुभूति है जो कि निर्दयी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं और दुख उठा रहे हैं।

पब्लिक स्कूलों की आलोचना की गई है। परन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्त मंत्री महोदय ने भारत के इतिहास में प्रथम बार समाज के निर्धन वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर पब्लिक स्कूलों में स्थान देने और छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की है। इन स्कूलों की आलोचना करने से पहले विपक्षी सदस्यों को यह बात याद रखनी चाहिए कि उनमें से अधिकांश सदस्यों के बच्चे इन्हीं पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरे अंग्रेजी में बोलने के लिए जो माननीय सदस्य आपत्ति उठाते हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके बच्चे इन्हीं पब्लिक स्कूलों में, जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, अंग्रेजी पढ़ते हैं। चाहे ये स्कूल अच्छे हैं अथवा बुरे हैं परन्तु इनके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। समाज के निर्धन वर्ग के लोगों के योग्य और प्रथम श्रेणी प्राप्त बच्चों के लिए इन स्कूलों में स्थान की व्यवस्था की गई है।

मैं वित्त मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि छोटी सी झोंपड़ी में रहने वाला साधारण व्यक्ति भी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेज सकता है, भले ही वह हिन्दी भाषी हो अथवा अंग्रेजी भाषी। मैं चाहता हूँ कि सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षा का स्तर ऊँचा किया जाय। शिक्षा के प्रकाश की किरण प्रत्येक जगह निर्बाध रूप से पहुँचनी चाहिए।

विरोधी पक्ष के सदस्य सरकार की आलोचना करते हैं, परन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस बजट में उन वायदों की झलक मिलती है, जो हमारी पार्टी ने जनता के साथ किये थे।

योजना-परिव्यय को 1195 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1350 करोड़ रुपये कर दिया गया है। देहाती और शहरी-दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए जोरदार कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। अन्य प्रकार के भी प्रावधान किये गये हैं जिनसे निर्धनों की सहायता होगी।

बजट के कटु आलोचक भी यह स्वीकार करते हैं कि केवल एक बजट से ही हमारी अर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त सुधार नहीं हो सकता। हमने सही दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है।

कुछ आलोचकों का यह कहना है कि मूल्य-वृद्धि को नहीं रोका जा सकेगा। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या दुनिया में कोई भी अविकसित देश ऐसा है, जहाँ मूल्य न बढ़े हों। हम भी एक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अंग हैं।

मैं वित्त मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं कि जरूरतमंद उद्योगों को कुछ अपेक्षित सुविधायें दी जायें। लुधियाना की बाल बियरिंग फैक्टरी की मदद की जानी चाहिए।

लिपस्टिक पर टैक्स विलास-सामग्री पर टैक्स है। मोटर स्पिरिट और सिगरेटों पर हुई शुल्क-वृद्धि पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। जो लोग स्कूटर और मोटर साइकिल चलाते हैं, उन्हें कुछ छूट दी गई है। आयकर से छूट की सीमा को भी बढ़ाया गया है। 29 मई के 'फाइनेन्शियल एक्सप्रैस' के अनुसार विकास छूट के कारण एक कम्पनी ने 40 करोड़ रुपये अर्जित किये। वित्त मन्त्री द्वारा यह घोषणा कि 31 मार्च, 1974 के बाद यह विकास पर समाप्त कर दी जायगी, एक ऐसा कदम है जिससे विकास की गति में तीव्रता आयेगी।

बजट आंकड़ों की जाँच करने से यह पता चलेगा कि हम एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विरोधी पक्ष के सदस्य अपनी पार्टी अथवा स्वयं के पूर्वाग्रह पूर्ण विचारधारा से मुक्त होकर सोचें, तो उन्हें यह पता लगेगा कि यह बजट सामाजिक न्याय के लिए बजट है।

श्री एस० ए० शमीम (श्री नगर) : मैं बजट के आंकड़ों के जादू से पूर्णतः परिचित नहीं हूँ और इसलिए मैं तुलनात्मक आंकड़े नहीं दे सकता। कराधान के सम्पूर्ण ढांचे का परीक्षण आम आदमी की प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए। मेरे विचार में वित्त मन्त्री का आम आदमी और वास्तविकता से सम्पर्क टूट चुका है। इस बजट को वातानुकूलित कमरे में तैयार किया गया है और आम आदमी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। आम आदमी ने सत्तारूढ़ पार्टी को भारी बहुमत प्रदान किया है और बजट पेश हो जाने के बाद वह यह अनुभव करता है कि उसे धोखा दिया गया है। धनी लोग बजट पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। वित्त मन्त्री को आम आदमी का खयाल रखना चाहिए।

मैदा, साबुन, सिले सिलाये वस्त्रों और अन्य वस्तुओं पर लगे करों की सामान्य आलोचना के कारण वित्त मन्त्री उन वस्तुओं पर करों में कुछ राहत दे सकते हैं। वित्त मन्त्री के इस कथन से, कि आम आदमी रोटी नहीं खाता, यह पता चलता है कि सत्तारूढ़ पार्टी आम जनता से अपना सम्पर्क खो चुकी है।

प्रशासन की अक्षमता के लिए भी करदाता को कर अदा करना पड़ता है। अगर प्रशासन पर ठीक तरह व्यय किया जाय, करापवंचन को और चोरी को रोका जाय, तो आम आदमी को इतना भार वहन न करना पड़े, जो आज करना पड़ रहा है।

प्रशासन की ईमानदारी पर से जनता का विश्वास उठ चुका है। इसका एक उदाहरण यह है कि 1963 में कश्मीर में हजरतबल से पवित्र बाल की चोरी हो गई थी। आज तक उन चार अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, बल्कि उन्हें पिछली तारीख से नौकरी में बहाल कर दिया गया है।

चीन और पाकिस्तान के बारे में इस सदन में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं भी यह कहना चाहूँगा कि इस राष्ट्र का सम्मान और इसकी अखण्डता सर्वोपरि है। मुझे पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति है और याह्या खाँ एवं उनके एजेन्टों के अत्याचारों को माफ नहीं किया जा सकता। बंगला देश की समस्या और मानवता के इस संकट पर मैं राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से सोचता हूँ। इस समय हम अपने आपको अकेला अनुभव कर रहे हैं। संभवतः हमारा दृष्टिकोण गलत है अथवा विदेश स्थित हमारे मिशन तत्परता से कार्य नहीं कर रहे।

1965 में चव्हाण रक्षा मन्त्री थे परन्तु उस समय भी आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं थी। अन्यथा जम्मू और कश्मीर राज्य में हजारों घुसपैठियों के घुस आने का क्या कारण हो सकता है। हमारे गुप्तचर्या कर्मचारी दक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर रहे। उन पर और प्रतिरक्षा पर भारी मात्रा में राशि खर्च की जा रही है।

प्रतिरक्षा-व्यय अत्यधिक महत्वपूर्ण है; परन्तु हमें भावुक होकर नहीं बल्कि ठोस यथार्थ रूप में भी इस पर विचार करना चाहिए। दो पड़ोसी देशों के बीच शत्रुतापूर्ण रुख क्यों रखा जाय। हमें चीन के साथ बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारे प्रतिरक्षा-व्यय में भी कमी होगी। भारत-पाक मित्रता के प्रति हमें निराशा की भावना नहीं रखनी चाहिए। पूर्व पाकिस्तान की समस्याओं को वहाँ के सैनिक शासन द्वारा उत्पन्न किया गया है और इस शासन को वहाँ की जनता कभी न कभी उखाड़ फेकेंगी। हमें दीर्घकालीन नीति बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस वातानुकूलित कमरे में युद्ध की बातें करना बहुत आसान है परन्तु युद्ध घृणा की चीज है और उसके दुष्प्रभावों को भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए।

हमारी नीति में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी अवश्य है। चौबीस वर्षों से हमारे मित्र अरब राष्ट्रों ने हमारी इच्छानुसार व्यवहार नहीं किया, तो हम अरबों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। चीन, पाकिस्तान और नेपाल से हमारे राजनयिक सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। ब्रिटेन और अमेरिका अपने हितों के अनुसार आचरण करते हैं।

इन करों के लगाने से आम जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। यह कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत को अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के बराबर लाने के लिए ही उस पर शुल्क लगाया गया है। हम आम आदमी को छोटी कार उपलब्ध करने के बारे में सोच रहे हैं। पेट्रोल पर शुल्क वृद्धि से उस पर सीधा असर पड़ेगा। आयकर के रूप में 700 करोड़ रु० की बकाया राशि पड़ी है। क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था निकम्मी है या हम इसे वसूल ही नहीं करना चाहते।

हमें दूसरों का आदेश मानने की बजाय अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित ठोस नीति अपनानी चाहिए। शरणार्थियों की समस्या भी बहुत विशाल है और 70 करोड़ रु० की राशि पर्याप्त नहीं है।

श्री चव्हाण अपनी व्यावहारिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें इस सदन की आम राय ज्ञात हो गई होगी। आम आदमी, जिसने भारी बहुमत इस सरकार को दिया है, उसकी भावनाओं का ठुकराया नहीं जाना चाहिए, और आम आदमी के काम में आने वाली वस्तुओं पर करों को वापस ले लिया जाना चाहिए।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Every budget reflects a view of the past as well as of the future. The budget presented by Shri Chavan is the best socialistic budget in the present circumstances and I congratuatate him for co-ordinating the resources keeping in view the industrialisation and agricultural production of the country.

The opposition parties are frustrated where as the ruling party is optimistic. That is why they are criticising this budget.

There are two sources of income—Industries and Agriculture. An effort has been made in this budget to co-ordinate both these sectors. We have to give encouragement to the agriculture and to make arrangement for improved seeds and irrigation. A provision of Rs.25 crores has been made for rural employment. The industries should be decentralised and they should also be set up in the rural areas. Now banks have been nationalised and credit facilities are available to the farmers as well as the small industries as a result of which industries are being decentralised. The taxi operators had to take loan from private money lenders on 30 per cent interest, now they can have loan from nationalised banks on 9 per cent interest.

The Government has done justice by nationalising Banks. In the sphere of economic development, the rickshaw pullers and taxi drivers have been benefited. They can get loans and advances from these nationaized Banks. Now the General Insurance business has also been nationalised. We are trying to remove poverty and unemployment.

There must be participation of labour in the management of industries. Tripartite arrangements should be there in Private Sector industries so that there may be labour participation. A high power commission must be constituted for marketing survey. We will have to exercise control over all the agencies functioning between production and sale.

Our gross national income is Rs. 30 thousand crores and half of this income is received from the agrarian sector. But this economy has been imbalanced because whole of the marketing control is exercised through urban areas. The Government earns 79 per cent of foreign exchange but there is no provision in the plan for equal development in the rural as well as urban areas. There are certain regions like Chhattisgarh in Madhya Pradesh which can provide rice for half of the population of the country if irrigation facilities and hybrid seeds are made available there.

The Government should reduce private labour by coordinating biological and mechanical powers of agriculture and remove corruption only then the imbalance in economy will be removed.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

पहला प्रतिवेदन

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन से, जो 2 जून, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन से, जो 2 जून, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

केंद्रीय ऋण आयोग के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE. FEDERAL DEBT COMMISSION

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : मेरा संकल्प भारत के सभी राज्यों के वित्तीय संकट से सम्बद्ध है और इस संकल्प के द्वारा केन्द्रीय करों, ऋण, योजना सहायता आदि की वर्तमान प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करने को कहा गया है।

हम सभी जानते हैं कि एक ओर तो राज्यों के कृत्यों और दूसरी ओर उनके स्रोतों के बीच एक स्थायी असन्तुलन है।

[**श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुईं**
SHRIMATI SHEELA KAUL IN THE CHAIR]

संघीय वित्त योजना के अन्तर्गत राजस्व के लचीले तथा उत्पादक स्रोत केन्द्र के पास हैं तथा

राज्यों के पास केवल ऐसे स्रोत हैं जो न तो लचीले हैं और न ही जिनका विस्तार किया जा सकता है, परिणामस्वरूप केन्द्र के पास बचत अधिक हो जाती है और राज्यों को घाटे का सामना करना पड़ता है।

पाँचवें वित्त आयोग से ओवर ड्राफ्ट की समस्या सुलझाने को कहा गया था। स्पष्ट है कि राजस्व के आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्यों के बीच टकराव है।

हमारे संविधान के अन्तर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है परन्तु योजना के आरंभ होने के साथ ही समूची प्रणाली अस्त व्यस्त हो गई है।

योजना आयोग ने सारी शक्तियाँ हथिया ली हैं और वित्त आयोग समाप्त प्रायः हो गया है। हम सदैव अनुच्छेद 282 का सहारा लेते हैं जो कि वस्तुतः एक अवशिष्ट और आरक्षित अनुच्छेद है तथा जिसका सम्बन्ध अकाल तथा भूकम्प इत्यादि से मुकाबला करने से है।

पंचवर्षीय योजनाओं ने वित्त आयोग को सारहीन बना दिया है।

हम वित्त आयोग और योजना आयोग जैसे संघीय प्राधिकरणों का निष्पक्ष स्वरूप प्रस्तुत करने में असफल हो गये हैं।

यह एक ऐसी समस्या है जिसका हमें फिर सामना करना पड़ रहा है। ये आयोग निष्पक्ष माने जाते हैं परन्तु ऐसा लगता है कि वे निष्पक्ष नहीं हैं।

योजना आयोग का उदाहरण लीजिए। वर्ष 1968 में योजना आयोग द्वारा योजना संसाधनों की 10 प्रतिशत राशि उन राज्यों में वितरण करने हेतु रखी गई थी जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से कम हो। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय औसतन 418 रुपये थी। अतः उन राज्यों को जिनकी प्रति व्यक्ति आय 418 रुपये से कम थी, योजना संसाधनों की 10 प्रतिशत राशि में हिस्सा प्राप्त होना था। मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि उन राज्यों को जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक हो, सहायता से वंचित रखा जाये। अतः आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु को, जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से अधिक थी, वंचित क्यों रखा गया। इस बात से कोई भी सहमत नहीं हो सकता कि यह फार्मूला युक्ति संगत है। हम इस आधार पर यह नहीं कह सकते कि कुछ राज्य प्रगतिशील हैं तथा कुछ राज्य पिछड़े हुये हैं। योजना आयोग इस पहलू पर पुर्नविचार करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच दोहरा काम हो रहा है। इनका कार्य एक दूसरे से टकरा रहा है। परन्तु फिर भी हम इसे चलाते जा रहे हैं।

वित्त आयोग ने, जो कि एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है, न केवल तमिलनाडु जैसे राज्यों अपितु सब पिछड़े हुये राज्यों के साथ घोर अन्याय किया है क्योंकि उसके निर्णय उन राज्यों के पक्ष में रहे हैं जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है तथा जो औद्योगिक रूप से विकसित हैं। उसने तमिलनाडु के लोगों की आवश्यकताओं तथा उनकी मांगों के प्रति अन्याय किया है। पाँचवें वित्त आयोग के पंचाट की जितनी कटु आलोचना की गई है, इतनी किसी अन्य आयोग के पंचाट की नहीं की गई है। इस वित्त आयोग ने हमारे अराजपत्रित अधिकारियों के वेतन में वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जिसके कारण तमिलनाडु का प्रति वर्ष 22 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ा है। इसका एक साधारण सा कारण है कि हमने महत्त्वपूर्ण तिथि पर वेतन आयोग नियुक्त नहीं किया जिसके कारण हमें प्रति वर्ष लगभग 22 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। परन्तु वित्त आयोग इस सच्चाई को समझता नहीं है।

सिद्धान्ततः वित्त आयोग योजनेतर व्यय पर और योजना आयोग योजनागत व्यय पर ध्यान रखते हैं। इन सब पर एक साथ कोई ध्यान नहीं रखता है। परन्तु अप्रैल, 1969 में एक अद्वितीय घटना घटित हुई। योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप और वित्त आयोग ने अपना अन्तरिम पंचाट प्रस्तुत किया। यह शायद पहला समय था जब दोनों बातें एक सी हुईं। योजना आयोग ने वित्त आयोग के अन्तिम पंचाट के बारे में अनुमान लगाया। योजना आयोग को ज्ञात हुआ कि वित्त आयोग के पंचाट के कारण राज्यों में मतभेद है।

किसी भी वित्त आयोग के उसी पंचाट को आदर्श माना जाना चाहिये जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी राज्य के पास अत्यधिक राशि बचत में न हो तथा कोई राज्य अत्यधिक घाटे में न रहे। परन्तु हुआ क्या है ? पश्चिम बंगाल के पास लगभग 4.05 करोड़ रुपये की बचत है। उत्तर प्रदेश के पास 32.82 करोड़ रुपये की बचत है जबकि राजस्थान को 67.07 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 11.84 करोड़ रुपये का घाटा है। इससे नई समस्या उत्पन्न हो गई है।

योजना आयोग को अन्तिम स्थिति ज्ञात थी जिस स्थिति के अनुसार कुछ राज्य चालू राजस्व से योजना संसाधनों को पर्याप्त धन देंगे। योजना आयोग का दूसरा निष्कर्ष यह था कि कुछ राज्यों को यदि वे अपना प्रशासन चलाना चाहते हैं तो रिजर्व बैंक से अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालनी पड़ेगी अन्यथा वे अपना प्रशासन नहीं चला सकेंगे। योजना आयोग ने वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि योजनेतर व्यय और घाटे को पूरा करने के लिये उपयुक्त राशि दी जाये। इस राशि को विशेष समायोजन निधि का नाम दिया गया है। विशेष समायोजन निधि में 800 करोड़ रुपये हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्य और अधिक घाटे में चलेंगे।

इस निधि से तमिलनाडु को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। मैसूर को 105 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस प्रकार उसके साथ पक्षपात किया गया है।

जब कोई निर्णय लिया जाता है तो राज्यों की सहायता करने का उपाय निकाला जाता है। आन्ध्र प्रदेश को इस विशेष समायोजन निधि से 11.5 करोड़ रुपये दिये गये हैं। अकेले तेलंगाना के लिये 45 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

मद्रास राज्य को वित्त आयोग के पंचाट से कुछ नहीं मिला। हमने 250 करोड़ रुपये की योजना बनाई थी जिसमें कटौती की गई और 202 करोड़ रुपये तक कर दी गई।

यदि 800 करोड़ रुपये की इस राशि को अनुचित ढंग से भी बाँटा जाता तो भी केन्द्रीय सहायता के रूप में हमें 50–60 करोड़ रुपये तक की राशि मिल जानी चाहिये थी। परन्तु हमारी केन्द्रीय सरकार और तथा कथित संघीय संस्थायें जिनसे निष्पक्ष होने की आशा की जाती थी, मनमाने ढंग से वही कुछ करती रहीं जो कि उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक ठीक था।

मैं सदन से कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु एक मात्र ऐसा राज्य है जिसे विशेष समायोजन की योजना से निकाल दिया गया है। मेरा संकल्प सभी राज्यों से सम्बन्ध रखता है। मैं सभी राज्यों के सदस्यों से इसे समर्थन देने के लिये निवेदन कर रहा हूँ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत बहुत बड़ी ग्रामीण ऋणग्रस्तता से कठिनाई में था। वर्ष 1968–69 में राज्य सरकारें केन्द्र से 856 करोड़ रुपये का ऋण ले रही थीं। 15 अगस्त 1947 को प्रान्तीय सरकारों की ओर केन्द्रीय सरकार के ऋण की राशि 43.97 करोड़ रुपये या 44 करोड़ रुपये थी। अब यह राशि 31 मार्च 1971 को 8,139 करोड़ रुपये हैं। ऋणों में

11.6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1956–57 में राज्यों से कुल लगभग 67.81 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी। वर्ष 1968–69 में यह राशि 694 करोड़ रुपये हो गई। यह अब 18 प्रतिशत से 41 प्रतिशत हो गई है। राज्यों की ऋणग्रस्तता के कारण तथा ऋण सेवाओं के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे धन राज्यों से केन्द्र को प्राप्त होता रहता है। धन का राज्यों से केन्द्र को जाना अब राज्यों के लिये असहनीय हो गया है।

तमिलनाडु को भारत सरकार से लगभग 44 करोड़ रुपये मिला था जिसके बदले में उसे 50 करोड़ रुपये की अदायगी करनी पड़ेगी जब कि चौथी योजना में बिहार को 338 करोड़ रुपये मिलेंगे और उसे 335 करोड़ रुपये वापस देने पड़ेंगे। जैसा कि ऋणग्रस्तता प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है अतः राज्य इसे चुकाने की स्थिति में नहीं है। पाँचवें वित्त आयोग से कहा गया था कि वह खातों में जमा राशि से अधिक राशि निकालने के बारे में जाँच करे तथा सुझाव दें परन्तु जो सुझाव उसने दिये हैं वे सब के सब अव्यावहारिक हैं। उसने सुझाव दिया कि यदि कोई राज्य खाते में जमा राशि से अधिक धन निकालते रहते हैं तो राष्ट्रपति उनके वित्तीय प्रशासन को अपने हाथों में ले सकता है अथवा उन राज्यों में वित्त तथा खातों आदि की देख-भाल करने के लिये वित्त मन्त्रालय अपने अधिकारियों का दल भेज सकता है।

अगले वित्त आयोग ने इसकी जाँच की और अलग ही तरीके से सिफारिश की कि राज्यों की ऋण गस्तता के सारे प्रश्न की जाँच की जानी चाहिये और सक्षम निकाय की नियुक्ति की जानी चाहिये।

हाल ही में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल गठित किया गया था। उन्होंने सिफारिश की है कि इस प्रश्न की जाँच करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति एक आयोग गठित किया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मेरे दो तीन सुझाव हैं। एक यह कि ऋणों की अदायगी की तिथियाँ पुनर्निर्धारित की जायें दूसरा यह कि ऋण की अदायगी के लिये और अधिक समय की अवधि दी जाये और तीसरे यह कि ऋण को बट्टे खाते में डाला जाये। राज्यों को नये सिरे से कार्य करने को कहा जाना चाहिये ताकि उन्हें पुरानी ऋणग्रस्तता से छुटकारा मिल सके। ऐसा करने से केन्द्र की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु यदि ऐसा नहीं किया गया तो केन्द्र और राज्यों के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो जायेंगे।

श्री बालतन्डायुतम (कोयम्बतूर) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। राज्यों और केन्द्र का संबंध अब बौने और दानव के संबंध समान हो गया है। यह असमान संबंध है। निर्बल हमेशा घाटे में रहता है। एक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा। केन्द्र ने केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए हैं। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है बल्कि मैं इसका समर्थन करता हूँ किन्तु ऐसा करने का परिणाम यह होता है कि अन्य राज्यों के कर्मचारी भी वेतन वृद्धि की माँग करने लगते हैं। परिस्थितियों को देखते हुए उनकी माँग अनुचित नहीं लगती। आज तमिलनाडु सरकार केन्द्र सरकार की भांति अपने कर्मचारियों को समान महंगाई भत्ता दे रही है जिसके कारण उसे 22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है। आय के साधन वही पुराने है और घाटे की रकम और भी बढ़ गई है। राज्य सरकार इस प्रकार खर्च और सीमित आय के अन्तर को कैसे पूरा कर सकती है। वह हर बार केन्द्र के मुंह की ओर ताकती है और केन्द्र आगे से यह कहता है कि "प्रत्येक राज्य इस प्रकार की माँग कर रहा है हम इसे कैसे पूरा

कर सकते हैं।" यदि एक राज्य की उचित माँग को पूरा करना केवल इसलिए संभव नहीं है कि अन्य राज्य भी वही माँग करते हैं तो इस संबंध में अवश्य कोई त्रुटि है। वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राज्यों का केन्द्र पर निर्भर रहना बहुत गंभीर मामला है। इसकी जाँच की जानी चाहिए।

यह कहा गया है कि तमिलनाडु एक विकसित क्षेत्र है पर वहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ के लोगों ने आज तक रेलगाड़ी नहीं देखी। मेरे क्षेत्र कोयम्बतूर में जो कि औद्योगिक दृष्टि से काफी समृद्ध है पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है और यदि आज इसके लिए कोई योजना बनाई जाती है तो हमारे पास इतना धन नहीं कि हम उसको पूरा कर सकें। आप इस बात का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जब राज्य सरकार पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं करा सकती तो वह अपने सीमित संसाधनों से और क्या कर सकती है यदि वित्त मंत्री इस बात से संतुष्ट हैं कि वह रिजर्व बैंक के द्वारा धमकियाँ भिजवा सकते हैं कि भुगतान बन्द कर दिए जाएंगे तो मुझे भय है कि राज्य न केवल अधिक शक्तियों की माँग करेंगे बल्कि वे अपने आपको स्वतंत्र भी कराना चाहेंगे। मैं केन्द्र से अपील करता हूँ कि वह इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करे तथा वास्तविक स्थिति को समझें।

सरकार को केन्द्र तथा राज्यों के बीच संबंध के प्रश्न पर विशेषकर कर्जों के संदर्भ में जो प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है और जिसे सरकार उनसे वसूल करने का प्रयास कर रही है विचार करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए। यदि आयोग उन कर्जों को बट्टे खाते में डाल देने की सिफारिश करता है तो केन्द्र को उसे सहन करना ही पड़ेगा। तब तक केन्द्र को राज्यों से कर्जा वसूल करना स्थगित रखना चाहिए।

Shri R. R. Sharma (Banda) : Mr. Chairman, I rise to support this resolution. It has been contended that the Central Government is encouraging separatist tendencies by giving more financial assistance to certain States and less to others. It is a correct contention and the demand for a Federal Debt Commission is justified.

I will say something in connection with U. P. and specially about my own constituency, Bunddelkhand which is the most backward area in U. P. Its development has always been neglected. The development of Banda has been thwarted because there is no bridge on the rivers Jamuna and Ken. The State Government says that they do not have enough funds for the development of Bundelkhand. It is a very serious matter.

The employees of State Governments are getting less emoluments than the central Government employees although they perform similar duties. This has caused frustration among the State employees.

It is necessary to appoint a commission to go into the question of distribution of Central grants to the States and suggest ways and means for equitable distribution of such grants.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम्) : सभापति महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इसमें कहा गया है कि विभिन्न राज्यों की वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुए स्थिति पर विचार करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाए। यदि इसमें कोई वित्तीय कठिनाई न आई तो मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा।

जब कभी भी वित्तीय स्थिति के बारे में केन्द्र--राज्य सम्बन्धों का प्रश्न उठाया जाता है तभी कुछ आशंकाएं प्रकट की जाती हैं कि केन्द्र कमजोर हो जाएगा। केन्द्र को कमजोर बनाने का

हमारा कोई उद्देश्य नहीं है और न ही हम चाहते हैं कि इसके द्वारा देश की एकता अथवा अखंडता पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। जब तक संघीय ढाँचे के घटकों को मजबूत नहीं बनाया जाता तब तक केन्द्र मजबूत नहीं बनेगा। मजबूत राज्यों का अर्थ एक कमजोर केन्द्र नहीं है। संभवतः मजबूत राज्यों से मजबूत केन्द्र के बनने में सहायता मिल सकती है। हम चाहते हैं कि उन विषयों जिनका देश की अखंडता और प्रतिरक्षा तथा वैदेशिक मामलों के साथ महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है के बारे में केन्द्र को यथा संभव बहुत शक्तिशाली होना चाहिए लेकिन पूरे किए जा सकने वाले दायित्वों से अधिक ले लेने से केन्द्रीय सरकार उन शक्तियों को नष्ट कर रही है जो उसे दी गई है। अतः एक लम्बे चौड़े महादेश में राज्यों को भी उनको दिए गए उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए संसाधन दिये जाने चाहिए।

राज्यों को दिए जाने वाले संसाधनों तथा उत्तरदायित्वों में अन्तर बढ़ता जा रहा है। यदि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक के आंकड़ों की तुलना करें तो पता लगेगा कि इस अवधि के दौरान सभी राज्यों को मिलाकर 1950–51 में 252 करोड़ रुपये के राजस्व की और 1966–67 में 918 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई अर्थात् वृद्धि की दर केवल 313 प्रतिशत रही जबकि केन्द्र सरकार के राजस्व में 469 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। अतः यह स्पष्ट है कि जहाँ केन्द्रीय संसाधन लचीले हैं वहाँ राज्यों के संसाधन लचीले नहीं अपितु निश्चित हैं! यदि हम इस अवधि के दौरान केन्द्र की ओर से राज्यों को दिए जाने वाले कर्जे की स्थिति को देखे तो पता लगेगा कि जो कर्जा 1947 में 44 करोड़ रुपये था वह अब बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है, जिसमें राज्यों की कर्जा स्थिति बहुत असह्य हो चुकी है।

जहां तक बाहरी सहायता का प्रश्न है, राज्यों की विशेष योजनाओं के लिए बाहरी सहायता भी राज्यों को केन्द्र से मिलती है। राज्य रिजर्व बैंक की अनुमति बिना बाजार से ऋण भी प्राप्त नहीं कर सकते।

कुछ सदस्य ऐसा सोचते हैं कि घाटे पर चलने वाले राज्यों की सहायता हेतु संविधान में केन्द्र सरकार द्वारा कुछ अनुदान दिये जाने की व्यवस्था हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कठिनाई है केन्द्र द्वारा राज्यों को सांविधिक अनुदान और विवेकानुदान––दो प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं तीसरी योजना के दौरान उपलब्ध कुल संसाधनों में से राज्यों को केन्द्र द्वारा विवेकानुदान और ऋण के रूप में 70 प्रतिशत तक दिया गया। केन्द्रीय सरकार को विवेकानुदान के द्वारा ऐसे क्षेत्रों के बारे में, जिनके साथ केन्द्र प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं है, भी इस अनुदान द्वारा एक शक्तिशाली साधन प्राप्त हो गया है। यद्यपि ऋण और अनुदान देते समय संघीय सरकार राजनीतिक उद्देश्यों को हल कर सकती है। किन्तु एक आदर्श संघीय सरकार के लिए ऐसा करना उचित नहीं। संघीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को इस योग्य बनाए कि वह अपने उन दायित्वों को निभाने में समर्थ हो जो उन्हें संविधान की ओर से सौंपे गए हैं। राज्यों को केन्द्र सरकार की सहायता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

वर्तमान ऋण स्थिति चिन्तनीय हो चुकी है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने श्री सीतलवाद की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। दल का विचार है कि अत्यधिक ऋण भार ने राज्यों को गैर जिम्मेदार बना दिया है। यही कारण है कि वे अपने बजट के उपबन्धों में भारी फर्क दिखाते हैं ताकि वे केन्द्र से अधिक धनराशि ले सकें। दल ने सुझाव दिया कि वर्तमान

स्थिति में परिवर्तन किया जाना चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे ऋण भार कम किया जा सके और ऋण भार की निरन्तरता को रोका जा सके। यदि राज्यों को अधिक संसाधन जुटाए जाएं तो हम राज्यों पर उन उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए जोर डाल सकते हैं जो उत्तरदायित्व उन्हें सौंपे गए हैं जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक राज्य केन्द्रीय सरकार के ऊपर निर्भर होते जाएंगे। सभी राज्य दिवालियापन की स्थिति में पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए, जो कि इस समस्या को सुलझा सके।

सरकार ने 'गरीबी हटाओ' नीति की घोषणा की है। इस समय राज्यों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है और सरकार को राज्यों को सहायता देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Madam, I support the spirit of the resolution but the resolution is not properly worded in as much as it lays stress on the problems of one particular State. It will be better if this resolution is implemented on all India bass.

I would like to quate per capita income figures of different State from the book **'India Pocket Book on Economic Information.** It is a latest book, According to it the per capita income of different States, based on 1964-65 is as under :

State	Per capita income
Andhra	439
Assam	441
Bihar	229
Gujerat	523
Haryana	504
Jammu and Kashmir	341
Kerala	393
Madhya Pradesh	373
Mahrashtra	526
Mysore	420
Orissa	347
Punjab	575
Rajasthan	356
Tamil Nadu	434
Uttar Pradesh	374
West Bengal	498

From these figures it will be seen that the per capita income of Bihar is the lowest although it is the second largest state in the country. It is the most backward state. The centre should pay equal attention to the development of all states. There should be simultaneous development of all the states.

I support the objectives of the resolution seeking to provide facilities to all the states. I would request Shri K. R. Ganesh to understand the spirit of the resolution

and treat all the states on the equal footing. No doubt, the Centre should be strong but side by side the states should also be strong. There are states which fetch maximum money from the centre. Majority of class I and II officers in the Central Government belong to states which get maximum central aid from the centre.

The threats of cesation from the centre coming from Bengal and Madras are due to the fact that these states are getting more central aid as compared to other states. I want to say that you should not create the conditions of Bangla Desh here. You should provide the aid to the states under same set rules. Central taxes, loans, grants and plan assistance as mentioned in this resolution should be allocated among the States on the basis of population and on the basis of per capita income. It is an open fact that the Government provided maximum aid to the Madras during last year. In fact those who get maximum demand more and on the other side nothing is given to those who keep quiet. The state of Bihar is lagging behind in rasing hue and cry. I will request my congress brothers, Ministers and Prime Minister to treat all the States at par.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : दुनियाँ भर की सारी क्रांतियाँ, चाहे वह फ्रांस की हो, चाहे अमरीका की, चाहे रूस की और या भारत की, का जन्म अन्याय से हुआ है। प्रति व्यक्ति आय तथा औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से सन् 1950 में गुजरात देश भर में तीसरे दर्जे पर था लेकिन अब 21 वर्ष बाद छटे अथवा सातवें दर्जे पर है।

बंगला देश अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला रहा है लेकिन फिर भी इसकी उपेक्षा की गयी। यह अधिक पैदा करता था और कम प्राप्त करता था। गुजरात की स्थिति भी आज यही है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

पिछले दो वर्षों के दौरान हमने देखा है कि हर बात का निर्णय राजनैतिक दृष्टि से किया जाता है। कुछ राज्यों को मत प्राप्त करने की दृष्टि से ही धन दिया गया। मुझे विश्वास है कि 10 सीटों का धन द्वारा सौदा किया गया। ऐसी बातों से देश को नुकसान हो रहा है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धमकियाँ देने वाले राज्य आज राष्ट्रीय योजनाओं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गुजरात में पिछले 21 वर्षों के दौरान एक तेल शोधक कारखाने के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में और कोई कारखाना नहीं खोला गया। धमकियाँ देने वाले राज्यों में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सरीखे अनेकों सरकारी क्षेत्र के ऐसे कारखाने खुले हैं, जिनकी आय नगण्य है।

इन सब बातों पर केन्द्रीय सरकार को राजनैतिक दृष्टिकोण के स्थान पर व्यापारिक तथा तकनीकी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। पूर्व तथा दक्षिण के राज्य हमेशा धमकियाँ देकर अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते आ रहे हैं। बंगला देश की आय से पश्चिमी पाकिस्तान लाभ उठाता रहा। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह भी एक ऐसी ही स्थिति है। यदि किसी आयोग का गठन करना है तो श्री बिभूति मिश्र द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार ही इसका गठन किया जाना चाहिये।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मेरे माननीय मित्र ने संघीय ऋण आयोग के गठन का प्रस्ताव पेश किया है और इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि राज्यों को केन्द्रीय

सहायता देने के मामले में तमिलनाडु के साथ अन्याय किया गया है। ऋण वितरण सम्बन्धी केन्द्र और राज्यों के कर्तव्यों की चर्चा संविधान सभा में भी हुई थी और कुछ विषय केन्द्र और कुछ राज्यों को सौंपे गये। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राशि के आवंटन पर विचार करने हेतु समय समय पर वित्त आयोग का गठन किया जायेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् भी अनुदान आवंटन पर विचार करती है। इन सब बातों के बावजूद भी मेरे माननीय मित्र ऋण आयोग का गठन चाहते हैं।

ऐसे भी राज्य हैं जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। क्या अपने राज्य को लाभ पहुंचाने के लिये हम उन्हें भूखा मारेंगे? राजस्थान अकाल पीड़ित क्षेत्र है। राजस्थान को समृद्ध देखना हमारा उतना ही कर्तव्य है जितना कि अपने राज्य को देखने का है।

केन्द्रीय सरकार की कुछ जिम्मेवारियाँ हैं। इसे उन राज्यों का ध्यान रखना पड़ता है जो आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं हैं। परिवार के एक मुखिये की तरह केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य कमजोर तथा गरीब राज्यों का ध्यान रखना है।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि समय समय पर गठन करने के स्थान पर हमें एक स्थायी आयोग की स्थापना करनी चाहिये जो इन सब बातों पर विचार करे। साथ साथ मेरे मित्र इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करें कि इस प्रस्तावित आयोग से कौन सा उद्देश्य पूर्ण होगा। मेरे विचार में इससे कोई लाभ नहीं होगा।

तमिलनाडु एक समृद्ध राज्य है। वहाँ के लोग औद्योगिक तथा कृषि दोनों ही दृष्टिकोण से मेहनती हैं। तमिलनाडु में चावल पैदा नहीं होता था लेकिन अब वहाँ के मेहनती किसानों ने यह भी पैदा करना शुरू कर दिया है जिसके लिये मैं उन किसानों को बधायी देता हूँ। तमिलनाडु के हर गाँव में बिजली पहुँच गयी है। औद्योगिक दृष्टि से भी इसने काफी प्रगति की है।

वास्तव में सत्ता के नजदीक रहने वाले लोग अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक लाभ उठा रहे हैं। मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें। इस प्रस्ताव द्वारा उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमें सारे देश की समृद्धि का ध्यान रखना चाहिये। हम एक अपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। प्रतिदिन बंगला देश से 50 से 60 हजार विस्थापित भारत में आ रहे हैं। इससे हमारी अर्थ व्यवस्था पर काफी बोझ पड़ रहा है। वित्त मंत्री महोदय ने बजट में विस्थापितों के लिये केवल 60 करोड़ रु० की व्यवस्था रखी है जो मेरे विचार में पर्याप्त नहीं है। केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी देश के हर राज्य का सर्वांगीण विकास करना है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव पर अधिक जोर न दें।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : The resolution which is before us for consideration has been moved by an hon. Member from Tamil Nadu. On the face of it, the resolution appears to be reasonable but I will have to oppose the manner in which the same was moved. Our country is being governed under a Constitution. The duties and obligations of the Central and State Governments have been specified in the Constitution.

The hon. Members sitting in the opposition benches oppose every action of the Government. They also criticise the Central Government when it takes loans, creates

resources and print more currency notes, in order to fulfil its obligations. I come from the area, which is completely a desert area. People there have to fetch water from the distance of some 8 to 9 miles. We want to provide water facilities to our people. The Central Government is no doubt trying to solve our problems but it has its own financial limitations.

It is wrong to think that the State Government are nearer to the people and understand their difficulties well. All the Governments whether it is Tamil Nadu or Rajasthan understand the difficulties of their people and try to solve them. All the State Governments want to keep their people. happy. They think that why the taxes should be levied when they can easily get the funds from Central Government or take overdraft or ask for setting up a Debt Commission. They want that they should get the votes, from Government, tell their people that they are serving them and go on demanding money from the Central Government. Whenever Central Government tries to raise the funds, there is hue and cry alround. Today the State Governments are taking the credit of serving the people and shifting the discredit to others. All such things should not prevail. There is suggestion for Debt Commission. There is provision in our Constitution for setting up Finance Commission after every five years, to examine the financial conditions of all the States. The Government of India accepts the advice of this Commission in toto and provides assistance to the States accordingly. It is not proper to set up a commission for Tamil Nadu only. The Tamil Nadu Government pledged to serve the people and should create more resources and also help the Central Government in creating the resources. Then there will be no need to set up a Debt Commission.

I oppose the resoution.

Shri Sarjoo Pandey : (Ghazipur) : It is not a question of only one State, but it concerns almost all backward States, such as Telengana, U. P., Bihar, Rajasthan, etc. The Central Government should not provide grants or money on political considerations, because it creates discontentment amongst people belonging to neglected areas. Though it was stated in first Five Year Plan that capacity of Ghazipur Opium Factory would be increased, but now on political considerations it is not being done so and another factory is being set up in Madhya Pradesh, likewise decision about erecting a bridge on river Ganga near Ghazipur has been hanging for many years. People wanted to contribute funds for its erection but even then nothing has been done in this regard.

Government should set up a commission to decide on a basis for distribution of Funds for backward States such as Tamilnadu, Eastern U. P., Telangana, etc. If it is not done it will raise discontentment amongst different States, which may lead to division of the country. The present policy being pursued in this regard need changes.

Government should assure that in future no decision would be taken under political pressures, be it related to U. P. or Bihar or Tamil Nadu. Funds should be divided on the basis of backwardness of a particular area and the State Government should be asked to raise equal Funds. No State should be discriminated at the cost of any other State.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : Had the intention behind this Resolution been to draw attention of the Government towards neglected and backward states, we would have supported it. But it is not so. It draws attention of the Government towards a State which is much advanced in comparison to other States of the country. We do not want certain areas to develop whereas others to remain backward, I also feel that either a study Team or a Commission should be set up to decide the criteria to be followed with regard to the allocation of funds to State. It should look into the

economic condition of every State, its per capita income, its Industry and Agriculture, the progress made by the State during the last three Five Year Plans and then submit a report to the Government, which should then decide about the backwardness of the area. If central assistance is provided on uniform basis, then the backward areas would remain as they are and developed areas would develop more.

If we look into the Statistics we find that there are 54 backward districts in the whole of the country and out of these 22 districts are in U. P. and 8 in Bihar. Therefore mention should have been made about these two provinces in this Resolution. These two States are most backward, but attention is being drawn towards Tamil Nadu, which is not a backward area. With this I not only oppose this Resolution but do hope that the mover would withdraw it.

श्री नुग्गेहल्लिन शिवप्पा (हसन) : इस संकल्प का उद्देश्य विघटन करना है। इसका उद्देश्य एक विशेष राज्य तक ही सीमित है। इस संकल्प के द्वारा लोगों द्वारा प्रांतीय नीतियों और कार्यक्रमों की बात करने की भावना को बल मिलेगा न कि कल्याणकारी राज्य अथवा समाजवादी कार्यक्रमों व सामाजिक न्याय संबंधी राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों की बात करने को। इसका उद्देश्य शक्ति तथा दबाव की चालों के उपयोग द्वारा राज्य विशेष के लिए लाभ प्राप्त करना है। इस प्रकार के संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है।

संकल्प के प्रस्तावक के लिए अच्छा यह था कि राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के बनाने में वह सहयोग करते, जिसका कि स्वागत किया जाता। हमें अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाना चाहिये न कि संकुचित।

इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि हर एक राज्य की अपनी समस्याएं हैं परंतु उन्हें दूर करने का यह तरीका नहीं है। न ही राज्य के लिए अधिक धन प्राप्त करने की यह प्रक्रिया है। संविधान में इसके लिए अलग से व्यवस्था है। संसद एक सर्वोच्च संस्था है। हमें यहाँ पर प्रांतीय नीतियों व कार्यक्रमों की भावना नहीं फैलानी चाहिये। प्रत्येक राज्य की समस्याओं को हल करने के लिए यदि हम संविधान में संशोधन करने लगे, तो संविधान में कल्याणकारी समाज, समाजवादी नीतियों और कार्यक्रमों का कोई स्थान नहीं रहेगा।

इस प्रकार की बातों को यदि बल मिला तो प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक धन, ऋणों और अनुदानों की माँग करने लगेगा। उससे देश कहीं का नहीं रहेगा।

उस संकल्प का दृष्टिकोण व्यापक न हो कर अति संकुचित है। हमें मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग तथा निर्धन वर्ग के हितों की रक्षा करनी है और यह तभी संभव है यदि हम स्वीकृत नीतियों के आधार पर राष्ट्रीय और आर्थिक कार्यक्रम बनायें।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सोमवार तक के लिए स्थगित होता है।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 7 जून, 1971/17 ज्येष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, June 7, 1971/Jyaistha 17, 1893 (Saka)

Printed at Law Publishing House, Allahabad.

P. L. S. 48. II.10 .71. (N)
340

© 1971 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
ला पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद द्वारा मुद्रित

© 1971 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, LAW PUBLISHING HOUSE, ALLAHABAD.